मध्य प्रदेश शासन

गृह विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2023-2024

*****

विभागीय संरचना

माननीय मुख्यमंत्रीजी	डॉ. मोहन यादव
प्रमुख सचिव	श्री संजय दुबे
सचिव	श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव
सचिव (पुलिस)	श्री गौरव राजपूत
अपर सचिव	श्री अजय गुप्ता
अपर सचिव	श्री हरि सिंह मीना
अवर सचिव	श्री अन्नू भलावी

गृह विभाग के अन्तर्गत कार्यरत विभागाध्यक्ष

1.	पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल	श्री सुधीर कुमार सक्सेना
2.	अध्यक्ष म0प्र0, पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन, भोपाल	श्री कैलाश मकवाना
3.	महानिदेशक होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा, जबलपुर	श्री अरविन्द कुमार
4.	संचालक लोक अभियोजन, भोपाल	श्रीमती सुषमा सिंह
5.	संचालक, सैनिक कल्याण संचालनालय, भोपाल	बिग्रेडियर अरूण नायर, सेना मेडल (Rtd.)
6.	संचालक संपदा संचालनालय, भोपाल	श्री अजय गुप्ता
7.	प्रभारी संचालक मेडिकोलीगल संस्थान, भोपाल	श्रीमती नीलम श्रीवास्तव
8.	अधीक्षक मध्यप्रदेश स्टेट गैरेज, भोपाल	श्री आदित्य रिछारिया
9.	कार्यपालन संचालक आपदा प्रबंध संस्थान, भोपाल	श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव
10.	समन्वयक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भोपाल	श्री गौरव राजपूत

प्रमुख दायित्व

गृह विभाग, प्रदेश में कानून और व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा व शांति बनाये रखने, शस्त्र अधिनियम, विदेशियों से संबंधित अधिनियम, म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम, आदि के क्रियान्वयन एवं अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के दायित्वों का निर्वहन करता है।

इस विभाग के अंतर्गत भारतीय पुलिस सेवा, राज्य पुलिस सेवा, नगर सेना, लोक अभियोजन एवं सैनिक कल्याण से संबंधित समस्त विषय, शासकीय सेवकों के आवास आवंटन, पारपत्र/वीसा, अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित व्यवस्था मंत्रियों तथा अधिकारियों को शासकीय आवासों का आवंटन, उनके लिये वाहन व्यवस्था, शासकीय टेलीफोन व्यवस्था आदि कार्यो का संपादन किया जाता है।

गृह विभाग के अधीन प्रतिपादित किये जाने वाले कार्य निम्नानुसार है:-

(अ) - सामान्य

1. नागरिकता और देशीकरण।
2. पारपत्र और दृष्टांक (वीसा)।
3. अन्य देशीय।
4. अन्तर्राज्यीय प्रवजन अन्तर्राज्यीय निरोध।
5. प्रत्यर्पण।
6. भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राएं ।
7. राज्य और जिला सैनिक,नाविक तथा वैमानिक मण्डल को सम्मिलित करते हुये सैनिकों सिविल पायोनियर्स तथा युद्व उद्योंगों में श्रमिकों का पुनर्वास/पुर्ननियुक्ति।
8. अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित सामान्य प्रश्न।
9. जनगणना।
10. मंत्रियों और मंत्रीगणों के निवास भवनों का आवंटन।
11. भोपाल स्थित मोटर वर्क्स तथा स्टेट गैरेज से वाहनों का आवंटन।
12. सरकारी मोटर गाड़ियां जो मंत्रियों और संसदीय सचिवों के उपयोग के लिये रखी गई है, का रखरखाव।
13. चयनित विभागों के लिये सरकारी टेलीफोन व्यवस्था।
14. ऐसे सरकारी भवनों में जो सामान्य पूल के हो और जो निवास के प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाये जाते हो, बिजली की व्यवस्था।
15. वर्दियां।
16. अशासकीय संघो (एसोशिएशन) द्वारा पारित संकल्प।
17. ऐसे शासकीय सेवकों के (जो पाकिस्तान चले गये थे) वेतन, छुट्टीवेतन, भविष्य निधि निवृत्ति वेतन आदि का बकाया संबंधी दावे।
18. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
19. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये आशयित निवास भवनों के निर्माण के लिये प्रशासकीय अनुमोदन और उनका आवंटन।
20. ऐसी सेवाओं से सम्बद्व सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ नियुक्तियाँ, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्यनिधियां प्रतिनियुक्तिां, दण्ड तथा अभ्यावेदन।

(ब) - पुलिस

1. सार्वजनिक व्यवस्था ।
2. आंतरिक सुरक्षा।
3. पुलिस जिसके अन्तर्गत रेल्वे और ग्राम पुलिस भी है, किन्तु विशेष पुलिस स्थापना शामिल नहीं है।
4. पुलिस प्रशिक्षण शालायें और महाविद्यालय।
5. शस्त्रास्त्र, आग्नेय युद्धोपकरण।
6. फड़ लगाना और जुआ।
7. पुलिस बल की शक्तियां और क्षेत्राधिकार का अन्य क्षेत्रों पर विस्तार।
8. केन्द्रीय गुप्तवार्ता और अनुसंधान विभाग।
9. सैनिक शिक्षा (नगर सेना)।
10. राजनैतिक अपराध।
11. निवारक निरोध तथा ऐसे अन्य व्यक्ति जो विदेशी कार्य, भारत की प्रतिरक्षा संबंधी कारणों से ऐसे निरोध के अध्याधीन है।
12. राज्य की सुरक्षा से सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने अथवा समुदायों के लिये, अत्यावश्यक संभरणों और सेवाओं को बनायें रखने से सशक्त कारणों के लिये निवारक निरोध, ऐसे निरूद्ध व्यक्ति।
13. सिविल प्रतिरक्षा।
14. अंर्तराज्यीय पुलिस बेतार (वायरलैस) पद्धति।
15. पुलिस पदक।
16. भारतीय पुलिस सहित भारतीय पुलिस सेवा से संबंधित विषयक।
17. ऐसी सेवाओं से संबंधित सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ नियुक्तियां, पदस्थापनायें,स्थानांतरण, वेतन छुट्टियां निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्यनिधियां, प्रतिनियुक्तियाँए दण्ड तथा अभ्यावेदन।

मध्यप्रदेश पुलिस संरचना

पुलिस मुख्यालय

पुलिस मुख्यालय की मुख्य शाखाएं, विशेष पुलिस महानिदेशक/अति. पुलिस महानिदेशक पद के अधिकारियों के अधीन कार्यरत् हैं।

1) पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (**PTRI**) 2) स्पेशल टास्क फोर्स (**एस टी एफ**) 3) पुलिस दूरसंचार संगठन मध्यप्रदेश 4) शासकीय रेवले 5) योजना शाखा 6) राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल 7) कल्याण शाखा 8) महिला सुरक्षा शाखा 9) प्रबंध शाखा 10) अजाक शाखा 11) नारकोटिक्स 12) तकनीकी सेवा 13) प्रशासन शाखा 14) को-ऑपरेटिव फ्रॉड एवं लोक सेवा गारंटी 15) विशेष सशस्त्र बल शाखा 16) प्रशिक्षण शाखा 17) पुलिस अग्निशमन सेवा 18) आर.ए.पी.टी.सी., इंदौर 19) सायबर 20) राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरों 21) विशेष शाखा 22) अपराध अनुसंधान विभाग 23)शिकायत शाखा

1. पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (PTRI)

प्रदेश में घटित सड़क दुर्घटनाओं की लगातार मॉनीटरिंग एवं सड़क दुर्घटना में हो रही मृत्युदर को कम करने के लिए पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान सतत् प्रयासरत है, वर्ष- 2023 में संस्थान की उपलब्धियां इस प्रकार हैं-

1. **Integrated Road Accident Data Application (iRAD App)**- सड़क दुर्घटना घटित होने के बाद संबंधित थाने के पुलिस अधिकारियों द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण उपरांत**Integrated Road Accident Data Application (iRAD App)** में दुर्घटना से संबंधित समस्त जानकारियों की ऑनलाइन प्रविष्टियां की जाती हैं।
2. **e-Challan System**- यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही करने के लिए e-Challanप्रक्रिया 19 मई 2022 से म.प्र. के सभी जिलों में प्रारम्भ की गई है।
3. **MOU with Technical Institutions**
Road Engineering Defects सड़क दुर्घटनाएं घटित होने का एक मुख्य कारण है। सड़कों के इंजीनियरिंग डिफेक्ट को दूर करने के लिए पी.टी.आर.आई. द्वारा वर्ष- 2023 में MITS ग्वालियर, **SATI** विदिशा एवं IIM इंदौर से MoU पर हस्ताक्षरित किया गया है।
4. **Awareness Drives-** आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से वर्ष- 2023 से प्रत्येक माह में एक दिवस ''यातायात जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।

यातायात में आधुनिक उपकरणों का उपयोग

यातायात को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अधिक से अधिक आधुनिक उपकरणों जैसे– Speed Radar Gun, Breath analyser, Interceptor vehicle आदि का उपयोग किया जा रहा है।

2. स्पेशल टास्क फोर्स (एस.टी.एफ.)

नवीन कार्ययोजना

1. संगठित तरीके से नारकोटिक्स एवं शराब के अवैधानिक परिवहन एवं क्रय-विक्रय करने वाले आरोपियों की सूचना संकलित कर वैधानिक कार्यवाही करना ।
2. संगठित तरीके से जनसामान्य के साथ ठगी करने वाले गिरोह की पतारसी कर वैधानिक कार्यवाही करना।
3. नवीन प्रस्तावित कानून यथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता का प्रशिक्षण एस.टी.एफ. के अधिकारी/कर्मचारियों को दिया जाना।
4. एस.टी.एफ. में लंबित शिकायत एवं अपराधों का समय-सीमा में विधिक निराकरण।
5. कम से कम 05 बड़े अपराधिक प्रकरण जो संगठित अपराध से संबंधित हो पंजीबद्ध कराना।
6. न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में से 12 प्रकरणों का निराकरण कराया जाना।
7. एस.टी.एफ. के कार्यधिकार के सुसंगत डाटाबेस का संधारण करना।
8. वर्तमान में प्रदेश के 11 पुलिस जोन में मात्र 05 एस.टी.एफ. इकाईयों कार्यरत है प्रत्येक जोन में जोनल एस.टी.एफ. इकाईयों की स्थापना हेतु अगामी 05 वर्षो में 06 नई एस.टी.एफ. इकाईयों गठित किया जाना है।

नवाचार कार्ययोजना

1. सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अपराध की विवेचना के दौरान की जाने वाली कार्यवाही जैसे सर्च करना, पूछताछ करना, गिरफ्तारी आदि के विषयों पर प्रशिक्षित करना।
2. समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने हेतु बुनयादी सी.डी.आर, आई.पी.डी.आर. विश्लेषण संबंधी प्रशिक्षण।
3. Computer aided संगठित अपराधों की पतारसी करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना जिनमें डार्क वेब-पेट्रोलिंग के माध्यम से अवैध हथियार एवं नारकोटिक्स का क्रय-विक्रय, मानव तस्करी आदि सम्मिलित है।
4. नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता में उपबंधित संगठित अपराध के शीर्ष के संबंध में विवेचना से लेकर अंतिम प्रतिवेदन तक की जाने वाली अनुसंधान के संबंध में प्रशिक्षण/सेमिनार आयोजित कराना।
5. आगामी समय में डिजिटल करेंसी संबंधी संगठित अपराध की अधिकता होने से एस.टी.एफ. को उनकी नोडल समन्वय ऐजंसी बनाया जाए।

3. पुलिस दूरसंचार संगठन मध्यप्रदेश

सी.सी.टी.व्ही.

1. सी.सी.टी.व्ही. द्वितीय चरण अंतर्गत 30 शहरों के Entry Exit Points पर ANPR कैमरें स्थापित किये गये, 56 नवीन लोकेशनों पर स्थापना का कार्य किया गया।
2. सम्पूर्ण प्रदेश में सतत निगरानी हेतु एससीएमआरसी कन्ट्रोल रूम में वृहद वीडियो वॉल स्थापित की गई।

डायल-100

1. डायल- 100 मध्यप्रदेश शासन की जन कल्याणकारी योजना के अंतर्गत स्थापित डायल- 100/112 को स्वास्थ्य सेवा/एम्ब्युलेन्स- 108, अग्निशमन/फायर सेवा- 101, महिला सुरक्षा हेल्पलाइन- 1090, रेल मदद हेल्पलाइन- 139, नेशनल सायबर क्राइम हेल्पलाइन- 1930, राज्य परिवहन विभाग पैनिक बटन, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन से इन्टीग्रेशन किया गया है।
2. योजना प्रारम्भ दिनांक- 01/11/2015 से 31/12/2023 तक
   - 15.95 लाख महिलाओं को सहायता पहुंचाई गई।
   - सड़क दुर्घटनाओं में 10.27 लाख घायलों को एम्बुलेंस सहायता पहुचाई गई।
   - 1160 नवजात शिशुओं के जीवन की रक्षा की गई।
   - 23163 गुम बच्चों को उनके परिजनों तक पहुचाया गया।
   - 2.25 लाख अवसादग्रस्त महिला/पुरूषों को संकट में पुलिस सहायता पहुंचाई।
   - 1.76 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वाँछित अनुरूप सहायता पहुँचाई गई।
   - उपरोक्तानुसार कुल- 1.65 करोड़ जरूरत मंदो को मौके पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई गई है।
   - डायल-100 एफआरवी वाहन द्वारा प्रतिमाह लगभग- 30 लाख किलोमीटर गश्त की जा अप्रिय घटनाओं की रोकथाम की जा रही है।

पुलिस रेडियो संचार व्यवस्था

1. प्रदेश की पुलिस संचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए जाने हेतु एनालॉग सेटों के स्थान पर डिजीटल सेट (DMR) सेटों की प्रतिस्थापना का कार्य वर्ष- 2023 में मध्यप्रदेश के 14 जिलों में किया गया इस प्रकार मध्यप्रदेश के कुल 23 जिलों में DMR के प्रतिस्थापना का कार्य पूर्ण हो चूका है। (सीहोर, राजगढ़, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, छतरपुर, दतिया, सागर, छिंदवाड़ा, डिण्डोरी, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, मण्डला, पन्ना, सिंगरौली, रीवा, सीधी एवं सतना)

2. इंदौर शहर की पुलिस संचार व्यवस्था को बेहतर किये जाने हेतु इंदौर शहर में नवीन ट्रंकिंग सिस्टम की स्थापना की गई।

4. शासकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय

1- Quick Investigation Response Team-ट्रेनों में घटित होने वाले अपराधों पर तत्काल कार्रवाई के लिये क्यू.आइ.आर.टी. (Quick Investigation Response Team) टीमों का भी गठन किया गया है जिसके फलस्वरुप अच्छे परिणाम मिले हैं एवं अपराध नियंत्रण में सफलता प्राप्त हुई है।

2- GRP - सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान हेतु GRP State Response Monitoring System का गठन किया गया है। यात्रा के दौरान यात्री चलती ट्रेन में आवश्यकता होने पर जी.आर.पी. से सीधे सम्पर्क कर सकता है। जी.आर.पी. स्टेट रेस्पॉन्स मॉनिटरिंग सेन्टर, मध्य प्रदेश राज्य में कहीं पर भी तुरन्त विधि अनुसार सहायता उपलब्ध कराता है। इसके माध्यम से अपराध पंजीयन तथा अपराधियों को पकड़ने में समन्वय स्थापित किया जाता है।

नवाचार :-

महिला यात्रियों से सवांदः- महिला यात्रियों की सुरक्षित व सुगम यात्रा की दृष्टि से ट्रेनों में एवं रेलवे स्टेशनों पर यात्रा करने वाली अकेली महिलाओं से अधिक से अधिक महिला पुलिस कर्मचारियों द्वारा संवाद स्थापित कर उन्हें सुरक्षित यात्रा संबंधित जानकारियां दी गई।

GRP MP HELP APP

जी.आर.पी. एम.पी. हेल्प एप रेल यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया है जिससे रेल यात्रियों के द्वारा चलती ट्रेन में ही उनके साथ घटित किसी घटना की सूचना पुलिस को दी जा सकती है तथा इस सूचना के आधार पर रेल पुलिस की मदद यात्री को उसकी यात्रा के दौरान ही प्रदाय की जा रही है।

5. योजना शाखा

1. पुलिस विभाग के समस्त नवीन पदों का सृजन एवं नवीन थाना, चौकी एवं नवीन कार्यालयों की स्वीकृति की कार्यवाही करना।
2. म.प्र. पुलिस के सम्पूर्ण बजट को तैयार कर शासन को भेजना एवं समस्त इकाईयों को आवंटन एवं व्यय का लेखा-जोखा रखना।
3. नवीन योजनांए की डीपीआर तैयार कर स्वीकृत कराना, शासन से स्वीकृत योजनाओं में बजट प्रावधान कराना एवं योजनाओं में प्राप्त बजट को संबंधित नोडल अधिकारी को आवंटन करना।
4. पुलिस स्टैटिस्टिकल डाटा तैयार करना, बीपीआरएण्डडी की जानकारी तैयार करना तथा पुलिस विभाग से संबंधित डाटाबेस तैयार करना।
5. पुलिस मुख्यालय स्थित ग्रंथालय में पुलिस विभाग के उपयोगी विषयों पर प्रकाशित पुस्तको को क्रय कर उपलब्ध कराना।
6. पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत भारत सरकार द्वारा प्राप्त योजना राशि से थाना/चौकी एवं प्रशासकीय आवासीय भवनों के निर्माण एवं मरम्मत की समस्त कार्यवाही तथा पुलिस विभाग को भूमि उपलब्ध कराना, पुलिस विभाग के थाना/चौकी, प्रशासकीय भवनों के लघु निर्माण के लिये एमओडब्ल्यू/पीसीएण्डआर मद के अंतर्गत राशि का वितरण।
7. वित्त से संबंधित पुलिस विभाग के प्रकरणों में नियमानुसार उचित कार्यवाही करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना।

पुलिस विभाग को गत तीन वर्षो में शासन द्वारा प्रदाय किये गये बजट की जानकारी निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ में)

स.क्र.	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24
1	कुल बजट	8110.51	9216.83	9493.37
2	कुल राजस्व	7372.06	8124.20	8810.37
3	पूंजी	738.45	1092.63	683.00

पुलिस विभाग को भिन्न- भिन्न मदो में राजस्व की प्राप्तियों में लगातार बढोत्तरी तीन वर्षो निम्नानुसार परिलक्षित हुई हैं :-(राशि करोड में)

स.क्र.	विवरण	2021- 22	2022- 23	2023- 24
1	0055-राजस्व प्राप्ति	221.45	266.30	223.77 (15.01.2024 की स्थिति में)

6. राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल

राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन शासन के आदेश दिनांक 04.10.2013 को किया गया है जिसका उद्देश्य औद्योगिक उपक्रमों, निजी औद्योगिक उपक्रमों संस्थानों, वाणिज्यिक और वित्तीय संस्थानों, विद्युत उत्पादन केन्द्रों, रिफायनरियों, धार्मिक महत्व के स्थानों, पुरातात्विक और विरासत स्थलों, हवाईअड्डों और हैलीपेडों, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों तथा केंद्रीय व राज्य की संस्थाओं को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने के लिये तथा निजी क्षेत्र की औद्योगिक स्थापनाओं को तकनीकी परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना है।

वर्तमान में राज्यऔद्योगिक सुरक्षा बल की दो वाहिनी क्रमशः प्रथम वाहिनी रीवा एवं द्वितीय वाहिनी भोपाल में संचालित है।जिनके द्वारा कुल 25 संस्थानों को सुरक्षा व्यवस्था हेतु बल प्रदाय किया गया है, जिसमें 1263 अधिकारी/कर्मचारी विशेष सशस्त्र बल से प्रतिनियुक्ति पर उपलब्ध होकर विभिन्न संवेदनशील संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था हेतु तैनात है।

7. कल्याण शाखा

अशासकीय निधियों के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से वार्षिक अंशदान प्राप्त कर केन्द्रीय कल्याण निधि का गठन किया गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 26252 दिनांक 13.06.1994 है।

- इस निधि से आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु परोपकार निधि, संकट निधि , शिक्षा निधि, सुख सुविधा निधि (एमिनिटी फंड) बटालियन/लाईन फंड आदि मद स्थापित किये गये है।
- कल्याणकारी गतिविधियों के अंतर्गत पुलिस विभाग की इकाईयों में निम्नलिखित 33 प्रकार की कल्याणकारी गतिविधियां संचालित है।
- शासन अनुदान परोपकार निधि, शिक्षा निधि में प्राप्त होता है।
- पुलिस कल्याण निधि से निम्नलिखित सहायता प्रदान की जा रही है।
- परोपकार निधि- अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिवार को परोपकार निधि से तत्काल सहायतार्थ रू 1,00,000/- अंतिम संस्कार हेतु दिये जाते है यह राशि सेवानिवृत्ति के दो वर्ष- के अन्दर मृत्यु होने पर भी दी जाती है।
- संकट निधि- पुलिस कर्मचारियों के स्वयं के इलाज हेतु रू 50,000/- एवं आश्रितों को रू 30,000/- गंभीर रूप से घायल/बीमार होने पर सहायतार्थ उपलब्ध कराई जाती है।
- शिक्षा निधि- शिक्षा सत्र 2021-22 से नवीन शिक्षा निधि नियमावली के अंतर्गत पुलिस विभाग में रापुसे से आरक्षक स्तर के अधिकरियों/कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को कक्षा 11वी से उच्च स्तरीय शिक्षण एवं अन्य समस्त संबंधित कोर्स के उत्तीर्ण कक्षा हेतु शासकीय महाविघालय के फीस स्ट्रक्चर एवं पुमु द्वारा निर्धारित वार्षिक शिक्षा निधि(टयूशन फीस) की अधिकतम निर्धारित राशि रू 75,000/- तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। शहीद पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियें के बच्चों को भी उपरोक्तानुसार शिक्षा निधि का लाभ प्रदान किया जाता है।

- पुलिस चिकित्सालय- अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके परिजनों की स्वास्थ्य सुविधा हेतु विभिन्न पुलिस इकाईयों में 69 पुलिस चिकित्सालय संचालित किये जा रहे है, भोपाल में पुरूष एवं महिला चिकित्सालय आधुनिक सुविधा सहित संचालित है, जैसे- पैथोलॉजी लैब, एक्स-रे सोनोग्राफी आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विशिष्ट बीमारियों के लिये स्थानीय प्रतिष्ठित अनुभवी चिकित्सा विशेषज्ञों की सेवायें मानदेय पर ली जा रही है।
- चिकित्सकों को मानदेय- पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवार की बीमारियों के इलाज हेतु प्रदेश के पुलिस चिकित्सालयों में चिकित्सा विशेषज्ञों की सेवायें मानदेय पर ली जाकर रूपये 7,500/- से रू 30,000/- प्रतिमाह स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध कराने के फलस्वरूप मानदेय भुगतान किया जाता है।
- आपदा निधि- देश में आपातकालीन आपदाओं के समय पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदाय करने हेतु आपदा निधि प्रदान की जाती है। इस हेतु मध्यप्रदेश पुलिस के समस्त पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियो द्वारा स्वेच्छा से एक दिवस का वेतन कटोत्रा कर प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि भेजी जाती है।
- एमिनिटी एवं लाईन फण्ड–इस निधि से पुलिस इकाईयों/लाईनों के रख-रखाव समस्त पुलिस इकाईयों को राशि वितरित की जाती है।
- पुलिस इकाईयों में मूलभूत सुविधाओं उपलब्ध कराने के लिये केन्द्रीय कल्याण निधि से राशि का उपयोग किया जाता है एवं नई कल्याणकारी गतिविधियां प्रारंभ करने हेतु केन्द्रीय कल्याण निधि से अनुदान/अग्रिम राशि प्रदान की जाती है।
- सहकारी बैंक- पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को सुलभता से आवास क्रय, वाहन क्रय पर्सनल लोन एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। म.प्र. पुलिस की 24 इकाईयों में सहकारी बैंक की स्थापना की गई है।
- शहीद सम्मान निधि- पुलिस अधिकारी/कर्मचारी के शहीद होने पर उसके परिजनों को आर्थिक सहायता हेतु शहीद सम्मान निधि की राशि प्रदान की जाती है। इस हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों से संपूर्ण सेवाकाल में एक दिन का वेतन कटोत्रा कर वर्ष- 2000 से शहीद सम्मान निधि की स्थापना की गई है। सेवा के दौरान शहीद हुये पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित परिवार को रू 5,00,000/- तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

म.प्र. पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

म.प्र. पुलिस स्वास्थ्यसुरक्षा योजना, बीमा योजना नहीं है, यह एक कोपर्स फंड योजना है। राज्य शासन से मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों से योजना अन्तर्गत कैशलैश उपचार करने का अनुबंध किया जाता है, और उपचार की राशि की, प्रतिपूर्ति नियमानुसार शासकीय बजट से की जाती है।

08. महिला सुरक्षा शाखा

मध्यप्रदेश राज्य में महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध अपराधों पर नियंत्रण के लिए विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार हैः-

महिला थानाः- वर्तमान में प्रदेश में 52 महिला पुलिस थाने संचालित हैं जिन्हें संबंधित जिलों के लिए "मानव तस्करी रोधी इकाई" घोषित किया गया है।

ऊर्जा महिला हेल्प डेस्कः-महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों की रोकथाम हेतु वर्तमान में प्रदेश में कुल 950 ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क संचालित हैं। शेष 48 पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

गुम नाबालिग बालिकाओं की दस्तयाबी:-गुम नाबालिग बालक-बालिकाओं की दस्तयाबी हेतु अपराध अन्वेषण विभाग, पुलिस मुख्यालय द्वारा वर्ष- 2023 में 02 "ऑपरेशन मुस्कान" संचालित किये गये। जिसमें**कुल-3147**बालिकाएँ दस्तयाब की गई।

लैंगिक अपराधों की समीक्षा:-पुलिस मुख्यालय स्तर पर महिलाओं पर घटित लैंगिक अपराधों लगातार एवं सूक्ष्मस्तरीय समीक्षा की जा रही है। जिसके फलरूवरूप भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा तैयार ITSSO Portal के अनुसार वर्ष- 2023 में धारा-376 भा.द.वि., 4/6 पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों का 02 माह की अवधि में निराकरण का Compliance Rate **81.60%**है।

जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन:-

A. वर्ष- 2021 में संचालित महिला जागरूकता अभियान "सम्मान" के अंतर्गत दिनांक 01.02.2023 को प्रदेश के कुल-10 आम नागरिकों को "असली हीरो" के रूप में सम्मानित किया गया।

B. समाज में लड़को एवं पुरूषों को महिला संबंधी अपराधों के प्रति जागरूक करने, संवेदनशील बनाने महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह मुक्त सकारात्मक व्यवहार विकसित करते हुये महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिये विशेषकर पुरूषों को जागरूक करने हेतु महिला सुरक्षा शाखा पुलिस मुख्यालय द्वारा दिनांक 12.06.23 से 19.06.23 तक "अभिमन्यु"जागरूकता अभियान संचालित किया गया। द्वितीय चरण में विशेष जागरूकता अभियान दिनांक 01-08-23 से 15-08-23 तक संचालित किया गया जिसके दौरान पुलिस मुख्यालय द्वारा विशेष रूप से तैयार की गई लगभग**50000**प्रश्नावली को स्कूल कॉलेज एवं सार्वजनिक स्थानों पर वितरित कर हल करवाया गया, जिनका विश्लेषण कराये जाने हेतु भारतीय प्रबंध संस्थान, इंदौर के साथ प्रकिया प्रचलन में है।

D. **ऑपरेशन एहसास"**- ऑपरेशन एहसास के अन्तर्गत विद्यालयों, ग्रामीण एवं संवेदनशील Hot-spot अन्तर्गत बस्तियों, आंगनवाड़ी एवं पंचायतों में जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाकर छोटे बच्चों को पोस्टर एवं एनीमेटेड मूवी के माध्यम से Good Touch - Bad Touch के संबंध में जागरुक किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत वर्ष-2023 के दौरान प्रदेश में लगभग 3458 कार्यक्रम आयोजित किये जाकर बच्चों को जागरूक किया गया है।

E. आत्मरक्षार्थ प्रशिक्षण "ऑपरेशन स्वयंसिद्धा"- माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश में आगामी 02 वर्ष में अपराध नियंत्रण एवं पुलिस आधुनिकीकरण हेतु दिये गये विभिन्न निर्देशों के परिपालन में महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर एवं सशस्त बनाने के उद्देश्य से "ऑपरेशन स्वयंसिद्धा" प्रारंभ किया गया है। वर्ष- 2023 के दौरान प्रदेश में लगभग 171823 छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

मानव दुर्व्यापार-प्रदेश में वर्तमान में 52 "मानव दुर्व्यापार रोधी इकाई" गठित हैं। वर्ष- 2023 में प्रदेश में मानव दुर्व्यापार के**62**अपराध घटित हुये हैं।

महिला अपराध के आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही-वर्ष-2023 में महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों में आरोपियों के विरूद्ध अवैध संपत्ति अतिक्रमण, ध्वस्त, जिलाबदर, हिस्ट्रीशीट, धारा-110 द.प्र.सं. के माध्यम से कुल-221 प्रकरणों में वैधानिक कार्यवाही की गई।

कौशल उन्नयन प्रशिक्षण:-मानव दुर्व्यापार की रोकथाम एवं जनजागरूकता हेतु दिनांक 20.03.23 एवं 21.03.23 तक मानव दुर्व्यापार निरोधी इकाई के नोडल अधिकारारियों का दो दिवसीय**"चेतना"** Capacity Bulding Workshop-II on Anti Human Trafficking का आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में प्रदेश के लगभग 50 अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।

महिला सुरक्षा शाखा पुलिस मुख्यालय में कार्यरत् अधि0/कर्म0 हेतु दिनाक 11.12.2023 को "तनाव प्रबंधन एवं वित्तीय प्रबंधन" विषय पर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें कुल-86 अधि0/कर्म0 सम्मिलित हुये।

अपराध पंजीयन एवं विवेचनाः- वर्ष- 2023 (जनवरी से दिसम्बर) में महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों का शीर्षवार विवरण संलग्न **परिशिष्ट क्रमांक- "अ" में सलग्न है।**

09. प्रबंध शाखा

प्रबंध शाखा का मुख्य कार्य आवंटित बजट से सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को सेरे मोनियल डेस का बजट आवंटन करना एवं उपलब्ध बजट से फर्नीचर, उपकरण, वाहन इत्यादि का क्रय करना एवं विभिन्न इकाइयों को उनकी मांग अनुरूप संसाधनों का क्रय एवं आवंटन किया जाता है।

1. पुलिस आधनिकीकरण योजनांतर्गत 30 नग दंगा रोधी वाहन का क्रय किया गया है।
2. भारत सरकार द्वारा संचालित आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत वर्ष- 2023-24 में 21.96 करोड़ की योजना स्वीकृत कराई गई। आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों के लिए वाहनों का क्रय, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए डीएनए लैब उपकरण क्रय के प्रस्ताव स्वीकृत हुए है।
3. सामान्य बजट से कार्यालय उपकरण लेपटॉप, ऑल-इन-वन कम्प्युटर डेस्कटॉप क्रय किया जाकर पुलिस इकाईयों का आवंटित किये गये हैं।
4. इसी प्रकार दंगारोधी सामग्री (राईट कंटोल हेलमेट, फुल बॉडी प्रोटेक्टर, लाठी) सेट्स, टियर गैस सामग्री। इसके अतिरक्ति तथा रायफल रैक, टेंट, हथकड़ी, एलईडी सर्च लाईट, वायनाकूलर, गद्दे, एवं जोनल कार्यालयों के लिए फर्नीचर क्रय किये जा रहे है।
5. केन्द्रीय योजना निर्भया फण्ड अंतर्गत महिला हेल्प डेक्स हेतु फर्नीचर का क्रय किया जा रहा है।
6. केन्द्रीय योजना अंतर्गत 36वीं वाहिनी बालाघाट के लिए कार्यालय उपकरण का क्रय किया जा रहा है।

10. अजाक शाखा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में लेख है कि शासन पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों को आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक एवं अन्याय व शोषण से रक्षा करेगा। संविधान की मंशा को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम- 1955 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत कई विविध उपाय प्रदाय किये गये है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य पर घटित होने वाले अपराधों की रोकथाम एवं त्वरित विवेचना, अपराधों की समीक्षा करने तथा प्रदेश में जाति के आधार पर होने वाले अपराधों को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष- 1973 में पुलिस मुख्यालय में अ.जा.क. शाखा स्थापित की गई है।

अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण हेतु की गई व्यवस्था:-नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम- 1955 के अन्तर्गत वर्ष- 1974 में 6(अजाक) पुलिस थाने प्रदेश में स्थापित किये गये थे जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के क्रियान्वयन के पश्चात प्रदेश के 55 जिलों में से 51 अ.जा.क. विशेष पुलिस थाने स्थापित है। अजाक थानों में पंजीबद्ध अपराधों के अनुसंधान हेतु प्रदेश के 55 जिलों में उप पुलिस अधीक्षक अ.जा.क. की पदस्थापना की गई है। अजा/जजा के द्वारा उत्पीड़न की रिपोर्ट पर पंजीबद्ध प्रकरणों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये 07 अक्टूबर 2017 को निरीक्षक रेंक के अधिकारियों को, उक्त अधिनियम के अधीन किसी विशेष न्यायालय के समक्ष व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अन्वेषण और अभियोजन की शक्ति प्रदाय की गई है। अजा/अजा के प्रकरणों में पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण हेतु 10 पुलिस अधीक्षक अजाक को रेंज में पदस्थ किया गया है साथ ही अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के प्रकरणों मे विधि संमत अभिमत प्राप्त करने हेतु एक उप संचालक अभियोजन की पदस्थापना अजाक पुलिस मुख्यालय में की गई है तथा प्रत्येक रेंज पुलिस अधीक्षक अजाक कार्यालय में अभियोजन अधिकारी को पदस्थ किया गया है।

परिलक्षित क्षेत्रः-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 21(2)7 में दिये गये प्रावधानों के ऐसे ग्राम/नगर/मोहल्लो/कस्बों को पंजीबद्ध अपराधों की संख्या के आधार पर चिन्हित किया गया है जिसमें प्रदेश में वर्ष- 2022 के आधार पर 19 जिलों के 55 थानों के अन्तर्गत 90 क्षेत्रों की सूची तैयार कर शासन को भेजी गई है।
अपराध:- **संलग्न परिशिष्ट क्रमांक- “ब” में सलग्न है।**

अनुसूचित जाति:-प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग पर घटित अपराधों में वर्ष- 2021 की तुलना में वर्ष- 2022 में माह जनवरी से दिसम्बर की अवधि में 11.86 प्रतिशत की अपराधों में वृद्धि, इसी प्रकार वर्ष- 2022 की तुलना में वर्ष- 2023 में 0.27 प्रतिशत की अपराधों में कमी परिलक्षित हुई है।

अनुसूचित जनजाति:-प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग पर घटित अपराधों में वर्ष- 2021 की तुलना में वर्ष- 2022 में माह जनवरी से दिसम्बर की अवधि में 15.90 प्रतिशत की अपराधों में वृद्धि, इसी प्रकार वर्ष- 2022 की तुलना में वर्ष- 2023 में 9.41 प्रतिशत की अपराधों में कमी परिलक्षित हुई है।

जनचेतना शिविर:-अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों में जागरूकता लाने तथा विधिक ज्ञान कराने के उदेश्य से वर्ष- 2023 में 551 जन चेतना शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में 22000 लोग सम्मिलित हुये।

11. नारकोटिक्स

नारकोटिक्स विंग का गठन वर्ष- 1996 में स्वतंत्र इकाई में किया गया, जिसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होकर अवैध मादक पदार्थों के परिवहन पर नियंत्रण करना है इस हेतु एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के स्तर के अधिकारी को विभागीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। वर्ष- 2002 से नारकोटिक्स के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जप्त किये जाने वाले मादक पदार्थों के लिये पृथक से एक थाना नारकोटिक्स सेल, इन्दौर स्वीकृत किया गया है, जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश है। नारकोटिक्स सेल, इंदौर द्वारा एक सहायक इकाई के रूप में नीमच में भी वर्ष- 1996 में ''नारकोटिक्स प्रर्वतन प्रकोष्ठ'' की स्थापना की गयी है जहॉ पर पूर्व से एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी का पद स्वीकृत है। मध्यप्रदेश राज्य में जिला मंदसौर, नीमच एवं रतलाम जिलों मेंCENTRAL BUREAU OF NARCOTICS (CBN) द्वारा अफीम उत्पादन हेतु कृषकों को पट्टे वितरित किए जाते है। उक्त जिलों से ही अधिकांशत: अफीम की तस्करी भी होती है, इस बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए 2013 में राज्य शासन ने मन्दसौर जिले में नारकोटिक्स प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है जिसमें आरक्षक से लेकर पुलिस अधीक्षक तक के कर्मचारी/अधिकारियों के पद स्वीकृत किए गए है, तथा जिला नीमच में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद स्वीकृत है। इनके द्वारा उपरोक्त जिलों में मादक पदार्थो की तस्करी पर नियंत्रण किया जाता है। नारकोटिक्स मुख्यालय इन्दौर का नवीन कार्यालय भवन मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल द्वारा निर्मित किया जाकर नारकोटिक्स विंग को सौप दिया गया है, जिसमें वर्तमान में नारकोटिक्स विंग कार्यालय संचालित हो रहा है।

आपूर्ति में कमीहेतु कार्यवाही- सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में पुलिस की विभिन्न इकाईयों द्वारा मादक पदार्थो की तस्करी में लिप्त अपराधियों पर शिकंजा कसते हुये एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत अपराधियों के विरुद्ध अधिक से अधिक कार्यवाहियां की गई है।

नारकोटिक्स विंग द्वारा एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत विगत 03 वर्षो में की गई कार्यवाही की तुलनात्मक जानकारीसंलग्न **परिशिष्ट क्रमांक- स में सलग्न है।**

12. तकनीकी सेवा

1. उपलब्धियाँ, नवाचार एवं नवीन कार्य योजनाऐं :-

1. आर.एफ.एस.एल. ग्वालियर में दिनांक 14.01.2023 से डी.एन.ए. लैब आरंभ की गई।
2. जिला जबलपुर में आर.एफ.एस.एल. हेतु नवीन भवन का निर्माण कार्य जारी है जो लगभग पूर्ण हो चुका है। जिला रीवा तथा रतलाम में नवीन आर.एफ.एस.एल. हेतु भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अधिपत्य में ले लिया गया है।
3. उक्त तीनों प्रयोगशालाओं हेतु उपकरणों की निविदा जारी की जा चुकी है।
4. उक्त तीनों प्रयोगशालाओ को 1 अप्रैल 2024 तक आरंभ किये जाने का लक्ष्य है।
5. उक्त प्रयोगशालाओ में मानव संसाधन हेतु शासन द्वारा 38 पदों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
6. उज्जैन, नर्मदापुरम एवं शहडोल में प्रयोगशाला खोले जाने हेतु भवन निर्माण का डीपीअर पुलिस मुख्यालय को प्रेषित की जा चुकी है।
7. आर.एफ.एस.एल. भोपाल में अतिरिक्त डीएनए लैब स्थापित की जा चुकी है।

13. प्रशासन शाखा

	अवधि	विभागीय कार्य योजना का विवरण
	न्यायालयीनप्रकरण	1. मान. उच्च न्यायालय जबलपुर एवं इंदौर /ग्वालियर खण्डपीठ से प्राप्त रिट याचिकाओं 340 में से 95 में जबावदाबा प्रस्तुत किया गया एवं 53 याचिकाओं का निराकरण किया जा चुका है । 2. अवमानना याचिकाओं 35 में से 8 में जबावदाबा प्रस्तुत किया गया एवं 05 अवमानना याचिकाओं का निराकरण किया जा चुका है । 3. क्लेम प्रकरण 14 में से 2 में जबावदाबा प्रस्तुत किया गया एवं 03 क्लेम प्रकरण का निराकरण किया जा चुका है ।
	प्रस्तावित नवाचार एवं नवीन कार्य योजना	1. म.प्र. पुलिस विभाग की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित HRMS (Human Resource Management System) में सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को Onboard करना एवं पहले चरण का क्रियान्वयन करना । 2. NIC के माध्यम से भापुसे/रापुसे सेवा के अधिकारियों की भांति उप निरीक्षक/निरीक्षक स्तर के कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली की प्रक्रिया ऑन लाईन करना। 3. MPSEDC के माध्यम से विभागीय जांच, अपील, पुनरीक्षण के प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण हेतु सॉफ्टवेयर विकसित करना। 4. म.प्र. पुलिस विभाग में शासकीय आवास आबंटन प्रक्रिया को सरल, सुलभ एवं पारदर्शी बनाये जाने हेतु एच.आर.एम.एस. पोर्टल पर म.प्र. के समस्त पुलिस आवासों के लिए ऑन लाईन आवास आवंटन मॉड्यूल विकसित करना। 5. आगामी 01 वर्ष- में रिक्तियों के आधार पर उप पुलिस अधीक्षक से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थापना की कार्यवाही । 6. समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को समयमान-वेतनमान प्रदान करने की कार्यवाही। 7. अधिकारियों/कर्मचारियों को समय पर उच्चतर प्रभार। 8. नक्सल विरोधी अभियान मे सम्मिलित अधि./कर्मचारियों के क्रम से पूर्व पदोन्नति के प्राप्त प्रकरणो का यथोचित परीक्षण कर उचित कार्यवाही । 9. समयबद्ध तरीके से अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किया जाना। 10. अपील एवं दयायाचिकाओं का समयबद्ध निराकरण किया जाना। 11. विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पदक/सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक/वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक एवं शासकीय सेवकों का मनोबल बनये रखने के लिये पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति पत्र अधि./कर्मचारियों को प्रदाय किये जाना। 12. राजपत्रित अधिकारियों के स्थायीकरण की कार्यवाही समय पर कराया जाना।

14. कॉ-ऑपरेटिव फ्रॉड एवं लोक सेवा गारण्टी

(1) सहकारी संस्थाओं संबंधीं धोखाधड़ी के प्रकरणों की समीक्षा- सहकारी संस्थाओं, सहकारी बैंकों में घटित धोखाधड़ी एवं वित्तीय अपराधों की समीक्षा जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक एवं अनुसंधानकर्ताओं की बैठक आयोजित कर पंजीबद्ध प्रकरणों के निराकरण हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं संबंधित अधिनियमों में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विवेचना कार्यवाही के सबंध में उचित एवं वैधानिक निर्देश दिया जाना। प्रदेश के समस्त थानों में धारा 173 (8) दण्ड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत विवेचनाधीन प्रकरणों की समीक्षा कर निराकरण किया जा रहा है साथ ही विवेचना में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाना। लंबित प्रकरणों की जिला, रेंज, जोन स्तर एवं विवेचनाकर्ता को समक्ष में बुलाकर समीक्षा की जाना।

(2) सहकारी संस्थाओं] सहकारी बैंकों में घटित आर्थिक व वित्तीय अनियमितताओं, शोषण एवं धोखाधड़ी से सबंधित प्राप्त शिकायतों का निराकरण- सहकारी संस्थाओं, सहकारी बैंकों में घटित आर्थिक व वित्तीय अनियमितताओं शोषण एवं धोखाधड़ी से संबंधित पुलिस मुख्यालय जिला एवं थानों में प्राप्त शिकायतों की समय-सीमा में जांच एवं सत्यापन पूर्ण करवाकर वैधानिक कार्यवाही करवाई की जाना। लंबित शिकायतों की जिला, रेंज, जोन स्तर एवं विवेचनाकर्ता को समक्ष में बुलाकर समीक्षा की जाती है।

(3) वित्तीय अपराध एवं कॉ-ऑपरेटिव फ्रॉड शाखा का संस्थागत विकास- मान. मुख्यमंत्री जी एवं गृह मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशानुसार कॉ-ऑपरेटिव फ्रॉड शाखा प्रभावी एवं सक्रिय रूप से कार्य कर सके, इस उद्देश्य से संस्थागत स्वरूप प्रदान करने की दिशा में शाखा के पुनर्गठन एवं सुदृढीकरण हेतु कार्यवाही की गई जिसके फलस्वरूप कॉ-ऑपरेटिव फ्रॉड शाखा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्थित संस्थागत व्यवस्था के सहयोग एवं समन्वय से धोखाधड़ी के प्रकरणों के नियंत्रण एवं रोकथाम की दिशा में कार्य कर सके।

(4) लोकसेवा गारण्टी अधिनियम के तहत प्राप्त प्रकरणों का निराकरण-मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम- 2010 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला पुलिस ईकाईयों से आवेदनों के निराकरण निर्धारित समय सीमा में करने हेतु सुनिश्चित कराया गया कि संबंधित पदाभिहीत अधिकारियों के पास उनके डिजीटल हस्ताक्षर हमेशा उपलब्ध हों ताकि अधिसूचित सेवाओं से संबंधित आवेदनों के ऑनलाइन निराकरण करने में व्यवधान उत्पन्न न हो। आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय सीमा में हो सके, इस हेतु जिला पुलिस ईकाईयों से निर्धारित प्रारूपों में आवेदन पत्रों के निराकरण संबंधी मासिक जानकारी प्राप्त की जाकर समीक्षा उपरांत दिशा निर्देश जारी किये गये। प्रतिदिन ऑनलाईन डाटा प्राप्त डाटा विश्लेषण के आधार पर समय-सीमा बाह्य लंम्बित आवेदनों का निराकरण एवं त्रृटिकर्ता के विरुद्ध लोक सेवा गारंटी अधिनियम. 2010 के प्रावधानानुसार विधिक कार्यवाही की गई जिससे लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत आने वाली विभाग की अधिसूचित सेवाओं का शासन की मंशा अनुसार नागरिकों को उचित लाभ मिल सके।

(5) सहकारी संस्थाओं, सहकारी बैंकों में घटित धोखाधड़ी एवं वित्तीय अपराधों की समीक्षा की जाकर प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित कराना।

(6) सहकारी संस्थाओं, सहकारी बैंकों में घटित आर्थिक व वित्तीय अनियमितताओं, शोषण एवं धोखाधड़ी से संबंधित पुलिस मुख्यालय जिला एवं थानों में प्राप्त शिकायतों की समय-सीमा में जांच एवं सत्यापन पूर्ण करवाकर वैधानिक कार्यवाही किया जाना।

(7) सहकारी संस्थाओं, सहकारी बैंकों में घटित आर्थिक व वित्तीय अनियमितताओं, शोषण एवं धोखाधड़ी से संबंधित प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु अपेक्स बैंक एवं सहकारिता विभाग से समन्वय स्थापित करना।

(8) मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम. 2010 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यह सुनिश्चित कराना कि जिला पुलिस ईकाईयों के पदाभिहीत अधिकारियों के पास उनके डिजीटल हस्ताक्षर हमेशा उपलब्ध हों। जिससे प्राप्त आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में हो सके।

15. विशेष सशस्त्र बल

विभाग के अन्तर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरणप्रशिक्षण संस्थायें

विसबल में विसबल तथा जिला बल, शासकीय रेल पुलिस के अधिकारी/कर्मचारियों हेतु विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं इन प्रशिक्षणों को सुचारू रूप से चलाने हेतु विसबल के अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थान वर्तमान में कार्यरत हैंः-

1. आर.ए.पी.टी.सी. इन्दौर
2. 6वीं वाहिनी विसबल जबलपुर
3. 8वीं वाहिनी विसबल छिन्दवाड़ा
4. 13वीं वाहिनी विसबल ग्वालियर
5. पुलिस आर्म्स रिपेयर वर्कशाप 7वीं वाहिनी विसबल भोपाल
6. पुलिस वाहन प्रशिक्षण शाला रीवा
7. बैण्ड प्रशिक्षण शाला 7वीं वाहिनी विसबल भोपाल
8. श्वान प्रशिक्षण शाला 23वीं वाहिनी विसबल भोपाल

विभाग के दायित्वः-विसबल कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में प्रथम पंक्ति का बल है। नक्सल प्रभावित समस्या पर नियंत्रण, विभिन्न निर्वाचन/चुनाव, व्हीव्हीआईपी ड्यूटी, गनमैन/पीएसओ डयूटी आदि डयूटियों का निर्वहन करना। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक प्रकोप, बाढ़, भूकम्प आदि के समय भी सजग रहकर इन समस्याओं से निपटना होता है।

विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

कानून/व्यवस्थाः-मध्यप्रदेश विसबल द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को हमेशा नियंत्रण में रखकर शांति वातावरण निर्मित किया जा रहा है। जिससे किसी प्रकार की कानून एवं व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सद्भाव संबंधी समस्या उत्पन्न नहीं हुई। विसबल द्वारा विभिन्न पर्व एवं धार्मिक उत्सवों में साम्प्रदायिक सदभाव बनाये रखने में अपनी उपस्थिति से उल्लेखनीय योगदान किया गया है।

- **कंपनियों का डिप्लायमेंट-**वर्तमान में 85 कंपनी स्थायी तौर पर प्रदेश के 52 जिलों में तैनात हैं।
- **नक्सली/दस्यू उन्मूलन अभियानः-**म.प्र. विसबल द्वारा नक्सली/दस्यू उन्मूलन समस्या पर कारगर ढ़ंग से नियंत्रण रखकर इस समस्या के उन्मूलन में सराहनीय योगदान किया है। म.प्र. में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों की गतिविधियों पर प्रभावी ढ़ंग से नियंत्रण रखकर इस समस्या में काफी कमी लाई गई है। इससे नक्सलवादियों पर विपरीत असर पड़ा है तथा इन समस्याओं को नियंत्रित करने में काफी सफलता मिली है।
- **भारत रक्षित वाहिनी** -नक्सल विरोधी अभियान हेतु 35वीं (भा.र.) वाहिनी भारत रक्षित वाहिनी का गठन किया गया है, जिसका मुख्यालय जिला मण्डला रखा गया है तथा वर्ष-2015 में 36वी (भा.र.) वाहिनी का गठन किया गया है जिसका मुख्यालय बालाघाट में रखा गया है।

16. प्रशिक्षण शाखा

प्रशिक्षण शाखा से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:-

1. ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण का तृतीय मूल्यांन कर्कपेट्रिक पर किया गया।
2. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के लिये MCTP अंतर्गत तृतीय बैच प्रशिक्षण पर SHU के साथ प्रशिक्षण हेतु भेजा गया।
3. UNICEF & TISS के साथ टीएनए और डीएसपीए उप निरीक्षकों और कांस्टेबलों के बुनियादी प्रशिक्षण के लिए बच्चों के खिलाफ अपराध पर एक नया पाठ्यक्रम डिजाइन करना।
4. PARIMAL**(Pracademic Action Research Initiative for Multy agency Approach Lab)**के माध्यम से शोध कार्य प्रारंभ किये गये।
5. JIVA (जस्टिस इंक्लूजन एंड विक्टिम्स एक्सेस)2023 का आयोजन ।
6. डीएसपी और एसआई द्वारा उनके डीपीटी के बाद परियोजना आधारित प्रस्तुतियाँ।
7. प्रशिक्षण संस्थानों में पदस्थ विवेचना अधिकारी की माननीय न्यायालय में साक्ष्य पेशी ई. स्टूडियो के माध्यम से कराई जाना।
8. बाल अपराधों पर UNICEF मुम्बई तथा TISS के साथ सिलेबस का निर्माण किया गया तथा आरक्षक एवं उप निरीक्षक के पाठ्यक्रम में शामिल करते हुये पृथक से प्रश्नपत्र जोड़ा गया एवं परीक्षाएं ली गईं है।

नवाचार:- विधान सभा चुनाव संबंधी प्रशिक्षण के दौरान एक लाख से अधिक पुलिस कर्मियों, वनरक्षक, CAPF, होम गार्ड एवं विशेष पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदाय किया गया। विधानसभा 2023 प्रशिक्षण हेतु मप्र पुलिस अकादमी के माध्यम से डॉक्यूमेंटरी फिल्म ''तुम रहो सजग'' का निर्माण किया गया, जिसका समस्त प्रदेश के जिलों में पुलिस बल को प्रशिक्षण दिया गया साथ ही प्रशिक्षण शाखा के ऑफीशियल यू-ट्यूब चैनल पर भी 35000 से अधिक लोगों द्वारा इसका लाभ लिया गया।

17. पुलिसअग्निशमन सेवा

पुलिस अग्निशमन सेवा मध्यप्रदेश के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही क्रियान्वयन/संचालित है-

1. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन मुख्यालय, मंत्रालय भोपाल
2. प्रमुख अधीक्षक फायर, कार्यालय, लक्ष्मीबाईनगर, इन्दौर
3. मुख्य नियंत्रण कक्ष, फायर लक्ष्मीबाई नगर, इन्दौर
4. पुलिस फायर स्टेशन, लक्ष्मीबाई नगर, इन्दौर
5. पुलिस फायर स्टेशन, मोती तबेला, इन्दौर
6. पुलिस फायर स्टेशन, गाधी हाल, इन्दौर
7. अस्थाई पुलिस फायर स्टेशन, जी.एन.टी.एम. इन्दौर(अस्थाई)
8. पुलिस फायर स्टेशन, सावेर रोड, इन्दौर(अस्थाई)
9. पुलिस फायर स्टेशन, मंत्रालय भोपाल
10. पुलिस फायर स्टेशन, मालनपुर भिण्ड
11. पुलिस फायर स्टेशन, पीथमपुर धार

अग्निशमन सेवा के कुल 06 फायर स्टेशन तथा 02 अस्थाई फायर स्टेशन पर कुल 267 का बल स्वीकृत है इसके विरूद् वर्तमान कुल 215 कर्मचारी उपलब्ध है। अग्निशमन सेवा में विभिन्न प्रकार के फायर वाहनो (79 फायर वाहन एवं रेस्क्यू वाहन) के द्वारा अग्निदुर्घटनाओं का नियंत्रण सुनिश्चित किया जाता है।

पुलिस अग्निशमन सेवाए म.प्र. के फायर स्टेशनों पर उपलब्ध वाहनों की जानकारी:- संलग्न **परिशिष्ट क्रमांक- द में संलग्न है।**

फायर काल की संख्या वर्ष- 2023 में फायर काल **परिशिष्ट क्रमांक- ई में संलग्न है।**

वर्ष- 2023 की केल गंभीर अग्नि दुर्घटनाऐं - 038

वर्ष- 2023 के कुल फायर काल - 960

अग्निदुर्घटनाओं का नियंत्रण

विगत वर्ष- 2022&2023 के दौरान पुलिस अग्निशमन सेवाए म.प्र. के अंतर्गत कार्यरत् फायर स्टेशन, इंदौर, भोपाल, पीथमपुर एवं मालनपुर पर कुल 1808 फायर काल प्राप्त हुए।

अग्निशमन सेवा में उपलब्ध संसाधनों एवं अग्निशमन दल के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा पूर्ण क्षमता से कार्य करते हुए जनधन एवं राष्ट्रीय सम्पति की सुरक्षा की गई तथा गंभीर अग्नि दुर्घटनाओं को समय रहते नियंत्रित किया गया ।

क्र	फायर स्टेशन का नाम	**फायर काल** 2022	**फायर काल 2023**
01	पुलिस अग्निशमन सेवाऐं इंदौर	700	804
02	पुलिस फायर स्टेशन मंत्रालय भोपाल	30	22
03	पुलिस फायर स्टेशन पीथमपुर धार	83	80
04	पुलिस फायर स्टेशन मालनपुर भिण्ड	35	54
	कुल	848	960
	कुल फायर काल	**1808**	

नवीन दो अस्थाई फायर स्टेशन का संचालन- इन्दौर शहर की अग्निदुर्घटनाओं के नियंत्रण हेतु इन्दौर शहर के औद्योगिक क्षेत्र साँवेर रोड जो कि पूर्वी इंदौर में स्थित है इस क्षेत्र में अस्थाई नवीन फायर स्टेशन संचालित है। औद्योगिक क्षेत्र की जमीन पर फायर स्टेशन भवन का निर्माण ए0के0व्ही0एन0 के द्वारा किया गया तथा नगर निगम इन्दौर से कुछ फायरमेन प्राप्त कर वर्तमान में पुलिस अग्निशमन सेवा इदौर के द्वारा अपने संसाधनों एवं बल से इस अग्निशमन केन्द्र को संचालित किया जा रहा है। इसी प्रकार से इन्दौर के पश्चिम क्षेत्र में गुरूनानक टिम्बर मार्केट क्षेत्र में भी एक अस्थाई फायर स्टेशन संचालित है। वर्ष- 2018 के पश्चात से पदोन्नति एवं भर्ती प्रक्रिया बाधित होने के कारण बल की कमी है अतएव अन्य फायर स्टेशनों की मदद से कार्य संपादित कराया जा रहा है।

नवीन फायर स्टेशनों की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव- जिला धार के पीथमपुर सेक्टर नंबर- 3 में स्थापित पुलिस फायर स्टेशन के अंतर्गत घाटाबिल्लौद उद्योग एरिया उज्जैनीय एरिया पीथमपुर सेक्टर क्रमांक-3 है। जहां पर उद्योगिक एरिया है जिन्हें यह फायर स्टेशन कवर करता है परन्तु पीथमपुर सेक्टर क्रं-1 एवं 2 में उद्योग एरिया कर्मिशियल एवं डिजास्टर उद्योग होने से सेक्टर&1 में फायर स्टेशन खोला जाना नितांत आवश्यक है जिसके लिये एक टेंक 20 टन क्षमता का पम्प सहित एक फोम टेण्डर एक वाटर टेण्डर संसाधनों के साथ ही मेन पावर में 24 शासकीय सेवकों की आवश्यकता होगी। जिसमें 2 उप निरीक्षक, 4 सहायक उप निरीक्षक, 6 प्रधान आरक्षक एवं 12 आरक्षक फायरमेन आवश्यक होगें। जिनके क्रियाशील होने से आगजनी पर तुरन्त नियंत्रण किया जाकर शासकीय सम्पत्ति/धनहानि को रोका जा सकेगा।

अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार फायर स्टेशन अनुसार 24 नवीन पदों की स्वीकृति के संबंध में वरिष्ठ कार्यालय स्तर पर कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है।

नवाचारों एवं भावी कार्ययोजना- विभिन्न प्रकार की अग्निदुर्घटनाओं को नियंत्रित करने हेतु फायरमैन की सुरक्षा तथा फायर स्टेशनो तथा फायर वाहनों के लिए निम्नलिखित सामग्री एवं उपकरणों को आवश्यक रूप से प्रदाय किये जाने की आवश्यकता है-

- Fire Retardant cloth
- Fire Entry Suits
- Fire Fighter Goggles
- fireman Helmet and head lamp
- Fire Proximity Suits -
- Aluminum extension ladder 10.5m
- Smoke hood
- Remote Area Lighting System (RALS)
- High Pressure Portable Breathing Air Compressor
- Wireless Communication set output power 25 watt
- Hose washing machine
- Hose binding machine
- Fire Ball
- Tailor pump

18. आर.ए.पी.टी.सी. इंदौर

इतिहास

पुलिस बल में हुए विस्तार एवं प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए सशस्त्र पुलिस के प्रशिक्षण हेतु वर्ष- 1980 में इस संस्था की स्थापना की गई। वर्ष- 1988 में प्रशिक्षण संस्था को महाविद्यालय का दर्जा दिया गया। वर्ष- 2003 में इस संस्था को रूस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविघालय का नाम दिया गया।

प्रशिक्षण

पुलिस मुख्यालय द्वारा अनुमोदित कोर्स कैलेण्डर अनुसार एवं समय-समय पर पु0मु0 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पादित किये गये। वर्ष- 2023 में (दिनांक 01.01.23 से 31.12.23 तक) 16 इन सर्विस कोर्स का संचालन किया गया जिसमें 606 अधिकारी/कर्मचारियों ने भाग लिया।

(अ) बुनियादी प्रशिक्षण- 02

(ब) विभागीय प्रशिक्षण-संस्था में 2023 में 18 विभागीय कोर्स संपादित किये जाकर 1025 अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

(स) एम.टी.डी. प्रशिक्षण:- संस्था में अश्वारोही दल के अंतर्गत वित्तीय वर्ष- 2023-24 में पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा गठित अश्व क्रय समिति द्वारा लगभग 14 नये अश्व क्रय किये जाने की कार्यवाही चल रही है। क्रय उपरांत अश्वों को 21 दिवस क्वारेन्टाइन में रखा जावेगा। क्वारेन्टाइन अवधि समाप्ति पश्चात इन अश्वों का 06 माह का रिमाउन्ट ट्रेनिंग/प्रशिक्षण दिया जावेगा।

(द) संस्था में संचालित होने वाले समस्त प्रशिक्षण की प्रेसियों को अद्यतन कराया गया।

(इ) संस्था में लायब्रेरी भवन है जिसमें प्रशिक्षणार्थियों एवं संस्था के अधिकारी/कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यालय कार्य से संबंधि व ज्ञानवर्धक पुस्तके उपलब्ध करायी जा रही है।

भाग -2 बजट प्रावधान लक्ष्य एवं व्यय

वर्ष- 2023-24 में रूपये 3,28,97,337/- बजट प्राप्त हुआ, जिसमें से रूपये 2,64,04,691/-खर्च हुआ। प्राप्त बजट का 80.26 प्रतिषत उपयोग किया गया हैं । वित्तीय वर्ष- में प्राप्त आवंटन का पूर्ण उपयोग कर लिया जावेगा ।

इस संस्था में विसबल एवं जिला बल के अधिकारियों एवं जवानों हेतु मैप-रीडिंग, जंगल वारफेअर, फील्ड क्राफ्ट के साथ-साथ आधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण, योग्य प्रशिक्षकों द्वारा दिया जाता हैं। संस्था के प्रशिक्षक देश में ख्याति प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित हैं। विषयों की सुगम एवं उत्साहवर्धक जानकारी देने हेतु नवीन माध्यमों (उपकरणों) का प्रयोग किया जाता हैं। वर्तमान परिवेश में उभर रही चुनौतियों से निपटने के लिए संस्था के अधिकारी/कर्मचारियों को अरबन टेक्टिक्स कोर्स कराया गया तथा संस्था में संचालित उप निरीक्षक/उप निरीक्षक, विसबल के बुनियादी प्रशिक्षण में भी इस प्रशिक्षण का समावेश किया गया है। इस प्रकार संस्था द्वारा वर्तमान चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रशिक्षण को लगातार उन्नत करते हुए प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे वें भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना और अधिक दृढ़ता एवं सक्षमता से कर सकेंगे।

19. सायबर

1. सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा प्रदेश में पुलिस इकाईयों के लिए मध्यप्रदेश के 13 जोनल/रेंज (इंदौर/होशंगाबाद/चंबल/ग्वालियर/बालाघाट/खरगौन/उज्जैन/रतलाम/सागर/छिन्दवाडा/रीवा/शहडोल/जबलपुर) स्तर पर सायबर फॉरेंसिक यूनिट की स्थापना की गई। जिसके द्वारा मैदानी स्तर पर सायबर फॉरेंसिक यूनिट द्वारा जिला पुलिस इकाईयों को फॉरेंसिक एवं इन्वेस्टीगेशन में तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।
2. राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल के अन्तर्गत संचालित सायबर फॉरेंसिक लैब भोपाल में मध्यप्रदेश की पुलिस इकाईयों से अपराधों में जप्त विभिन्न डिजीटल डिवाईस के फॉरेंसिक परीक्षण के लिए कुल 84 कम्प्यूटर/सी.सी.टी.व्ही., 747 मोबाईल उपकरणों से महत्वपूर्ण डाटा को रिकवर कर जिलों एवं न्यायालय को फॉरेंसिक रिपोर्ट मय डिजीटल साक्ष्य प्रदाय किया गया।
3. राज्य सायबर फॉरेंसिक लैब में एडवांस मोबाईल डिवाईस अनलॉक एण्ड फॉरेंसिक सेल की स्थापना की गई है, जिससे मर्ग एवं विभिन्न सायबर अपराध जिनमें मोबाईल डिवाईस पासवर्ड लॉक थे, जो विभिन्न जिला इकाईयों द्वारा प्रेषित किये गये थे, ऐसे 63 से अधिक मोबाईल डिवाईस को सफलतापूर्वक वैधानिक रूप से अनलॉक कर डाटा रिकवर किया गया।
4. राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल के अन्तर्गत संचालित प्रशिक्षण शाखा भोपाल द्वारा वर्ष-2023 में पुलिस अधिकारियों, लोकअभियोजन अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों को सायबर क्राइम इन्वेस्टीगेशन से संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जिसकी संख्यात्मक जानकारी निम्नानुसार है।

S.No.	Year	No.of Program	No.of Trainee	Program
01	2023	26	868	Training for police

5. राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल के अन्तर्गत संचालित प्रशिक्षण शाखा भोपाल द्वारा वर्ष-2023 में समय-समय पर सायबर सुरक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये। जिसकी संख्यात्मक जानकारी निम्नानुसार है।

S.No.	Year	No.of Program	No.of Trainee	Program
01	2023	2051	1180245	Awareness for Public

6. सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा पुलिस दूरसंचार पुलिस मुख्यालय भोपाल से समन्वय कर सायबर हेल्पलाईन 1930 व डायल 100 का इंटीग्रेशन का कार्य पूर्ण किया जाकर वर्तमान में कार्य संपादित किया जा रहा है।
7. राज्य सायबर पुलिस मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस के तत्वाधान में यूनीसेफ के सहयोग से दिनांक 12 से 22 सितंबर 2022 तक सायबर क्राइम इन्वेस्टीगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट (CIIS-2022) हाइब्रिड मोड (ऑफलाइन-दिनांक 12 से 14 सितंबर 2022 एवं ऑनलाइन- दिनांक 12 से 22 सितंबर 2022) में सफलतापूर्वक आयोजित कराया गया। उक्त समिट में दिनांक 12 से 14 तक ऑफलाइन मोड में संपूर्ण भारत से केंद्रीय एवं प्रादेशिक लॉ एंफोर्समेंट एजेंसियों, न्यायिक व अभियोजन संस्थाओं, सुरक्षा एवं अर्द्ध सैनिक बलों एवं खूफिया एजेंसियों आदि के 300 से अधिक अधिकारीगण सम्मिलित हुए तथा दिनांक 12 से 22 तक आयोजित ऑनलाइन समिट में 7000 से अधिक अधि/कर्मचारी सम्मिलित हुए। CIIS भारत के सबसे बड़े एवंसफल आयोजनों में से एक है। इसमें न केवल राष्ट्रीय स्तर के विशिष्ट व्याख्याताओं एवं वरिष्ठ अधिकारियों बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सायबर विशेषज्ञों द्वारा सायबर क्राइम इन्वेस्टीगेशन एंड इंटेलिजेंस से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षणार्थियों को व्याख्यान प्रदान किये गए।
8. CIIS-2022 में दिनांक 13 से 14 सितंबर 2022 को ऑफलाइन एक्सपो का आयोजन किया गया जिसमें सायबर अनुसंधान एवं डिजिटल फॉरेंसिक टूल की ख्याति प्राप्त निर्माता विशेषज्ञ कंपनियों द्वारा अपने सर्वोत्तम तकनीकी टूल्स एवं सॉफ्टवेयर प्रदर्शित किये गये एवं प्रशिक्षणार्थियों को सायबर अनुसंधान विश्लेषण एवं डिजिटल फॉरेंसिक के संबंध में विशिष्ट जानकारियां प्रदान की।
9. राष्ट्रीय स्तर पर दिनांक 31 अगस्त 2022 को एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली में आयोजित द्वितीय नेशनल कान्फ्रेंस ऑफ स्टेट सायबर नोडल ऑफिसर्स में राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल मध्यप्रदेश को सायबर क्राइम केस इनवेस्टीगेशन में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
10. वर्ष- 2022 में उत्कृष्ट विवेचना हेतु डाटा सिक्योरिटी काउन्सिल ऑफ इंडिया (DSCI) नई दिल्ली द्वारा "India Cyber Cop of the Year" श्रेणी में भारत के सभी राज्यों में से राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल म.प्र. को**द्वितीय**स्थान प्राप्त हुआ।
11. वर्ष- 2022 में डाटा सिक्योरिटी काउन्सिल ऑफ इंडिया (DSCI) नई दिल्ली द्वारा "Excellence in Capacity Building" श्रेणी में भारत के सभी राज्यों में से राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल म.प्र. को**प्रथम स्थान**प्राप्त हुआ।
12. राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय म.प्र. को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (फिक्की) द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रदाय किये जाने वाला फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड- 2022 की ट्रेनिंग एण्ड केपिसिटी बिल्डिंग में स्पेशल ज्यूरी अवार्ड प्रदाय किया गया।
13. सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल में वर्ष- 2023 में कुल 161 सायबर अपराध पंजीबद्ध हुए जिनमें कुल 62 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है।

नवाचारों एवं नवीन कार्य योजनाओं के संबंध में जानकारी –

राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा निम्नानुसार नवीन कार्ययोजना की जाना प्रस्तावित है–

- मध्यप्रदेश राज्य में कुल**972** थानों में सायबर डेस्क की स्थापना।
- मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में एडवांस टेक्निकल सेल की स्थापना।
- मध्यप्रदेश के राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय भोपाल में एडवांस प्रशिक्षण सेंटर की स्थापना।
- मध्यप्रदेश के समस्त अनुसंधान अधिकारियों को सायबर अपराध विवेचना संबंधी प्रशिक्षण।
- मध्यप्रदेश में सायबर कंसल्टेंट की नियुक्ति।

20. राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो

सी.सी.टी.एन.एस. शाखा

सी.सी.टी.एन.एस. प्रोजेक्ट के तकनीकी संचालन हेतु रा.अ.अ.ब्यूरो पुलिस मुख्यालय भोपाल में सी.सी.टी.एन.एस. कमाण्ड एवं कंट्रोल रूम स्थापित कर प्रदेश के 1110 थानों एवं 638 वरिष्ठ कार्यालयों में सी.सी.टी.एन.एस. एवं कम्प्यूटर नेटवर्क की एकीकृत मॉनीटरिंग की जाती है। सी.सी.टी.एन.एस. में कुल 212 रिपोर्ट्स, 43 रजिस्टर एवं 73 मॉड्यूल उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से अपराध से संबंधित जानकारी निकाली जा सकती है। इसके साथ ही समस्त थानों एवं वरिष्ठ कार्यालयों को National Portal जैसे Interoperable Criminal Justice System (ICJS) and National Database of Sexual Offender (NDSO) Portal, ITSSO, Cri-MAC,National Database of Human Traffickers (NDHT), National Database of offenders of foreiqn origin (NDOFO) प्रदान किया गया है। जिससे समस्त राज्यों के अपराध एवं अपराधियों की जानकारी थाना स्तर पर सुलभ हो गई है।

- सी.सी.टी.एन.एस. प्रोजेक्ट के सिस्टम इंटीग्रेटर एच.सी.एल.टी. के निर्गम उपरान्त प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन का कार्य 01 जुलाई 2021 से MPSeDC द्वारा किया जा रहा है।
- सी.सी.टी.एन.एस. प्रोजेक्ट की निरन्तरता हेतु नवीन पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव राशि रूपये- 10287.51 लाख रूपये की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदाय की जा चुकी हैं। प्रथम चरण में 992 कम्प्यूटर 446 थानो को प्रदान किये जा चुके है व द्वितीय चरण प्रगति पर है।
- सी.सी.टी.एन.एस. के संचालन एवं सपोर्ट के लिए जिला स्तर पर विभागीय SPOC (स.उ.नि.(क.)/ प्र.आर.(क.)) की पदस्थापना की गयी है।
- सी.सी.टी.एन.एस. अंतर्गत “e-विवेचना App” के माध्यम से विवेचक को घटना स्थल की फोटोग्राफी/ विडियोग्राफी करने, अपराध विवरण फार्म, केस डायरी को Text to speech के माध्यम से भरकर विवेचना करने की सुविधा प्रदान की गई है। उक्त योजना 26 नवम्बर 2021 से प्रारंभ हुई हैं। अनुसंधान के महत्वपूर्ण Events एवं साक्ष्यों की Time Stamping एवं Geo Tagging स्वतः होना, घटनास्थल के फोटो/ विडियो एवं साक्षियों के कथन मौके पर दर्ज करने की सुविधा होने से विवेचना अधिक विश्वसनीय एवं पारदर्शी होने लगी है। आज दिनांक 15.01.2024 तक इस एप के माध्यम से कुल 47867 से अधिक प्रकरणों (FIR) में केस डायरी – 151873, अपराध विवरण- 10329, फोटो/विडियो -23434 एन्ट्रीज की गई हैं। जिस हेतु 1748 टेबलेट 425 थानों में वितरित किए गए हैं।

इस नई पहल को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है-

1. **"DIGITAL INDIA AWARD 2022" (Platinum Digital Initiative at Grassroots Level)**
2. **"SKOCH AWARD 2022" e-Governance Gold award**
3. **"FICCI" Smart Policing Award 2022**
4. **ICJS (Inter-operable Criminal Justice System)** –मध्यप्रदेश द्वारा ICJS के पांचों Pillars (ई-कोर्ट, ई-प्रिजन, एफ.एस.एल., पुलिस एवं प्रोसीक्यूशन) का Integration शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। जिससे इन सभी Pillars के मध्य Data सुगमता से Exchange हो रहा है। जिससे कई ऐसे अपराधी की जानकारी प्राप्त हो रही है जो अन्य राज्यों की जेल में बंद है, साथ ही passport verification एवं Character verification में भी दूसरे राज्यों के अपराधियों का क्राइम डेटाबेस सर्च किया जा सकता है।

   राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, पुलिस मुख्यालय, भोपाल, म.प्र. को ICJS के सफल क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा सराहा गया है। वर्ष- 2023 में NCRB के द्वारा समस्त राज्यों में मध्य प्रदेश को पुलिस पिलर अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

5. **"M.P.e-Rakshak" The Smart Cop App-** मैदानी स्तर पर तैनात पुलिसकर्मियों को तकनीकी रुप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से e-Rakshak Mobile App विकसित किया गया है । जिसकी मदद से पुलिसकर्मी कहीं भी एवं किसी भी समय अपराधी एवं अपराध से संबंधित जानकारी तत्काल प्राप्त कर सकते है। इस एप में हिस्ट्रशीटर, अल्फाबेट रजिस्टर, फेस रिकॉग्नीशन, व्हीकल सर्च, व्हीकल अलर्ट जनरेट, advanced accused search, FIR search, Missing Person search, Dead body search आदि महत्वपूर्ण सुविधायें प्रदान की गईं हैं, जिनके उपयोग से पुलिस विवेचना एवं अन्य कार्यवाहियों में बहुत मदद मिल रही है। आज दिनांक तक कुल 10,000+ उपयोगकर्ताओं द्वारा इस एप को डाउनलोड किया गया है। वर्ष- 2023 में नवीन पहल के रूप में सम्पूर्ण भारत में एन.सी.आर.बी. द्वारा तृतीय स्थान प्राप्त हुआ हैं।

6. e-DSR Portal-

इसके माध्यम से विभिन्न अपराधों की head wise रिपोर्ट एक ही क्लिक पर सर्च की जा सकती है। उक्त पोर्टल के माध्यम से विभिन्न Head मे विभिन्न अपराधों की निम्नानुसार सर्च रिपोर्ट निकाली जाती है-(a) Crime search, (b) Crime record search with photo and Act/Section, (c) Elastic search, (d) Case progress report.

7. Integrated Social Media Web Portal for Districts-

SCRB द्वारा समस्त जिलों के Social Media Web Page तैयार किये गए है, जिसके माध्यम से प्रेस नोट एवं Social Media की जानकारी सहज रूप से उपलब्ध होगी। किसी भी जिले की website को<District Name>.mppolice.gov.in से access किया जा सकता है।

8. M.P. Crime Analysis Dashboard-

मध्यप्रदेश क्राइम डैशबोर्ड के माध्यम से पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपराधों की दिन-प्रतिदिन मॉनीटरिंग की जा सकती है। डैशबोर्ड में विभिन्न प्रकार की सांख्यिकी एवं Monitoring Reports निम्नानुसार तैयार करने की सुविधा है-

(a) State at a Glance

(b) District and Police Station at a Glance

(c) Crime Analysis

(d) e-FIR Monitoring

(e) Case Progress Analysis

9. **MAC Portal-**Mac Portal के माध्यम से जिलो से मासिक अपराध विश्लेषण (अपराध) की जानकारी संकलित कर गृह विभाग/पुलिस मुख्यालय की अन्य शाखाओं को जानकारी उपलब्ध कराना।

10. पुलिस व्यवस्था सुदृढिकरण हेतु तकनीकी पहल-

1. E-MAIL-म.प्र. पुलिस हेतु स्वतंत्र ई-मेल (mail.mppolice.com) सुरक्षित संचार सेवा प्रणाली का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में 96809 ई-मेल अकाउंट पर प्रतिदिन लगभग 1,40,000ई-मेल का आदान- प्रदान किया जा रहा है।

2. **SCRB Data Centre** म.प्र. पुलिस का कम्प्यूटर Data Centre संचालित है पुलिस ईकाईयों को सुरक्षित इंटरनेट एवं Wi-Fi सुविधा उपलब्ध करा रहा है।

11. Digital Workplace Solution ई-ऑफिस –

राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा पुलिस मुख्यालय एवं पुलिस की अन्य ईकाइयों में ई-ऑफिस क्रियान्वित किया गया। ई-ऑफिस से फ़ाइलों को खोजना, पुनर्प्राप्त करना और ट्रेक करना आसान होता है इसके साथ ही फ़ाइलों का भंडारण सुरक्षित और आसान हो गया है। ई-ऑफिस दक्षता, पारदर्शित एवं जवाबदेही बढ़ाता है साथ ही काम कागजी कार्यालय को बढ़ावा देता है।

सी.सी.टी.एन.एस. प्रोजेक्ट के अंतर्गत सिटीजन पोर्टल के माध्यम से निम्न सुविधाएं नागरिकों को प्रदान की जा रही है-

1. e-FIR दर्ज करने की सुविधा प्रदान की गई हैं।
2. ऑनलाईन चरित्र सत्यापन की सुविधा ।
3. एफआईआर देखने की सुविधा ।
4. ऑनलाईन शिकायत करने की सुविधा।
5. 24 घंटे में गिरफ्तार हुये व्यक्ति को देखने की सुविधा ।
6. गुम दस्तावेज तथा मोबाइल की सूचना पुलिस को देना तथा इलेक्ट्रानिक पावती प्राप्त करने की सुविधा।
7. गुमशुदा व्यक्ति का पंजीकरण करना एवं गुमइंसान तथा अज्ञात शव की जानकारी को सर्च करने की सुविधा दी गई है।

8. लूट/चोरी गये एवं बरामद वाहन की सर्च की सुविधा प्रदान की गई है।
9. पुलिस हेतु सूचना की सुविधा।
10. किरायेदार/पीजी (Paying Guest)की सूचना।
11. घरेलू/ असंगठित व्यवसायिक सहायक की सूचना।
12. समस्त प्रदेश के कार्यालयो की Phone Directory उपलब्ध हैं।
13. एकल महिला के पंजीकरण की सुविधा।
14. वरिष्ठ नागरिक के पंजीकरण की सुविधा।
15. चोरी या गुम हुये मोबाईल को ब्लॉंक/अन-ब्लॉंक करने की सुविधा (CEIR)।
16. संचार साथी पोर्टल के माध्यम से आपके नाम पर कितने सिम कार्ड सक्रिय है, देखने की सुविधा (KYM)।

• मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा नागरिक सेवाओं के अंतर्गत e-FIR दर्ज करने की सुविधा प्रारंभ की गई है। जिसके माध्यम से नागरिक Online ही सम्बंधित थाने को चोरी की घटना के सम्बन्ध में e-FIR के माध्यम से स्वयं ही रिपोर्ट दर्ज कर सकते है। इस सेवा का उपयोग केवल वाहन चोरी एवं साधारण चोरी के मामलों में किया जा सकता है नागरिकों द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस की website अथवा Citizen Portal https://citizen.mppolice.gov.in पर e-FIR दर्ज की जा सकती है। उक्त e-FIR आवेदन पर FIR दर्ज होने के उपरान्त आवेदक को अपनी FIR के विभिन्न चरणों की अद्यतन स्थिति SMS एवं e-Mail के माध्यम से प्राप्त होती है। उक्त योजना 06 अक्टूबर 2021 में प्रारंभ की गई थी आज दिनांक 15.01.2024 तक कुल –8932 e-FIR प्राप्त हुई हैं।

• सिटीजन पोर्टल में नागरिकों को "Online चरित्र सत्यापन" प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यह एक सशुल्क सुविधा है (प्रति थाना ₹100) जो BPL कार्ड धारक हेतु निशुल्क है। पूर्व में उक्त राशि आवेदक को बैंक जाकर चालान द्वारा जमा कर, चालान की प्रति पोर्टल पर अपलोड करना पड़ती थी। अब यह शुल्क बिना बैंक गए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा किया जा सकेगा। आवेदक अपने Credit/Debit Card, Internet Banking, UPI आदि के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। BPL कार्ड धारक यह सुविधा अपनी "समग्र आई.डी." नंबर इंद्राज कर निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे।

• पुलिस मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं में से 20 शाखाओं में ई-ऑफिस कार्यप्रणाली के लॉगिन आई.डी., ऑफिस स्ट्रक्चर एवं प्रशिक्षण संबंधी कार्य पूर्ण किया जाकर उक्त शाखाओं में ई-ऑफिस में कार्य प्रारम्भ करने हेतु लेख किया जा चुका है। इसके साथ-साथ पुलिस कमिश्नरेट भोपाल, इंदौर व 25 वीं वाहिनी भोपाल में भी सेटअप संबंधी कार्य पूर्ण कर कार्य प्रारम्भ करने हेतु लेख किया गया है। पुलिस मुख्यालय की शेष 4 शाखाओं का कार्य प्रगति पर है।

सांख्यिकी शाखा

क्राइम इन इण्डिया- राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो की सांख्यकीय शाखा द्वारा एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली द्वारा निर्धारित प्रोफॉर्मानुसार मध्यप्रदेश के समस्त जिलों से भा.द.वि. एवं अन्य विधान अंतर्गत पंजीबद्ध अपराधों की जानकारी का सम्पूर्ण विवरण, आकस्मिक दुर्घटना एवं आत्महत्या में मृत्यु की जानकारी, न्यायालय मे प्रस्तुत प्रकरणें, न्यायालय द्वारा निराकरण एवं लम्बित प्रकरणों की जानकारी, गम्भीर अपराधों की जानकारी, बालक-बालिकाओं के विरूद्ध घटित अपराध, बालक-बालिकाओं द्वारा घटित अपराध, महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराध, एससी/एसटी के विरूद्ध घटित अपराध एवं अपराधो के घटना स्थल आदि से सम्बधित वार्षिक जानकारी संकलित कर एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली को प्रेषित की जाती है। जिसके माध्यम से एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली द्वारा क्राइम इन इण्डिया एवं राज्य अपराध ब्यूरो द्वारा क्राइम इन एम.पी. पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है।

एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली द्वारा वर्ष- 2022 की जानकारी तैयार कर प्रकाशित की जा चुकी है। जिसकी प्रति एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली की बेबसाईट www.ncrb.gov.in पर उपलब्ध है। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा वर्ष- 2022 की जानकारी तैयार की जाकर ''क्राइम इन एमपी'' नामक पुस्तक प्रकाशित की जा रही है एवं मध्यप्रदेश पुलिस की बेबसाईट www.mppolice.gov.in पर भी अपलोड की जावेगी।

वेबसाइट शाखा

मध्यप्रदेश पुलिस की वेबसाइट (https://www.mppolice.gov.in) संचालित की जाती है।

म.प्र. पुलिस वेबसाइट, भारत सरकार की गाइडलाइन GIGW, W3C पर आधारित है तथा नियमानुसार सिक्यूरिटी ऑडिट करवाया जाता है एवं समय समय पर बैकअप लिया जाता है। म.प्र. पुलिस की वेबसाइट के माध्यम से अपराधों के मासिक व वार्षिक आंकड़े Dashboard only for higher officers Portal द्वारा सिंगल क्लिक पर उपलब्ध कराये जाते हैं जिससे थाना/जिले/प्रदेश के अपराध विश्लेषण, केस प्रगति रिपोर्ट आदि की जानकारी से अधिकारियों को अपडेट रखने में सहायता प्राप्त होती है। वेबसाइट पर समय समय पर Circulars तथा आर्डर उपलब्ध कराये जाते हैं जिसके माध्यम से विभाग की विभिन्न शाखाओं में हुए आवश्यक परिवर्तनों की अद्यतन जानकारी दी जाती है।

म.प्र. पुलिस वेबसाइट द्वारा सी.सी.टी.एन.एस. के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान की गयी हैं जिनमें अशासकीय सेवा हेतु चरित्र प्रमाणपत्र अनुरोध, खोई संपत्ति पंजीयन, पुलिस हेतु सूचना, शिकायत पंजीकरण, किरायेदार/पीजी सूचना पंजीयन, नागरिक प्रतिक्रिया, घरेलू/असंगठित व्यवसायिक सहायक पंजीयन सम्मिलित हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों के थाना क्षेत्र में चोरी/लूटे गए वाहन, गुमशुदा व्यक्ति, जब्त वाहन, अज्ञात शव, गिरफ्तार व्यक्ति आदि की वांछित जानकारी उपलब्ध करायी जाती है।

म.प्र. पुलिस की वेबसाइट पर विभिन्न विषयों जैसे सामुदायिक पुलिस, आवागमन शिक्षा, साइबर सुरक्षा, सूचना सुरक्षा जागरूकता, महिला एवं बच्चे से संबंधित Public Advisory प्रदर्शित की जाती है।

नेटवर्क सर्वर

उक्त शाखा द्वारा पुलिस मुख्यालय स्थित सभी कार्यालयों में Dedicated Network के माध्यम से लगभग 1000 कम्प्यूटर्स पर High Speed इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस हेतु स्वयं संचालित Zimbra आधारित ई-मेल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिस पर वर्तमान में 96733 E-mail ID उपलब्ध है,

अंगुल चिन्ह ब्यूरो

अंगुल चिन्ह विशेषज्ञों द्वारा घटनास्थल से अपराधी के फिंगर प्रिंट खोजने, दण्डित एवं गिरफ्तार अपराधियों का रिकार्ड संग्रहण, विवादित दस्तावेजों पर अंगुष्ठ चिन्हों की जांच एवं विशेषज्ञ मत तथा घटनास्थल पर प्राप्त चांस प्रिंट का परीक्षण कर अभिमत देना आदि कार्य संपादित किए जाते हैं, साथ ही मध्यप्रदेश में समस्त जिलों में NAFIS (NATIONAL AUTOMATED FINGER PRINT IDENTIFICATION SYSTEM) एवं MCU (Measurement Collection Unit) के संचालन का कार्य भी संपादित किया जाता है। अंगुल चिन्ह ब्यूरो तथा समस्त जिला इकाईयों से प्राप्त एवं फिंगर प्रिंट

पोर्टल पर अपलोड जानकारी के आधार पर**वर्ष- 2023**में किए गए कार्यों का आंकड़ेवार विवरण निम्नानुसार है-

- **NAFIS(National Automated Finger Print Identification System) का क्रियान्वयन एवं अपराधियों की पहचान में योगदान**:- गृह मंत्रालय, भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो(NCRB) नई दिल्ली के निर्देशन में माह नवम्बर 2021 से प्रदेश में कुल-83 NAFIS वर्क स्टेशंस में जिला स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपराधियों की पतारसी कर संपत्ति संबंधी अपराध– नकबजनी आदि, अज्ञात शव व अंधे क़त्ल संबंधी प्रकरणों में विशेष सफलता प्राप्त कर निम्नानुसार उल्लेखनीय सफलताएँ प्राप्त की गयीं। इस प्रणाली के माध्यम से आलोच्य अवधि में घटनास्थल से प्राप्त चांस प्रिंट को सर्च करने पर कुल- 261 प्रकरणों में आरोपियों की पहचान कर सफलता प्राप्त की गयी है, जिनमें से 46 प्रकरण अंतर्राज्जीय हैं। 21 प्रकरण अज्ञात हत्या (06 प्रकरण अज्ञात मर्ग सहित), 239 प्रकरण संपत्ति संबंधी अपराध एवं 01 प्रकरण अपहरण एवं बलात्कार संबंधी हैं।
- **घटनास्थल भ्रमण एवंवस्तु प्रकरण:-** म.प्र. के विभिन्न थानों से वर्ष- 2023 में महत्वपूर्ण घटनास्थलों की सूचना प्राप्त होने पर अंगुल चिन्ह विशेषज्ञ द्वारा कुल– 5532 घटनास्थल के निरीक्षण का कार्य किया गया। कुल - 2694 घटनास्थलों पर कुल – 12926 चांस प्रिंट प्राप्त हुए। म.प्र. के विभिन्न जिलों से वर्ष- 2023 में कुल- 424 प्रकरण ब्यूरो में सत्यापन हेतु प्राप्त हुए, जिनमें परीक्षण उपरांत कुल - 139 प्रकरण अभिन्न (IDENTICAL), कुल - 278 प्रकरण भिन्न (NON-IDENTICAL) तथा कुल - 07 प्रकरण तुलना हेतु अनुपयुक्त(UNFIT) रहे।
- **दस्तावेज प्रकरण:-** वर्ष- 2023 में म.प्र. के विभिन्न जिला इकाइयों से तथा लोकायुक्त, एस.टी.एफ., आर्थिक अपराध शाखा तथा से विवादग्रस्त दस्तावेजों पर लगे अंगुल चिन्ह का परीक्षण एवं विशेषज्ञ मत संबंधी कुल– 92 प्रकरण शाखा में प्राप्त हुए जिनमें कुल- 69 प्रकरण अभिन्न (IDENTICAL), कुल– 19 प्रकरण भिन्न (NON-IDENTICAL) तथा कुल- 04 प्रकरण अनुपयुक्त (UNFIT) रहे। इस प्रकार विवादित दस्तावेजों के प्रकरणों में अपराधियों के विरुद्ध साक्ष्य उपलब्ध कराने में विवेचनाधिकारियों को सहायता प्रदान की गयी।

- **फिंगर प्रिंट लैब:-** म.प्र. में अंगुल चिन्ह विशेषज्ञों को अंगुल चिन्ह विज्ञान से संबंधित आधुनिक तकनीक में प्रशिक्षित करने हेतु फिंगर प्रिंट ब्यूरो, पुलिस मुख्यालय भोपाल(म.प्र.) में फिंगर प्रिंट लैब स्थापित की गयी है, जिसमें प्रदेश के अंगुल चिन्ह विशेषज्ञों को अंगुल चिन्ह विज्ञान की आधुनिक तकनीक(रासायनिक एवं भौतिक) का प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा इस क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य भी किया जा रहा है।

दण्डित एवं गिरफ्तार व्यक्तियों की फिंगर प्रिंट स्लिप्स तैयार कर अपराधियों का डाटाबेस सुदृढ करना:-

- म.प्र. के विभिन्न जिलों में वर्ष- 2023 में जिला अभियोजन कार्यालय से कुल-84745 दण्डित व्यक्तियों की रिकॉड स्लिप प्राप्त हुयी, जिन पर कार्यवाही पूर्ण कर NAFIS में इन्द्राज उपरान्त अभिलेख हेतु जिला मुख्यालय तथा अंगुल चिन्ह ब्यूरो भोपाल में रखी गयी है।
- म.प्र. के विभिन्न जिलों में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की अंगुल चिन्ह की धाराओं के अंतर्गत अंगुल चिन्ह सर्च स्लिप तैयार की जाती है। वर्ष- 2023 में म.प्र. के पुलिस थानों से कुल – 112703 सर्च स्लिप NAFIS डाटाबेस में इन्द्राज/सर्च हेतु प्राप्त हुई जिनमें से जिला स्तर पर एफिस से परिणाम प्राप्त कर संबंधित इकाइयों को जानकारी भेजी गयी।

- **अंगुल चिन्ह प्रशिक्षण :-** दण्डित अपराधियों की अंगुल चिन्ह स्लिप्स अभियोजन कार्यालय में तैयार की जाती है। गिरफ्तार व्यक्तियों की अंगुल चिन्ह स्लिप थाना स्तर पर तैयार की जाती हैं। इसके अतिरिक्त विवेचनाधिकारियों द्वारा दस्तावेज एवं वस्तु प्रकरणों में आदर्श अंगुल चिन्ह स्लिप्स तैयार की जाती है। तैयार की गयी अंगुल चिन्ह स्लिप स्पष्ट, साफ़ एवं तुलना योग्य होना आवश्यक है। इस हेतु अंगुल चिन्ह विशेषज्ञों के द्वारा प्रशिक्षण दिए जाते हैं । वर्ष- 2023 में कुल- 9524कोलेटर/कोर्ट मोहर्रिर, विवेचनाधिकारी तथा अन्य पुलिसकर्मियों को थाना स्तर एवं जिला मुख्यालय स्तर पर अंगुल चिन्ह संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- **Finger Print Portal:-**म.प्र. में अंगुल चिन्ह कार्यालय को पेपरलेस करने के उद्देश्य से Finger Print Portal विकसित किया गया है। इस नवाचार में देश का प्रथम एवं एकमात्र राज्य है।

21. विशेष शाखा

विशेष शाखा का दायित्व एवं सामान्य जानकारी

- विशेष शाखा द्वारा कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा की स्थिति पर सतत् निगाह रखी जाती है । आसूचना संकलन, आसूचना विश्लेषण, महत्वपूर्ण व्यक्तियों/संस्थानों की सुरक्षा एवं विदेशी नागरिकों से संबंधित एवं चरित्र सत्यापन संबंधी कार्य किया जाता है। राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर की समस्त प्रकार की सूचनाओं का संकलन कर, शासन एवं संबंधित ईकाई प्रमुखों को आवश्यक कार्यवाही हेतु अवगत कराया जाता है।
- विशेष शाखा मुख्यालय में कुल 25 अनुभाग कार्यरत है। इन अनुभागों के अतिरिक्त आर्थिक आसूचना सेल, एमटी सेल, तकनीकी सेल, आईओ अनुभाग, विशेष शाखा प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत है। विगत वर्षो में विशिष्ट इकाई एटीएस, सीएम सुरक्षा, हॉक फोर्स, एसआईबी, सीआईजेडब्लू एवं सुरक्षा वाहिनी का गठन किया गया है, जो वर्तमान में विशेष शाखा के अधीन कार्यरत है।
- इसके अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय परिसर में राज्य स्थिति कक्ष स्थित है, जो 24 घंटे कार्यरत रहकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर निगरानी रखने के साथ ही आसूचना संकलन एवं महत्वपूर्ण घटनाओं का आदान-प्रदान करता है।

विशेष शाखा, म0प्र0 की संरचना

- विशेष शाखा का मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय भोपाल परिसर में स्थित है और इसके प्रमुख अतिरिक्त पुलिसमहानिदेशक, गुप्तवार्ता है। विशेष शाखा मुख्यालय में वर्तमान में 01 अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, 02 पुलिस महानिरीक्षक, 02 पुलिस उप महानिरीक्षक, 07 समनि/ पुलिस अधीक्षक/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी है। इसके अतिरिक्त विशेष शाखा मुख्यालय में 14 उप पुलिस अधीक्षक पदस्थ है।

- मुख्यालय स्तर पर प्रदेश को 08 जोन में विभाजित किया गया है। भोपाल/इंदौर/ जबलपुर/ग्वालियर/उज्जैन/सागर/रीवा/बालाघाट में जोनल पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा के कार्यालय स्थापित किये गये हैं व उनके अधीन 06 क्षेत्रीय अधीक्षक एवं 38 क्षेत्राधिकारी पदस्थ है।

विशेष शाखा के आधुनिकीकरण हेतु किये गये प्रयास

- आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2021-22 में रू.174.72 लाख (एक करोड़ चौहत्तर लाख बहत्तर हजार रूपये) का उपयोग सुरक्षा उपकरणों के क्रय हेतु किया गया।

- होमलैण्ड सुरक्षा योजना अंतर्गत रू.29.85 लाख (उनतीस लाख पिच्यासी हजार रूपये) उपयोग सुरक्षा उपकरणों के क्रय हेतु किया गया ।

- गैर आयोजना मद अंतर्गत उपकरणों मद में प्राप्त आवंटन रू.2922.00 लाख (उनतीस करोड़ बाईस लाख रूपये) का उपयोग विभिन्न प्रकार के अत्याधुनिक उपकरण/सामग्रियों के क्रय हेतु किया गया।
- गैर आयोजना मद अंतर्गत नवीन वाहनों के क्रय मद में प्राप्त आवंटन रू.500.00 लाख (पांच करोड़ रूपये) का उपयोग नवीन वाहन के क्रय हेतु किया गया।

- वर्दियों का क्रय मद अंतर्गत प्राप्त बजट रू.13.50 लाख (तेरह लाख पचास हजार रूपये) का उपयोग वर्दियों के क्रय हेतु किया गया।

- पासपोर्ट सेवाकोष अंतर्गत कार्यालयीन उपकरणों/फर्नीचर के क्रय हेतु प्राप्त बजट रू.31.85 लाख (इकत्तीस लाख पिच्यासी हजार रूपये) का उपयोगकिया गया।

- गैर आयोजन मद अंतर्गत कार्यालयीन उपकरणों/फर्नीचर के क्रय हेतु प्राप्त बजट रू.61.83 लाख (इकसठ लाख तिरासी हजार रूपये) का उपयोग किया गया।

- एस.आई.एस योजना अंतर्गत प्राप्त बजट रू.186.63 लाख (एक करोड़ छियासी लाख तिरेसठ हजार रूपये) का उपयोग अत्याधुनिक उपकरण के क्रय हेतु किया गया।

- मान. उच्च न्यायालयों की सुरक्षा हेतु प्राप्त बजट आवंटन अंतर्गत रू.35.40 लाख (पैंतीस लाख चालीस हजार रूपये) के सुरक्षा उपकरणों का क्रय किया गया।

एटीएस की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- मई 2023 में एटीएस, मध्येप्रदेश द्वारा योजनाबद्ध तरीके से रेड करके कट्टरपंथी संगठन हिज्ब -उत-तहरीर/ तहरीक-ए-खिलाफ (HuT/TeK) के 16 सदस्योंस को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से भोपाल के 10, छिन्द्वाड़ा का 01 तथा हैदराबाद के 05 सदस्यि शामिल हैं । गिरफ्तार आरोपियों से भारी मात्रा में जिहादी साहित्य्, तकनीकी उपकरण, एयरगन, छर्रे, कॉम्बेमट नाईफ, आयरन रॉड, चाकू, गुप्तियाँ, तलवारबरामद किये गए हैं । प्रकरण अग्रिम विवेचना हेतु एनआई को स्थोनांतरित किया गया है ।

- मई 2023 में एनआईए एवं एटीएस मध्यप्रदेश द्वारा जबलपुर में चलाये गये संयुक्त गोपनीय अभियान में जबलपुर के विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर ISIS Module के संदिग्ध आरोपियों को 03 गिरफ्तार कर आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड किया गया। तलाशी के दौरान आरोपियों के घरों से भारी मात्रा में धारदार हथियार, गोला बारूद, आपतिजनक दस्तावेज एवं डिजिटल उपकरण जप्त किये गये। गिरफ्तार आंतकी ISIS के इशारे पर भारत में हिंसक आतंकी हमले करने तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्मो के साथ-साथ जमीनी स्तर पर "Dawah" कार्यक्रम आयोजित कर ISIS का प्रचार कर रहे थे।
- अगस्त 2023 में विश्वमस्तत मुखबिर की सूचना पर फरार नक्सोली अशोक रेड्डी उर्फ बलदेव उम्र 62 साल निवासी गोलकुंडा तेलंगाना एवं उसकी पत्नी रैमती उर्फ कुमारी पोटाई उम्र 43 साल निवासी जिला नारायणपुर, छत्तीससगढ़ को जबलपुर से गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की गई । आरोपी अशोक रेड्डी प्रतिबंधित संगठन CPI (Maoist) की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्यतथा उसकी पत्नी रैमती उर्फ कुमारी पोटाई उत्तोर बस्तलर क्षेत्र में पार्टी के लिए प्रेस का कार्य संभालती थी । आरोपी अशोक रेड्डी के विरुद्ध तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में60 अपराध पंजीबद्ध तथा इसकी गिरफ्तारी पर 82 लाख रूपये का ईनाम घोषित किया गया था । आरोपियों के पास से एक पिस्टल मय कारतूस, तीन लाख रुपये से अधिक की नगद राशि एवं प्रतिबंधित संगठन CPI (Maoist) का साहित्य बरामद किया गया है। प्रकरण में आरोपियों की निशान देही पर इनके 02 अन्य सहयोगी नक्ससली धन सिंह पुंगाटी एवं छेरकूराम तुलावी की गिरफ्तारी की गई है । प्रकरण वर्तमान में विवेचनाधीन है ।
- दिसंबर 2022 में बोगस बिल की ख़रीद फ़रोख़्त कर GST टैक्स चोरी पर से ATS में कुल 08 अपराध धारा 420,467,468,471 IPC में पंजीबद्ध किए गए थे, जिनमें से वर्ष 2023 में 02 प्रकरणोंकी विवेचना के दौरान कुल 05 आरोपियों को गिरफ़्तार किया जाकर दिसंबर 2023 में अभियोग पत्र न्याकयालय में प्रस्तुधत किया जा चुका है । जीएसटी के अन्यब प्रकरण वर्तमान में विवेचनाधीन है ।

नक्सल समस्या से संबंधित महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ

- वर्ष 2024 में राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को क्षति कारित करने की नियत से धुपाकर रखे गए 05 डंप जप्त कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री तथा नक्सल साहित्य बरामद किया गया। इस अवधि में विभिन्न पुलिस- नक्सल मुठभेड़ों में 04 ईनामी होर्डकोर नक्सली सरिता, सुनीता, कमलू तथा चैतू को धराशायी हुए तथा SZCM अशोक रेड्डी उर्फ बलदेव को उसकी पत्नी ACM रेमती के साथ गिरफ्तार किया गया।

<u>आंतरिक सुरक्षा</u>

- आंतरिक सुरक्षा अंतर्गत प्रदेश के विमानतल, विधानसभा, मंत्रालय,न्यायालय परिसर, पुलिस मुख्यालय,बैंक, जेल, रेल, आयुध कनवाय, ओद्यौगिक, परीक्षा केन्द्रों की सुरक्षा, गणतंत्र दिवस/स्वतंत्रता दिवस/स्मृति दिवस आदि पर सुरक्षा-व्यवस्था हेतु आवश्यक सुरक्षा उपकरण/बल प्रदाय करने की कार्यवाही समय सीमा में संपादित की गई, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है।

- प्रदेश के महत्वपूर्ण/संवेदनशील स्थानों (Vital installations) के सुरक्षा ऑडिट हेतु कैलेण्डर तैयार किया गया, जिसमें Vital installatios का सुरक्षा ऑडिट कराया जा रहा है।
- प्रदेश में समय-समय पर एवं विधान सभा चुनाव 2023 के दौरान व्हीव्हीआईपी/व्हीआईपी भ्रमण के दौरान आवश्यक सुरक्षा संसाधन (बीडीडीएस टीमें/ कमाण्ड कंट्रोल/ व्हीकल माउंटेड बैगेज स्केनर/ एचएचएमडी/ डीएफएमडी आदि अन्य सुरक्षा उपकरण में हैण्डलर) की मांग अनुसार संबंधित इकाई/जिले को समय-सीमा में उपलब्धता कराई गई।
- G-20 बैठक/कार्यक्रमों की सुरक्षा-व्यवस्था – दिनांक 01 दिसम्बर 2022 से 30 नवम्बर 2023 तक जी-20 की अध्यक्षता भारत को मिली है । इस अवधि के दौरान देश के 56 शहरों में कुल 215 बैठकें आयोजित की गई, जिसमें मध्यप्रदेश में क्रमश भोपाल, इंदौरएवं खजुराहों में बैठक/कार्यक्रम आयोजित हुये। बैठकों/कार्यक्रमों में 29 देश और 15 अंतर्राष्टीय संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया, जिनकी सुरक्षा हेतु शासन से अनुमोदन उपरान्त State Security Coordination Committee का गठन किया गया एवं म0प्र0 में आयोजित बैठक/कार्यक्रमों के संबंध में सभी प्रशिक्षण/ सुरक्षा प्रबंधन एवं माँग अनुसार सुरक्षा संसाधन उपलब्ध कराने की कार्यवाही की गई है एवं जी-20 से संबंधित चरित्र सत्यापन कार्य संपादित किया गया है।

विदेशी गतिविधियां

- भारत शासन के द्वारा आईव्हीएफआरटी मॉडयूल के अंतर्गत विदेशी नागरिकों के आगमन/निर्गमन इमिग्रेशन डाटा, वीजा डिटेल्स, फार्म सी, स्टूडेंट फार्म और भारत में वीजा अवधि से अधिक समय तक रूकने वाले विदेशी नागरिकों को ट्रेक करने हेतु DPM (District Police Module) जिला पुलिस मॉडयूल नामक एक एप्लीकेशन विकसित किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में ऐसे विदेशियों का पता लगाने के लिए जो अपनी पहचान प्रकट नहीं करते हैं, उनके बायोमेट्रिक्स केप्चरिंग करने वाले उपकरण इंस्टाल किये गये हैं। उक्त संबंध में समस्त जिलों की पुलिस इकाईयों (डीसीपी/एसपी) आदि को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

22. अपराध अनुसंधान विभाग

अपराध अनुसंधान विभाग की स्थापना 24 जुलाई 1963 को हुई है। अपराध अनुसंधान विभाग,मध्य प्रदेश पुलिस रेग्युलेशन के पेरा 3,11 एवं 16 के अर्न्तगत एवं जीओपी 32/1984 तथा 102/2000 के अनुसार वर्तमान में संचालित है,जो राज्य पुलिस के अधीन गंभीर एवं महत्वपूर्ण प्रकरणों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विवेचना के लिये गठित विशेष संगठन हैं। विभाग में विवेचना एवं जॉच का कार्य यहॉ पदस्थ वरिष्ठअधिकारियों के निकट पर्यवेक्षण में उप पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस निरीक्षक स्तर के विवेचना अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिलों में घटित गंभीर प्रकृति के सनसनीखेज,महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील अपराधों की जॉच एवं विवेचना करने तथा आवश्यकतानुसार जिला पुलिस इकाइयों को अपराधिक प्रकरणों में विवेचना के संबंध में समुचित मार्गदर्शन/सहयोग देने की जिम्मेदारी इस विभाग की है।

अपराध अनुसंधान विभाग समूचे प्रदेश की आपराधिक स्थिति पर निगरानी रखने,अपराधों की रोकथाम हेतु प्रभावशील कार्यवाही कराने,प्रदेश के प्रत्येक जिले में सजायबी की दर में वृद्धि कराने के उद्देश्य से सतत् संलग्न है।

प्राथमिकता के आधार पर जघन्य एवं सनसनीखेज अपराधों को चिन्हित करके अ०अ०वि० द्वारा मुख्यालय स्तर से पर्यवेक्षण किया जा रहा है तथा उक्त अपराधों के विवेचना की समीक्षा की जाती है। प्रकरणों के न्यायालय में शीघ्र चालान कराए जाते है,उनकी भी मॉनीटरींग की जाती है,ताकि विवेचना एवं अभियोजन प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण हो जाए,अपराधियों को त्वरित एवं पर्याप्त सजा मिल सके। ऐसे सनसनीखेज प्रकरणों के त्वरित निराकरण एवं अपराधियों के सजायाब होने से आम जनता में शासन एवं पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है।

पुलिस रेगुलेशन के पैरा-16 में उल्लेखित प्रावधानों के साथ-साथ वर्ष-1957 में प्रकाशित जीओपी के भाग 4-1/टी.पृष्ठ 35 से 37 पर अअवि द्वारा आपराधिक प्रकरणों के अनुसंधान एवं अभियोजन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अनुसंधान के संबंध में राजपत्र आदेश क्रमांक-32/84 दिनांक 15.12.1984 में भी प्रावधान अंतनिर्हित है। इसी प्रकिया मे माननीय उच्च न्यायालय,ग्वालियर खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका क्रमांक-2784/05 **संजय सिंहविरूद्ध मध्यप्रदेश शासन**में दिनांक- 07.11.2005 को पारित आदेश में अअवि में अनुसंधान हस्तगत करने की प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये है। पुलिस महानिदेशक,मध्यप्रदेश द्वारा इस संबंध में पूर्व में परिपत्र क्र.- 608 दिनांक- 26.06.2010 जारी किया गया है।

जिला पुलिस अधीक्षक, जिस प्रकरण का अनुसंधान अअवि से कराना चाहते है, वे तद्नुसार औचित्य पूर्ण कारण प्रकरण में की गई विवेचना एवं उन तथ्यों जिनके कारण अअवि द्वारा अनुसंधान आवश्यक समझा जा रहा हो का उल्लेख अनिवार्यतः कर विस्तृत प्रतिवेदन जोन पुलिस महानिरीक्षक के माध्यम से उनकी टीप सहित अअवि के क्षेत्रीय शाखा प्रभारी अधिकारी को भेजेंगे ।

उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अअवि के क्षेत्रीय शाखा प्रभारी केश डायरी का अध्ययन कर प्रकरण के तथ्यों का उल्लेख एवं उपलब्ध साक्ष्य की समीक्षा करते हुये समनि (अअवि) को प्रतिवेदन देंगे, जो पुलिस महानिरीक्षक अअवि के माध्यम से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अअवि) से आवश्यक आदेश प्राप्त करेंगे एवं पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन उपरांत अनुसंधान हेतु प्रकरण अअवि को हस्तगत किया जावेगा।

अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा प्रदेश में घटित गंभीर एवं संवेदनशील अपराधों की समीक्षा कर अपराध नियंत्रण हेतु प्रभावी मार्गदर्शन एवं गंभीरतम अपराधों की विवेचना की कार्यवाही की जाती है। साथ ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं क्यू.डी. प्रयोगशाला के माध्यम से विवेचना में फॉरेंसिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

2 कार्यरत प्रकोष्ठ/शाखा:-

2.1 कार्यरत प्रकोष्ठ- 1- अनुसंधान प्रकोष्ठ 2- सतर्कता प्रकोष्ठ 3- बाल सहायता प्रकोष्ठ 4- विशेष किशोर पुलिस इकाई।

2.2 कार्यरत शाखा:- 1- डकैती शाखा, 2- मूर्ति चोरी, 3- क्यू0डी0 शाखा, 4- जाली नोट शाखा, 5- विधि शाखा, 6- एकीकृत सेल, 7- फोटो शाखा, 8- थाना अअवि, 9-विधान सभा सेल, 10-क्राईम सेल, 11- मानिटरिंग सेल, 12-टेक्निकल सेल, 13- स्थापना/लेखा/स्टोर शाखा।

3. क्षेत्रीय कार्यालय:- (1) ग्वालियर (2) इंदौर (3) जबलपुर (4) उज्जैन (5) रीवा (6) सागर (7) भोपाल।

4. उत्तरदायित्व:-

1. विधान सभा,लोक सभा, राज्य सभा के पुलिस संबंधित प्रश्नों के जबाब तैयार करना। अअवि शाखा विधान सभा संबंधी कार्य हेतु पुलिस विभाग की नोडल शाखाहै।
2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णयों/आदेशों का अनुपालन प्रदेश की पुलिस इकाईयों द्वारा सुनिश्चित कराना।
3. प्रदेश में घटित अपराधों की जानकारी का संकलन एवं विश्लेषण।
4. पेशेवर एवं संगठित गिरोहों द्वारा घटित अपराधों की विवेचना।
5. ऐसे अपराधों की विवेचना जिनका दायरा प्रदेश के कई जिलों में फैला हो।
6. अर्न्तराज्यीय अपराधों की विवेचना।
7. डकैती एवं फिरौती के लिये किये गये अपहरण के अपराधों की विवेचना में स्थानीय पुलिस की सहायता,मैदानी इकाइयों को अपराधों की रोकथाम एवं विवेचना के लिये वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना।
8. विभिन्न प्रकार के माफिया जैसे भूमाफिया, खनिज माफिया, शराब माफिया आदि के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही कराना।
9. विशिष्ट प्रकार के अपराधों की विवेचना के लिये प्रकोष्ठों –डकैती सेल,जाली नोट सेल,मूति चोरी सेल,कंजर सेल,कॉपीराईट सेल,धोकाधडी सेल इत्यादि का गठन एवं संचालन।
10. पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति के लिए मतांकन करना।
11. बाल सहायता प्रकोप्ठ (जुवेनाइल एड ब्यूरो का संचालन) ।
12. अपराधिक सूचना पत्र का प्रकाशन।
13. विवादग्रस्त अभिलेख (क्यूडी) (क्यू.डी.) शाखा का प्रशासनिक दायित्व।
14. फोटोग्राफी सेल का प्रशासनिक दायित्व।
15. अअवि में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों एवं अपीलों का निराकरण करना।

1. सतर्कता शाखा में वर्ष**2023**में पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध**153**विविध शिकायतें एवं जांचें लंबित थी**]** जिनमें से**78**शिकायतों एवं जांचों का निराकरण किया जा चुका है। म**0**प्र**0**शासन गृह विभाग द्वारा चाहे अनुसार प्रतिवेदन भी गृह विभाग को भेजे गये हैं। शेष**75**शिकायतों/जांचों के निराकरण के प्रयास किये जा रहे हैं।
2. सतर्कता शाखा में पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण, विदेश यात्रा अनुमति पदक प्रदाय करने के संबंध में**75**एन.ओ.सी. प्राप्त हुई थीं**]** जिनमें से**73**एन.ओ.सी. दिनांक**31.12.2023**तक जारी की गई हैं। शेष**02**एन.ओ.सी. माह जनवरी**2024**में जारी की गई है।
3. सतर्कता शाखा में वर्ष**2023**में म**0**प्र**0**विधानसभा सत्रों में प्राप्त प्रश्नों एवं आश्वासनों के उत्तर तैयार कर समय सीमा में म**.**प्र**.**शासन गृह विभाग को भेजे गये है।
4. सतर्कता शाखा में वर्ष**2023**में जांचविविध शिकायतअपराध एवं एन.ओ.सी. के कुल**230**लंबित प्रकरणों में से**151**का निराकरण किया जा चुका है। कुल शेष**79**प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के प्रयास किये जा रहे हैं।

क्यू.डी. प्रयोगशाला, अ.अ.वि. द्वारा वर्ष 2023 में की गई कार्यवाही विवरण :-

मध्य प्रदेश में केवल एक प्रयोगशाला है। जिसमें म0प्र0 पुलिस, न्यायालय, म0प्र0 शासन आदि के द्वारा भेजे गये विवादित दस्तावेजों के प्रकरणों का परीक्षण किया जाता है। शाखा के विषेषज्ञों द्वारा प्रकरणों के परीक्षण के अतिरिक्त साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित होना तथा कानून व्यवस्था एवं विधान सभा की डियूटी भी तत्परता से की गई है।

लंबित प्रकरणों की जानकारी -

क्र.	वर्ष	पूर्व वर्ष के लंबित प्रकरण	वर्ष में प्राप्त प्रकरण	कुल प्रकरण	खामी पूर्ति हेतु प्रारंभिक परीक्षण उपरान्त वापिस किये गये कुल प्रकरण	निराकृत कुल प्रकरण	शेष प्रकरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2023	427	1574	2001	624	1230	147

क्यू0डी0 प्रयोगशाला द्वारा वर्ष 2023 (1-1-2023 से 31-12-2023) में अभियान चलाकर लम्बित प्रकरणों का निराकरण किया गया । इस प्रकार जहां वर्ष 2023 के प्रारम्भ में कुल लम्बित प्रकरणों की संख्या 427 थी, वहीं वर्ष 2023 में सम्पूर्ण वर्ष में प्राप्त नवीन प्रकरणों के साथ साथ पुराने लम्बित प्रकरणों में से अभूतपूर्व तरीके से अभियान चलाकर कुल 1230 प्रकरणों का निराकरण किया गया, इस प्रकार वर्ष 2023 के अंत में लम्बित प्रकरणों की संख्या घटकर कुल 147 रह गई है। प्रतिमाह लगभग 100 से 110 प्रकरण निराकृत किये जा रहे हैं इस प्रकार ओषतन प्रत्येक प्रकरणका परीक्षण एवं निराकरण लगभग 30 दिन में किया जा रहा है जो कि अभूतपूर्व है।

फोटोग्राफी शाखा, अअवि द्वारा वर्ष 2023 में की गई कार्यवाही विवरण :-

1. विवादाग्रस्त दस्तावेज शाखा के प्रकरणों के इस अवधि में 1215 प्रकरणों के प्राप्त 71058 दस्तावेजों को रिप्रोविट यूनिट पर एक्सपोज किये जाकर 1248 सीडी/डीव्हीडी बनाकर विशेषज्ञों को प्रकरण अभिमत हेतु प्रदाय किये गये। कोई प्रकरण लंबित नहीं है।
2. शाखा में स्थापित डिजिटल कलर प्लांट से अपराध घटना स्थलों से संबंधित विभिन्न जिलों से प्राप्त फिल्मों व विवादग्रस्त दस्तावेजों से संबंधित प्रकरणों के डिजिटल मीडिया के एवं मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं के कार्यक्रमों प्रशिक्षण सत्रों, सेमिनारों एवं अन्य 308 कार्यक्रमों के**12911**कलर प्रिंट्स व एन्लार्जमेन्ट तैयार किये गये। कोई प्रकरण लंबित नहीं है।
3. अन्य विभागीय आवश्यकता की स्थितियों में विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों, प्रशिक्षण सत्रों, सेमिनारों, व्हीव्हीआईपी ड्यूटी व्यवस्था एवं कवरेज,कानून व्यवस्था संबंधी स्थतियों में विभागीय आवश्यकता पर लगभग**353**ड्यूटियों का कवरेज किया गया तथा उनके फोटो प्रिंट एवं विडियों कवरेज की**182**नग सीडी एवं डीवीडी बनाई गई तथा विधानसभा सत्रों के दौरान शाखा द्वारा विभागीय आवश्यकता के अनुरूप कार्य किया गया। कोई प्रकरण लंबित नहीं है।
4. रेंज व जिलों की कई फोटो शाखाओं कार्यरत कर्मचारियों को फोटोग्राफीएवं वीडियोग्राफी का प्रशिक्षण उनके आवश्यकतानुसार दिया जा रहा है। शाखा में खराब हुए उपकरणों की मरम्मत करवाकर उन्हें कार्यशील बनाया गया ।

चिन्हित जघन्य एवं सनसनी खेज अपराध वर्ष 2023 कार्यवाही विवरण:-

चिन्हित सनसनीखेज एवं जघन्य अपराधों में वर्ष 2023 में कुल 804 प्रकरणों को चिन्हित श्रेणी में लिया गया । कुल 1309 प्रकरणों का माननीय न्यायालय से निराकरण हुआ है,जिसमें से 900 प्रकरणों में दोषसिद्धि हुई है,जिसमें कुल 620 प्रकरणों में 1137 अपराधियों को आजीवन कारावास एवं 07 प्रकरणों में 11 आरोपियों को मृत्युदण्ड एवं 273 प्रकरणों में 444 आरोपियों को अन्य दण्ड से दण्डित किया गया है,इस प्रकार दोषशिद्धि का प्रतिशत 69 रहा है।

विशेष अभियान वर्ष 2023 :-

1. विशेष अभियान-थाने में पडे वाहनों के निराकरण,थाने का रख-रखाव ठीक करने के संबंध में (दिनांक 01/06/23 से 15/07/23 तक) –

   <u>जप्त वाहन-</u>

   - कुल वाहन- 69144,दो पहिया वाहन- 46415,चार पहिया वाहन- 9271,अन्य वाहन- 3458 जप्त किये गये।

   <u>निराकृत वाहन-</u>

   - कुल वाहन- 16680,दो पहिया वाहन- 13906,चार पहिया वाहन- 1908,अन्य वाहन- 866 निराकरण किये गये।

   <u>लंबित वाहन-</u>

   - कुल वाहन- 52464,दो पहिया वाहन-42509,चार पहिया वाहन-7363,अन्य वाहन- 2595 अभियान की स्थिति में लंबित है।

<u>माफियाओं के विरूद्ध की गई कार्यवाही वर्ष -2023</u>

माफियाओं के विरूद्ध की गई कार्यवाही वर्ष -2023 (अवधि-दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023)

1- भू-माफिया के विरूद्ध कार्यवाही-

- कुल 52 प्रकरण दर्ज कर 07 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
- 10 व्यक्तियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई।

2- रेत माफिया के विरूद्ध कार्यवाहीः-

- कुल 1583 अपराध दर्ज हुए।
- 1620 चार पहिया वाहन लगभग 24 हजार घन मीटर से अधिक अवैध रेत जप्त की गई।

3-राशन/खाद्यान की कालाबाजारी संबंधी अपराधः-

- कुल 274 अपराध दर्ज हुए।
- 108 आरोपी गिरफ्तार हुए।
- लगभग 31 करोड़ रूपये मूल्य का अवैध खाद्य पदार्थ जब्त किया गया।
- कुल 02 व्यक्तियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई।

4-चिटफण्ड कंपनियों/आरोपियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही-

- कुल 90 आरोपियों के विरूद्ध 43 प्रकरण दर्ज किये गये।
- कुल 795 से अधिक निवेशकों को 2.54 करोड़ से अधिक की राशि वापस दिलाई गई।

5-मिलावट खोरों के विरूद्ध कार्यवाही-

- कुल 73 आरोपियों पर 66 अपराध दर्ज किये गये।
- कुल 33 अरोपी गिरफ्तार किये गये।
- लगभग 39 लाख रूपये के मिलावटी खाद्य पदार्थ जप्त किये गये।

6-शराब माफिया के विरूद्ध कार्यवाही विवरण-

- कुल 94 हजार से अधिक प्रकरणों में 92 हजार से अधिक आरोपी गिरफ्तार किये गये।
- कुल 10 लाख लीटर से अधिक अवैध शराब जप्त की गई।
- कुल 1246 वाहन जप्त किये गये।

तकनीकी प्रकोष्ठ:-

1. अअवि में विवेचनाधीन अपराधों में कुल 09 अपराधों में 224 कॉल डाटा रिकार्ड (सीडीआर) तथा 136 कस्टमर एप्लीकेशन फार्म (कैफ) तथा 31 आईएमईआई की एनॉलिसिस तकनीकी रूप से की जाकर विवेचना में विवेचकों को उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ अन्य विभिन्न जांचों कुल 54 सीडीआर तथा 17 कैफ एवं 08 आईएमईआई की विश्लेषण रिपोर्ट विवेचकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों को जांच में उपलब्ध कराया गया है।
2. अपराधियों तथा संदिग्धों के मोबाईल लोकेशन की जानकारी विवेचकों को अपराधों की विवेचना/शिकायतों की जॉच में उपलब्ध कराई गई है।
3. प्रदेश के समस्त जिलों से अपराधियों की विवेचना संबंधी जानकारी प्राप्त की जाकर जिले वार रैंकिंग की जानकारी तैयार कर शासन स्तर पर भेजने हेतु उपलब्ध करायी गई।
4. धार्मिक स्वतंत्रा अधिनियम के तहत प्रदेश के समस्त जिलों में दर्ज अपराधों की जानकारी तैयार कर विधानसभा सेल को उपलब्ध कराई गई।
5. आर्म्स अधिनियम के तहत आग्नेय शस्त्र के प्रयोग से संबंधित प्रदेश के समस्त जिलों में दर्ज अपराधों की जानकारी तैयार कर उपलब्ध करायी गई।
6. सीसीटीएनएस के माध्यम से प्रदेश के जिलों में घटित गंभीर अपराधों का विश्लेषण तथा मॉनिटरिंग निर्देशानुसार तकनीकी शाखा द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2023 में कुल 1334 एफआइआर आवश्यकतानुसार विवेचकों को तथा विधानसभा प्रश्नों के समय उपलब्ध कराई गई है।
7. सी0एम0 हेल्प लाईन द्वारा वर्ष 2023 में कुल 63 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें अअवि से संबंधित शिकायतों का निराकरण विभाग स्तर पर किया गया तथा अन्य विभाग की शिकायतों को अन्य संबंधित विभाग को अग्रेषित किया गया है एवं शिकायतकर्ता को पोर्टल के माध्यम से जानकारी दी गई है।
8. अअवि क्राईम सेल को प्रत्येक माह भादवि एवं विविध अधिनियम के तहत प्रदेश में दर्ज अपराधिक ऑकडों की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

9. आईसीजेएस पोर्टल के माध्यम से 141 अपराधिक रिकार्ड की जानकारी संबंधित शाखा को उपलब्ध कराई गई है। आर्म्स रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारी एकीकृत शाखा को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराई गई है।

10. मध्यप्रदेश माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के निर्देशानुसार अअवि की समस्त शाखाओं के प्रभारी अधिकारियों को ई-रक्षक एप में रजिस्ट्रेशन कराया जाकर इस्तेमाल हेतु यूजर आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया गया है।

11. थाना धरनावदा जिला गुना के अपराध क्रमांक 65/2017 धारा 307, 365 भादवि में निर्देशानुसार संदेही के मोबाईल नम्बरों का अंतारोधन किया जाकर विश्लेषण की जानकारी संबंधित विवेचक को उपलब्ध कराया गया है।

12. इंटरपोल संबंधित एमएलएटी पोर्टल में अअवि की आईडी बनाई जाकर अभी तक प्रदेश के 20 जिले के पुलिस अधीक्षकों को सीओ में रजिस्टर कराया गया है।

अअवि तकनीकी शाखा द्वारा समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारियों/शासन स्तर की मीटिंग हेतु निर्देशानुसार डाटा विश्लेषण की जानकारी तैयार कर प्रस्तुत की गई है।तथा विधानसभा सेल को लगातार एफआईआर एवं प्रदेश स्तर पर विभिन्न अपराधिक आंकडों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा मध्यप्रदेश में घटित गंभीर अपराधों,हत्या,डकैती,अपहरण इत्यादि अपराधों के प्रगति प्रतिवेदन संबंधित पुलिस महानिरीक्षकों से प्राप्त कर एवं उनकी समीक्षा कर अपराधों पर नियंत्रण हेतु समुचित कार्यवाही की जाती है।

23. शिकायत शाखा

शिकायत शाखा पुलिस मुख्यालय भोपाल में विभिन्न माध्यमों से शिकायतें प्राप्त होती हैं। जिनकी जानकारी ऑनलाइन माध्यम से पी.एफ.टी.एस. सॉफ्टवेयर में शिकायत या आवेदन की प्राथमिक जानकारी दर्ज की जाती है। शिकायत की प्रकृति के आधार पर शिकायत जाँच हेतु/वैधानिक कार्यवाही हेतु संबंधित पुलिस अधीक्षक/जोनल पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय को प्रेषित की जाती है एवं समय-सीमा में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर निराकरण किया जाता है। शिकायत शाखा में मुख्यमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय, पुलिस महानिदेशक म.प्र., अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शिकायत कार्यालय, जनसुनवाई, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, आर्मी हेल्प डेस्क एवं सी.एम.हेल्पलाइन पोर्टल एवं आम जन द्वारा समक्ष में शिकायतें, शाखा के वरिष्ठ अधिकारियों को कार्यवाही हेतु प्राप्त होती है।

शिकायत शाखा द्वारा वर्ष- 2023 में जोनवार की गयी कार्यवाही **परिशिष्ट क्रमांक- "फ"** में संलग्न है।

परिशिष्ट क्रमांक- अ

S.No.	HEAD	YEAR-2023
1	*RAPE WITH MURDER (376,302 IPC)*	17
2	*RAPE (376)*	5082
3	*ATTEMPT TO COMMIT RAPE (376 /511 IPC)*	28
4	*GANG RAPE (376 D IPC)*	247
5	*KIDNAPPING & ABDUCTION (363,364,366 IPC)*	10180
6	*DOWRY DEATHS (304-B IPC)*	437
7	*MOLESTATION (354 A,B,C.D IPC)*	7583
8	*INSULT TO MODESTY OF WOMEN (509 IPC)*	195
9	*CRUELTY BY HUSBAND (498-A IPC)*	7256
10	*SUICIDE (306 IPC)*	683
11	*FOETICIDE (312-318 IPC)*	93
12	*HUMAN TRAFFICING (370-373 IPC)*	38
13	*ACID ATTACK (326-A)*	02
14	*ATTEMPT TO ACID ATTACK (326-B)*	02
15	*DOWRY PROHIBITION ACT 1961 (3/4)*	215
16	*IMMORAL TRAFFIC ACT*	18
17	*THE MUSLIM WOMEN PROTECTION OF RIGHTS ON MARRIAGE ACT 2019*	24
	TOTAL-	**32100**

महिलाओं के विरूद्ध वर्ष- 2021, 2022 एवं 2023 (जनवरी से दिसम्बर) में क्रमशः 31804, 32891 एवं 32100 अपराध दर्ज हुये, जो वर्ष- 2022 की तुलना में वर्ष- 2023 में पंजीबद्ध होने वाले अपराधों में 2.4 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है।

परिशिष्ट क्रमांक- ब

अनुसूचित जाति

क्र.	शीर्ष	2021	2022	21/22%	2023	22/23%
1	हत्या	96	83	-13.54	76	-8.43
2	हत्या का प्रयास	85	85	0.00	71	-16.47
3	बलात्कार	611	593	-2.95	538	-9.27
4	आगजनी	20	20	0.00	17	-15.00
5	अन्य	6602	7512	13.78	7569	0.76
6	योग	7414	8293	11.86	8271	-0.27

अनुसूचित जनजाति

क्र.	शीर्ष	2021	2022	21/22%	2023	22/23%
1	हत्या	52	57	9.62	45	-21.05
2	हत्या का प्रयास	28	40	42.86	26	-35.00
3	बलात्कार	394	403	2.28	345	-14.39
4	आगजनी	7	13	85.71	6	-53.85
5	अन्य	2186	2578	17.93	2378	-7.76
6	योग	2667	3091	15.90	2800	-9.41

अनुसूचित जाति+जनजाति

कुल योग	**10081**	**11384**	**12.93**	**11071**	**-2.75**

परिशिष्ट क्रमांक- स

अवधि	पंजीबद्ध अपराध	गिरफ्तारआरोपी
वर्ष- 2021	56	75
वर्ष- 2022	42	49
वर्ष- 2023	43	44

सम्पूर्ण म.प्र. में एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत विगत 03 वर्षो में की गई कार्यवाही की तुलनात्मक जानकारी

अवधि	पंजीबद्ध अपराध	गिरफ्तारआरोपी
वर्ष- 2021	3959	5074
वर्ष- 2022	4740	5673
वर्ष- 2023	3763	4804

संलग्न परिशिष्ट क्रमांक- द

स. क्र.	जिला	भारी	मध्यम	लाइट	वाटरमिस्डसिस्ट मबुलेट	मोटर सायकल	कुल
1	पुलिस फायर ब्रिगेड इंदौर	17	7	6	6	5	41
2	पु0फा0स्टे0 पीथमपुर	8	1	2	0	1	12
3	पु0फा0स्टे0 मालनपुर	4	1	1	0	1	7
4	पु0फा0स्टे0 मंत्रालय भोपाल	4	3	4	0	4	15
5	कार्यालय इंदौर में उपलब्ध वाहन	0	0	4	0	0	4
	कुल योग	33	12	17	6	11	79

अग्निशमन सेवाऐं मध्यप्रदेश में उपलब्ध आनरोड/ आफरोड वाहनों की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र-	वाहन क्र0	माडल	वाहन का प्रकार	फायर स्टेशन जहां वाहन उपलब्ध है।	ऑफरोड दिनांक	वर्तमान रीडिंग
01	एमपी03-0582	1993	हाईड्रोलिकप्लेटफार्म कम टर्न टेबल लेडर	पुलिस फायर स्टेशन गाँधीहाल इंदौर	वर्ष- 2005 से ऑफरोड	6,671 KM

परिशिष्ट क्रमांक- ई

क्र0	फायर स्टेशन का नाम	फायर काल की संख्या
1	पुलिस फायर स्टेशन पीथमपुर जिला धार	80
2	पुलिस फायर स्टेशन मंत्रालय भोपाल	22
3	पुलिस फायर स्टेशन मालनपुर जिला भिण्ड	54
4	पुलिस फायर स्टेशन लक्ष्मीबाईनगर इंदौर	113
5	पुलिस फायर स्टेशन गाँधीहाल इंदौर	343
6	पुलिस फायर स्टेशन मोतीतबेला इंदौर	208
7	पुलिस फायर स्टेशन जीएनटी मार्केट इंदौर	47
8	पुलिस फायर स्टेशन साँवेर रोड़ इंदौर	93
	महायोग	960

विभाग की उपलब्धियाँ- विगत दो वर्षो में प्रशिक्षण डेमो

क्र0	फायर स्टेशन का नाम	वर्ष- 2022		वर्ष- 2023	
		प्रशिक्षण/डेमों की संख्या	प्रशिक्षितों की संख्या	प्रशिक्षण/डेमों की संख्या	प्रशिक्षितों की संख्या
1	पुलिस फायर स्टेशन पीथमपुर जिला धार	28	4000	35	8742
2	पुलिस फायर स्टेशन मंत्रालय भोपाल	7	780	38	10562
3	पुलिस फायर स्टेशन मालनपुर जिला भिण्ड	5	2150	33	9880
4	पुलिस फायर स्टेशन लक्ष्मीबाईनगर इंदौर	11	2070	22	2929
5	पुलिस फायर स्टेशन गाँधीहाल इंदौर	8	385	35	4985
6	पुलिस फायर स्टेशन मोतीतबेला इंदौर	9	3372	31	4996
7	पुलिस फायर स्टेशन जीएनटी मार्केट इंदौर	5	1750	11	7035
8	पुलिस फायर स्टेशन साँवेर रोड़ इंदौर	20	1960	9	777
	महायोग	93	16467	214	49906

परिशिष्ट क्रमांक- फ

01 जनवरी 2023 से 31 दिसम्बर 2023 की स्थिति																
क्र	जोन	जिला	जनता							पुलिस						
			पूर्व की लंबित	प्राप्त	योग	एन ए	निराकृत	नि0 यो0	शेष	पूर्व की लंबित	प्राप्त	योग	एन ए	निराकृत	नि0 यो0	शेष
1	सागर	सागर	32	473	505	319	142	461	44	10	112	122	51	40	91	31
		छतरपुर	50	330	380	227	96	323	57	16	88	104	53	19	72	32
		टीकमगढ	33	227	260	106	90	196	64	16	47	63	17	15	32	31
		पन्ना	9	134	143	82	51	133	10	5	47	52	27	21	48	4
		दमोह	11	202	213	145	52	197	16	10	36	46	16	15	31	15
		निवाडी	4	175	179	126	51	177	2	3	28	31	21	5	26	5
	योग		**139**	**1541**	**1680**	**1005**	**482**	**1487**	**193**	**60**	**358**	**418**	**185**	**115**	**300**	**118**
2	रीवा	रीवा	57	438	495	272	117	389	106	17	88	105	21	48	69	36
		मउगंज	0	14	14	6	3	9	5	0	1	1	0	0	0	1
		सतना	24	516	540	366	116	482	58	6	49	55	17	36	53	2
		मैहर	0	26	26	13	2	15	11	0	0	0	0	0	0	0
		सीधी	40	189	229	114	66	180	49	1	29	30	5	9	14	16
		सिंगरौली	25	243	268	131	79	210	58	4	33	37	7	27	34	3
	योग		**146**	**1426**	**1572**	**902**	**383**	**1285**	**287**	**28**	**200**	**228**	**50**	**120**	**170**	**58**
3	शहडोल	शहडोल	8	162	170	103	55	158	12	5	19	24	9	5	14	10
		उमरिया	3	40	43	23	16	39	4	4	6	10	3	3	6	4
		अनूपपुर	4	74	78	38	25	63	15	2	17	19	4	4	8	11
	योग		**15**	**276**	**291**	**164**	**96**	**260**	**31**	**11**	**42**	**53**	**16**	**12**	**28**	**25**
4	नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	9	185	194	136	48	184	10	5	22	27	6	12	18	9
		रायसेन	12	168	180	130	26	156	24	16	19	35	8	17	25	10
		बैतूल	3	139	142	104	22	126	16	1	18	19	7	11	18	1
		हरदा	4	120	124	104	15	119	5	0	11	11	5	4	9	2
	योग		**28**	**612**	**640**	**474**	**111**	**585**	**55**	**22**	**70**	**92**	**26**	**44**	**70**	**22**
5	बालाघाट	बालाघाट	1	98	99	89	6	95	4	7	8	15	4	4	8	7
		मण्डला	0	72	72	65	3	68	4	1	4	5	1	2	3	2
		डिण्डौरी	5	56	61	48	12	60	1	1	3	4	1	2	3	1
	योग		**6**	**226**	**232**	**202**	**21**	**223**	**9**	**9**	**15**	**24**	**6**	**8**	**14**	**10**
6	ग्वालियर	ग्वालियर	130	963	1093	812	136	948	145	23	193	216	68	65	133	83
		गुना	40	267	307	204	61	265	42	30	69	99	36	29	65	34
		शिवपुरी	72	318	390	260	51	311	79	14	55	69	21	12	33	36
		अशोकनगर	39	154	193	125	42	167	26	7	28	35	12	8	20	15
	योग		**281**	**1702**	**1983**	**1401**	**290**	**1691**	**292**	**74**	**345**	**419**	**137**	**114**	**251**	**168**
7	इन्दौर	इन्दौर	88	1003	1091	775	148	923	168	60	414	474	133	234	367	107
		धार	10	177	187	112	45	157	30	1	48	49	14	25	39	10

		अलीराजपुर	0	25	25	14	7	21	4	0	23	23	13	7	20	3
		खण्डवा	3	91	94	64	19	83	11	4	25	29	8	17	25	4
		झाबुआ	4	82	86	58	15	73	13	0	12	12	7	5	12	0
		खरगौन	4	90	94	60	26	86	8	0	25	25	9	9	18	7
		बुरहानपुर	3	128	131	98	19	117	14	5	24	29	4	13	17	12
		बडवानी	3	55	58	35	15	50	8	4	10	14	4	6	10	4
	योग		**115**	**1651**	**1766**	**1216**	**294**	**1510**	**256**	**74**	**581**	**655**	**192**	**316**	**508**	**147**
8	जबलपुर	जबलपुर	16	398	414	343	53	396	18	13	113	126	84	37	121	5
		कटनी	13	247	260	216	23	239	21	7	60	67	42	14	56	11
		सिवनी	3	92	95	78	15	93	2	0	13	13	7	5	12	1
		नरसिंहपुर	5	144	149	116	22	138	11	2	16	18	7	8	15	3
		छिन्दवाडा	7	191	198	166	23	189	9	3	29	32	16	13	29	3
	योग		**44**	**1072**	**1116**	**919**	**136**	**1055**	**61**	**25**	**231**	**256**	**156**	**77**	**233**	**23**
9	उज्जैन	उज्जैन	22	400	422	335	50	385	37	10	58	68	32	27	59	9
		मंदसौर	21	251	272	227	34	261	11	12	35	47	17	17	34	13
		रतलाम	9	177	186	148	27	175	11	13	32	45	21	12	33	12
		नीमच	8	99	107	90	10	100	7	2	16	18	10	7	17	1
		शाजापुर	11	109	120	92	18	110	10	2	34	36	23	9	32	4
		आगर	4	94	98	86	6	92	6	7	21	28	10	6	16	12
		देवास	28	233	261	202	28	230	31	11	43	54	24	19	43	11
	योग		**103**	**1363**	**1466**	**1180**	**173**	**1353**	**113**	**57**	**239**	**296**	**137**	**97**	**234**	**62**
10	भोपाल	भोपाल	433	1236	1669	1073	187	1260	409	56	180	236	148	48	196	39
		सीहोर	38	213	251	169	45	214	37	25	15	40	20	13	33	7
		विदिशा	36	237	273	186	49	235	38	32	20	52	37	9	47	6
		राजगढ	34	209	243	190	32	222	21	29	24	53	40	8	48	5
	योग		**541**	**1895**	**2436**	**1618**	**313**	**1931**	**505**	**142**	**239**	**381**	**245**	**78**	**324**	**57**
11	चंबल	भिण्ड	87	612	699	502	82	584	115	34	217	251	132	85	217	34
		मुरैना	77	907	984	814	67	881	103	31	283	314	184	77	261	53
		दतिया	31	590	621	498	77	575	46	21	213	234	153	56	209	25
		श्योपुर	16	146	162	75	64	139	23	2	78	80	53	26	79	1
	योग		211	2255	2466	1889	290	2179	287	88	791	879	522	244	766	113
कुल योग			**1629**	**14019**	**15648**	**10970**	**2589**	**13559**	**2089**	**590**	**3111**	**3701**	**1672**	**1225**	**2898**	**803**

आर्मी हेल्पडेस्क शिकायत शाखा

दिनांक- 01.01.2023 से 31.12.2023 तक

	स0क्र0	पूर्व की लंबित	वर्ष में प्राप्त	योग	निराक़त	शेष लंबित
	1	15	51	66	16	50

राज्य मानव अधिकारी आयोग उपखण्ड की दिनांक 01 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 की स्थिति											
क्रमांक	**उपखण्ड**	**शिकायत**					**अनुशंसा**				
		पूर्व की लंबित	**प्राप्त**	**योग**	**निराकृत**	**कुल लंबित**	**पूर्व की लंबित**	**प्राप्त**	**योग**	**निराकृत**	**कुल लंबित**
1	**एसएचआरसी**	11	121	132	111	21	9	15	24	13	11

राष्टीय मानव अधिकार आयोग उपखण्ड की दिनांक 01 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 की स्थिति											
क्रमांक	**उपखण्ड**	**शिकायत**					अनुशंसा				
		पूर्व की लंबित	**प्राप्त**	**योग**	**निराकृत**	**कुल लंबित**	**पूर्व की लंबित**	**प्राप्त**	**योग**	**निराकृत**	**कुल लंबित**
1	**एनएचआरसी**	17	262	279	247	32	0	3	3	2	1

सीएम हेल्पलाईन							
(01 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023)							
क्रं0	**रेंज**	**वर्ष**	**पूर्व की लंबित**	**वर्ष में प्राप्त**	**योग**	**निराकृत**	**शेष लंबित**
1	सीएम हेल्पलाईन	2023	27715	365078	392793	353960	38833

कार्यालय मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड
भदभदा रोड भोपाल-462003
वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24

भाग-एक

संरचना : -

म०प्र० पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित पंजीकृत अधशासकीय संस्था है। संस्था का गठन 31 मार्च 1981 को राज्य में सेवारत पुलिस कर्मचारियों के लिए आवास गृह एवं प्रशासकीय भावनों के निर्माण के लिए किया गया था।

> महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ:-

वित्तीय वर्ष 2023-24 की उपलब्धियाँ:-

(1) मुख्य मंत्री पुलिस आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत 25000 आवास-गृहों में से प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्वीकृत 5000-5000 आवास गृहों तथा तृतीय चरण के 1500 आवास-गृहों कुल 11500 आवास गृहों में से 9916 आवास गृहों का निर्माण पूर्ण कर पुलिस विभाग को हस्तांतरित किया जा चुके है तथा शेष कार्य प्रगति पर है।

(2) स्वीकृत 254 थाने एवं 199 चैकियों में से 237 थाने एवं 149 चैकी भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर हस्तांतरित किये गये।

(3) महिला पुलिस हेतु 488 विश्राम कक्ष का निर्माण कार्य पूर्ण कर हस्तांतरित किये गये।

(4) आंतरिक सुरक्षा एवं सुद्रिढिकरण हेतु भोपाल में इंटीग्रेटेड कमांड सेन्टर का कार्य पूर्ण किया गया।

(5) डायल-100 प्रशासकीय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।

(6) 36 वी भारत रक्षित वाहिनी बालाघाट का निर्माण कार्य किया गया है।

(7) कार्पोरेशन द्वारा अन्य विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, खेल विभाग, विशक्षा विभाग, अनुसूचित जाति, जनजाति विभाग, एवं होमगार्ड के निर्माण कार्य संपादित कर रहा है। प्रदेश के अन्य अंचलों के साथ ही कार्पोरेशन प्रदेश के दुरुह एवं दुर्गम तथा नक्सल प्रभावित अन्तर्गत कार्य कर रहा है। क्षेत्रों में भी उक्त योजनाओं के अन्तर्गत कार्य कर रहा है।

होमगार्ड्स, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, मध्यप्रदेश
वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2023-24

<u>विभागीय संरचना</u> 1.1 मध्यप्रदेश होमगार्ड की स्थापना 1947 में मध्यप्रदेश होमगार्ड एक्ट, 1947 के तहत की गई थी । यह स्वयंसेवी संगठन है।

यह स्वयंसेवी संगठन है जिसके दो मुख्य उद्देष्य हैः-

(अ) प्रदेश में आपातकालीन स्थिति में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस बल को सहायता करना।

(ब) लोक कल्याणकारी कार्यो में सहयोग एवं नागरिक सुरक्षा से संबंधित कार्यो का सम्पादन करना

नगर सेना संगठन का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। प्रदेश में संगठन के प्रमुख डायरेक्टर जनरल हैं, वे डायरेक्टर सिविल डिफेन्स एवं आपदा प्रबंधन भी हैं। मुख्यालय में एक पुलिस महानिरीक्षक, एक पुलिस उप महानिरीक्षक एवं एक अतिरिक्त प्रधान सेनानी (विभागीय) तथा दो सीनियर स्टाफ आफीसर, सयुक्त संचालक (वित्त), दो जूनियर स्टाफ आफीसर (प्रशिक्षण/स्थापना) तथा एक क्वार्टर मास्टर, एवं एक लेखाधिकारी के पद स्वीकृत हैं, जो सम्पूर्ण म0प्र0 के अधीनस्थ इकाईयों के कार्यालयों का पर्यवेक्षण के रुप में आडिट संबंधी कार्य संपादित करते हैं। इसके अतिरिक्त एक पद अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एक पुलिस महानिरीक्षक या उप महानिरीक्षक, एक संभागीय सेनानी, पॉच जिला सेनानी, एक मेडीकल अधिकारी, एक तकनीकी विशेषज्ञ का पद आपदा प्रबंधन हेतु स्वीकृत किया गया है ।

अधीनस्थ कार्यालय- 1.2 मुख्यालय के अधीनस्थ जबलपुर में एक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान मंगेली, जबलपुर में है, इस संस्थान में होमगार्ड स्वयंसेवकों के बेसिक प्रशिक्षण, एडवांस कार्स/लीडर शिप कोर्स/वाटरमैन शिप कोर्स आदि का प्रशिक्षण प्लाटून कमाण्डर स्तर तक के अधिकारियों/ कर्मचारियों का बेसिक प्रशिक्षण एवं रिफ्रेशर कोर्स संचालित किया जाता है तथा डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेंट/कम्पनी कमाण्डर तक के अधिकारियों का रिफ्रेशर कोर्स संचालित किया जाता है ।

इस संगठन में 15800 होमगार्ड स्वयं सेवक एवं 505 गोपनीय सैनिक इस प्रकार कुल 16305 स्वयंसेवकों का बल स्वीकृत है जिसमें सुचारू प्रशासनिक संचालन हेतु 1303 नियमित अधिकारी/कर्मचारी के पद स्वीकृत हैं । इसके अतिरिक्त राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल हेतु 1500 स्वयंसेवकों का बल स्वीकृत है एवं वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जिलों में आवश्यकता के अनुरूप आनुपातिक रूप से 943 स्वयंसेवी होमगार्ड तैनात हैं। जिसके संचालन हेतु मुख्यालय एवं स्टेट कमांड सेन्टर हेतु 44 एवं चार जिला इकाइयों (भोपाल, इन्दौर ,जबलपुर एवं ग्वालियर) हेतु 88 कुल 132 नियमित पद स्वीकृत है।

<u>विभाग के अन्तर्गत आने वाले मंडल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण</u> **1:3-** ''निरंक''

<u>विभाग के दायित्व</u> **1:4**

मध्यप्रदेश होमगार्ड संगठन की स्थापना मध्यप्रदेश होमगार्ड,अधिनियम 1947 के अंतर्गत की गई है । वर्ष 1956 में मध्यप्रदेश राज्य की स्थापना होने पर इसे राज्य विधान सभा व्दारा आवश्यक संशोधनों सहित अंगीकृत किया गया ।

<u>विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी</u> **1:5** होमगार्ड विभाग स्वयं सेवी संस्था (संगठन) है जिसका मुख्यालय जबलपुर में स्थापित इसके अधीनस्थ एक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान मंगेली, जबलपुर में स्थित है। इसके अतिरिक्त संभागीय/जिला स्तर के कार्यालय भी है। विभाग का कार्य पुलिस बल को सहयोग करना है तथा शासन के दीगर विभागों को उनके लोक कल्याण कार्यक्रमां में क्रियान्वन में यथोचित सहयोग प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल का गठन किया गया है मुख्यालय एवं स्टेट कमांड सेन्टर चार जिला इकाइयों (भोपाल ,इन्दौर ,जबलपुर एवं ग्वालियर) स्थापित है ।प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैः-

1- मध्यप्रदेश होमगाड्र्स स्वयंसेवी संगठन है, इसका कार्य प्रदेश में आन्तरिक सुरक्षा, आपातकालीन स्थिति में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस बल को सहायता करना।

2- होमगार्ड संगठन बल के सदस्य राज्य में कानून व्यवस्था डियूटी में पुलिस के सहायता के अतिरिक्त विशेष तौर पर बाढ़ राहत व अन्य आपदाओं में इनका कार्य विशेष रूप से सराहनीय होता है वे सभी प्रकार की डियूटी के लिये यह सदैव तत्पर रहते है।

3- लोक कल्याणकारी कार्यो के सहयोग एवं नागरिक सुरक्षा से संबंधित कार्या का संपादन करना।

4- रेस्क्यू की त्वरित कार्यवाही हेतु प्रदेश स्तर पर 254 डीआरसी, 52 क्यूआरटी तथा 52 ईओसी सेन्टरों में होमगार्ड तथा आपदा प्रबंधन के अधिकारी/कर्मचारी एवं जवानों को तैनात कर सम्पूर्ण प्रदेश में राहत केन्द्र स्थापित किये गयें।

5- स्टेट कमाण्ड सेन्टर भेपाल में स्थापित है, जिसका टोल फ्री नम्बर 1079/1070 पर आपदा की सूचना मिलने पर प्रदेश के होमगार्ड एवं आपदा प्रबंधन की टीम त्वरित राहत कार्य में लग जाती है

6- वर्ष के दौरान होमगार्डस् नागरिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन के द्वारा अत्यंत सराहनीय कार्य किये गये है। हाल ही में जब सम्पूर्ण प्रदेश में लगातार अतिवर्षा से बाढ़ आपदाओं की स्थिति रही, तब आम नागरिकों को रेस्क्यू कर त्वरित राहत देकर कठिन एवं महत्वपूर्ण डियूटी अत्यंत सफलता से सम्पादित की है। वर्ष 2023 के दौरान बाढ आपदा का सुचारु प्रबंधन किया गया। मध्यप्रदेश के 09 जिलों में बाढ में होमगार्ड एवं SDERF के सहयोग से 1235 रेस्क्यू कार्य किये गये जिसके माध्यम से 18676 व्यक्तियों को बाढ़-आपदाओं में से सुरक्षित निकाला गया तथा जनहानि नही होने दी गई। बाढ की विषम परिस्थितियों में फंसकर मृत्यु होने पर बह जाने से 989 शव निकालकर परिजनों को सुपुर्द किये गये साथ 2903 मवेशी निकाले गए।

7- SDERF बल का बाढ़ की आपदा के साथ ही भूकम्प, रसायनिक आपदा एवं औद्योगिक आपदा के प्रबंधन के लिए भी सक्षम किया जा रहा है।

8- SDERF के स्वीकृत पद 2975 के प्रथम चरण में 943 सैनिकों को पदों की पूर्ति हो चुकी है ।

9- 77वें होमगार्ड के स्थापना दिवस के अवसर पर 06 दिसम्बर, 2023 को भोपाल में होमगार्ड जवानो के 50 मेधावी बालक/बालिकाओं को कुल राशि रूपये-3,65,000 के प्रोत्साहन राशि के चेक प्रदाय किये गये।

10- रालामण्डल इंदौर को क्षेत्रीय होमगार्ड एवं आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान के रुप में विकसित किया जा रहा है।

11- केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान होमगार्डस् मंगेली जबलपुर मध्यप्रदेश में स्थित होमगार्ड की लगभग 250 एकड जमीन है, जिस पर एनडीआरएफ के मापदंडों का अवलोकन कर एक राष्ट्रीय स्तर का आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कराया जा रहा है जिसके लिए लगभग रू. 166.79 करोड की राशि प्रस्तावित है।

भाग - दो

2:1 बजट विहंगावलोकनः- इस विभाग का बजट प्रावधान वर्ष 2023-2024 का निम्नानुसार थाः-

मांग संख्या-03-2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं **-107** होमगार्ड

क्र0	बजट शीर्ष एवं कोड क्रमांक	विभाग का प्रस्तावित बजट 2023-24	शासन द्वारा स्वीकृत बजट 2023-24
1	-0492- आव्हान पर होने वाला व्यय	5,52,07,00,000	4,50,00,00,000
2	-2710-प्रधान सेनानी का कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय	79,22,70,000	81,79,52,000
3	-4670-स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण	1,72,56,000	1,72,56,000
4	स्कीम-7867-नगर सेना का आधुनिकीकरण	90,01,000	90,01,000
	योग **107**-होमगार्ड	**6,33,92,27,000**	**5,34,42,09,000**
5	53- डिक्री धन का भुगतान	2,00,000	2,00,000

6-4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय :-

क्र0	बजट शीर्ष एवं कोड क्रमांक	विभाग का प्रस्तावित बजट 2023-24	शासन द्वारा स्वीकृत बजट 2023-24
1	7188 -आपदा प्रबंधन के लिये निर्माण	6,00,00,000	6,00,00,000

7-7327- राज्य आपदा आपतकालीन मोचन बल का गठन :-

क्र0	बजट शीर्ष एवं कोड क्रमांक	विभाग का प्रस्तावित बजट 2023-24	शासन द्वारा स्वीकृत बजट 2023-24
1	7327	89,80,16,870	60,22,61,000
2	डिक्री धुन का भुगतान	50,000	50,000

8-9545- विभागीय परिसम्पत्तियों का संधारण :-

क्र0	बजट शीर्ष एवं कोड क्रमांक	विभाग का प्रस्तावित बजट 2023-24	शासन द्वारा स्वीकृत बजट 2023-24
1	9545	3,00,00,000	10,00,00,000

मॉग संख्या**-03-2070-**अन्य प्रशासनिक सेवाऐं**- 106-** नागरिक सुरक्षा

क्र0	बजट शीर्ष एवं कोड क्रमांक	विभाग का प्रस्तावित बजट 2023-24	शासन द्वारा स्वीकृत बजट 2023-24
1	1558-नागरिक सुरक्षा	45,85,000	45,85,000

जेण्डर बजट **:-** जानकारी ''निरंक'' है।

भाग - तीन

राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं-

आधुनिकीकरण योजना वर्ष **2023-24** के अन्तर्गत विभागीय व्यय 'निरंक' है ।

लोक अभियोजन संचालनालय मध्प्रदेश, भोपाल

1. **विभागीय संरचना**

1.1 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत निष्पक्ष एवं एकीकृत अभियोजन व्यवस्था के निर्माण उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2(ई)168/87/ब(4)दो, दिनांक 08 जून 1987 के द्वारा लोक अभियोजन संचालनालय का गठन किया गया है । लोक अभियोजन संचालनालय द्वारा निम्न प्रमुख कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन किया जाता है :-

i. शासन के सभी विभागो की ओर से संस्थित अपराधिक प्रकरणों में उत्तरदायी/सक्षम अभियोजन संचालन सुनिश्चित करना ।

ii. विचारण न्यायालयों के समक्ष पूर्णकालिक अभियोजन की उपस्थिति सुनिश्चित करना ।

iii. लोक अभियोजक, अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं सहायक लोक अभियोजकों के कार्य का नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं अभियोजन कार्य के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान करना ।

iv. भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक F-NO.25016/52/2019-LC Government of India Ministry of Home Affairs IS-II Division/Legal/1 New Delhi दिनांक 04-12-2019 के अनुपालन में Mutual Legal assistance (MLA) Request एवं Letter Rogatory (LR) पर विधिक अभिमत ।

v. विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा-45 के पालन में अभियोजन स्वीकृति के प्रश्न पर परामर्श ।

vi. द.प्र.सं. की धारा-321 के अंतर्गत "प्रकरण वापसी" की कार्यवाही में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य ।

vii. शासन द्वारा वांछा किए जाने पर आपराधिक विधियों का परीक्षण/ परामर्श एवं अन्य ऐसे कार्य जो समय-समय पर साधारण या विशेष आदेश के माध्यम से शासन द्वारा सौंपे जाये ।

1.2 विभाग में जिला स्तर पर अभियोजन अधिकारियों को वर्तमान दो पृथक- पृथक संवर्ग है। नियमित संवर्ग के अधिकारीगणों, जिनका चयन म.प्र.लोक सेवा आयोग के माध्यम से होता है, का संपूर्ण स्थापना कार्य गृह विभाग के अंतर्गत अभियोजन संचालनालय द्वारा सम्पादित किया जाता है। असंवर्गीय अभियोजक (निजी अधिवक्ताओं में से संविदा आधार पर सीमित अवधि के लिए नियुक्त) द्वारा होती है। इनका स्थापना कार्य जिला दण्डधिकारी

द्वारा सम्पादित किया जाता है । इनका नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं अनुषंगी कार्य संचालक लोक अभियोजन को सौंपा गया है।

1.3 माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में सम्पादित अपील एवं अन्य दाण्डिक अभियोजन कार्य का समन्वय अभियोजन संचालनालय के क्षेत्राधिकार में नही हैं ।

2. **प्रशासकीय संरचना एवं कार्य -**

लोक अभियोजन संचालनालय के अंतर्गत संचालनालय मुख्यालय, जिला स्तरीय कार्यालय 50 एवं तहसील स्तरीय अभियोजन कार्यालय 172 क्रियाशील हैं । आगर एवं निवाड़ी हेतु जिला कार्यालयों से अपेक्षित कार्य वर्तमान में पूर्ववर्ती जिला शाजापुर एवं टीकमगढ से ही कार्य सम्पन्न किया जा रहा है । विभाग द्वारा पुलिस, राज्य लोक सेवा आयोग, लोकायुक्त संगठन, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो आदि को प्रशिक्षण एवं सलाह हेतु प्रतिनियुक्ति द्वारा अभियोजन अधिकारी उपलब्ध कराए जाते हैं।

2.1 **लोक अभियोजन संचालनालय के लिए पद :-**

क्र.	**पदनाम**	**स्वीकृत पद**	**पदस्थ पद**	**रिक्त पद**	**रिमार्क**
1	संचालक	1	1	0	----
2	संयुक्त संचालक	2	0	2	----
3	उपसंचालक	2	1	1	----
4	सहायक संचालक / जिला लोक अभियोजन अधिकारी	4	2	2	----
5	सहायक संचालक / सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी	1	1	0	02 एडीपीओ सहायक संचालक के पद पर पदस्थ
6	प्रशासकीय अधिकारी (अनुसचिवीय)	1	0	1	----
7	सहायक स्टाफ	61	43	18	----
कुल योग		**72**	**48**	**24**	**----**

2.2 **प्रतिनियुक्ति/जिला/तहसील स्तर पर :-**

क्र.	**पदनाम**	**स्वीकृत पद**	**पदस्थ पद**	**रिक्त पद**	**रिमार्क**
1	उपसंचालक	80	15	65	----
2	जिला लोक अभियोजन अधिकारी / अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी	189	110	79	----
3	सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी	1070	723	347	----
4	सहायक स्टाफ	847	484	363	----
कुल योग		**2186**	**1332**	**854**	**----**

2.3 **भर्ती**

i. सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारियों के 256 पदों पर सीधी भर्ती के संबंध में म.प्र.लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। चयन प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलन में है।

ii. स्टेनो टायपिस्ट के 01 पद की पूर्ती हेतु कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किया जा चुका है।

iii. 123 तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया के संबंध में शासन को प्रस्ताव/संक्षेपिका प्रेषित की गयी है।

2.4 **भर्ती (अनुकंपा नियुक्ति)**

वर्ष 2023 में 02 पद पर चतुर्थ श्रेणी पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गयी है एवं 02 अनुकंपा नियुक्ति प्रस्ताव प्रचलन में हैं।

2.5 **समयमान- वेतनमान**

i. अभियोजन अधिकारियों को पात्रता अनुसार प्रथम/ द्वितीय/ तृतीय समयमान-वेतनमान की कार्यवाही प्रचलन में है ।

ii. तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को पात्रता अनुसार प्रथम/ द्वितीय/ तृतीय समयमान-वेतनमान की कार्यवाही प्रचलन में है।

2.6 **स्थायीकरण**

i. वर्ष 2017- 2018 के शेष 46 अभियोजन अधिकारियों के स्थायीकरण की कार्यवाही प्रचलन में है।

ii. वर्ष 2019 में पदस्थ 244 कर्मचारियों का स्थायीकरण किया गया ।

2.7 **स्थानांतरण**

i. म.प्र. शासन के आदेश दिनांक 08.09.2023 द्वारा 09 डीपीओ तथा 24 एडीपीओ का स्थानांतरण किया गया है ।

ii. म.प्र. शासन के आदेश दिनांक 05.10.2023 के द्वारा तृतीय श्रेणी के 19 कर्मचारियो का स्थानांतरण किया गया है।

2.8 **पदोन्नति**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति के संबंध में एसएलपी दायर होने से वर्ष 2022 में किसी भी अधिकारी/सहायक स्टॉफ को पदोन्नति प्रदान नहीं की गई है।

2.9 त्यागपत्र

वर्ष 2023 में 03 अभियोजन अधिकारी तथा 07 सहायक स्टाफ द्वारा अन्य विभागों में चयन होने से विभाग से त्यागपत्र दिया गया है ।

2.10 गोपनीय चरित्रावली

i. लोक अभियोजन, मध्यप्रदेश के सभी अधिकारियों की दिनांक 01 अप्रैल 2022 से दिनांक 31 मार्च 2023 तक की गोपनीय चरित्रावली ऑनलाइन स्पेरो प्रणाली द्वारा मतांकित की कार्यवाही पूर्ण की गई है।

ii. लोक अभियोजन, मध्यप्रदेश के सभी कर्मचारियों की दिनांक 01 अप्रैल 2022 से दिनांक 31 मार्च 2023 तक की गोपनीय चरित्रावली ऑनलाइन स्पेरो प्रणाली द्वारा मतांकित करने की कार्यवाही प्रचलन में है और वर्ष 2024 की गोपनीय चरित्रावली में मतांकन प्रक्रिया ऑनलाइन स्पेरो प्रणाली द्वारा किया जायेगा ।

2.11 बजट

लेखा बजट शाखा द्वारा वर्ष 2023-24 बजट राशि कुल 1,28,81,04,400/- (शब्दों में एक सौ अट्ठाईस करोड़, इक्यासी लाख, चार हजार, चार सौ मात्र) आवंटन हुआ है। दिनांक 31.12.2023 तक राशि 96,43,69,975/- व्यय हुआ है, एवं रू. 25,06,54,930/- शेष है।

2.12 स्टोर/ क्रय

i. वर्ष 2023-24 की अवधि में लोक अभियोजन संचालनालय भोपाल में भण्डार संधारण हेतु एक बड़े हॉल (टीन शेड) का निर्माण कराया गया प्रदेश स्तर से आने वाले अधिकारियों/आगंतुकों हेतु संचालनालय में सुलभ शौचालय आदि का निर्माण पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन भोपाल के माध्यम से कराया गया ।

ii. संचालनालय में पदस्थ अधिकारियों के आवागमन एवं प्रशासनिक सुविधा दृष्टि से 01 वाहन किराये पर उपलब्ध कराया गया ।

iii. लोक अभियोजन संचालनालय भोपाल में शासकीय कार्य संपादन हेतु प्रशासनिक सुविधा दृष्टि से 06 दो पहिया वाहन क्रय किये गये ।

iv. लोक अभियोजन संचालनालय का मुख्य बोर्ड का निर्माण कराया गया ।

v. संचालनालय लोक अभियोजन मुख्यालय भवन में अधिकारियों/कर्मचारियों के बैठक व्यवस्था एवं आवागमन की दृष्टि से कार्य कराया गया ।

vi. आवश्यकतानुसार शासकीय कार्य सुचारू रूप से संपादन हेतु कार्यालय फर्नीचर क्रय किया गया है ।

3 **विभागीय जांच**

स. क्र.	01 जनवरी, 23 के पूर्व लंबित विभागीय जांच प्रकरणों की संख्या	दिनांक 01 जनवरी 23 से 31.12.23 में संस्थित विभागीय जांच प्रकरणों की संख्या	योग (2+3)	सजा	दोषमुक्त	निराकृत प्रकरण की संख्या (5+6)	कुल लंबित विभागीय जांच प्रकरण की संख्या (4-7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	27	01	28	06	08	14	14

4 **अन्य शिकायत**

क्र.	वर्ष 2023 में कुल प्राप्त शिकायत	पूर्व लंबित शिकायत	कुल शिकायत	वर्ष 2023 में निराकृत शिकायत की जानकारी	कुल लंबित शिकायत
1	121	80	201	51	150

5. **आई.टी.**

i. अभियोजन विभाग अंतर्गत केन्द्र शासन द्वारा संचालित ICJS परियोजना में लोक अभियोजन म.प्र. ने आईसीजेएस ई-प्रॉसीक्यूशन पोर्टल में वर्ष 2023 में सर्वाधिक डाटा एंट्री किये जाने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया।

ii. लोक अभियोजन विभाग में अभियोजन अधिकारी स्तर की वर्ष 2022-23 की गोपनीय चरित्रावली, स्पेरो प्रणाली के माध्यम से भरी जाना प्रारंभ की जा चुकी है, जिससे विभाग में पारदर्शिता में बढ़ोत्तरी हुई है।

iii. वर्ष 2022-23 की अभियोजन कर्मचारीगण स्तर की गोपनीय चरित्रावली, स्पेरो प्रणाली के माध्यम से भरी जाने हेतु कार्य प्रगति पर है जिसे नियत समय तक पूर्ण कर लिया जावेगा।

6. **प्रशिक्षण**

i. WCS India द्वारा दिनांक 16/09/23 को Combating wildlife trade विषय पर आयोजित कार्यशाला में **30 अभियोजन अधिकारियों** द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया ।

ii. अभियोजन अधिकारियों के विधिक ज्ञान दक्षता संवर्धन हेतु एक दिवसीय संभागीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 580 अभियोजन अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया ।

iii. एल.एन.जे.एन. एवं एनसीआरबी नई दिल्ली, सीएपीटी भोपाल, सी.डी.टी.आई. गाजियाबाद/जयपुर/कोलकाता, जबलपुर न्यायिक अकादमी, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद जैसे विभिन्न प्रशिक्षण सस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 97 अभियोजन अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

iv. आयुक्त अनुसूचित जाति विकास म.प्र. भोपाल द्वारा दिनांक 04/05/23 को PTRI भोपाल में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें संबंधित प्रकरणों में पैरवीकर्ता अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

v. वर्ष 2017-18 बैच के नवनियुक्त 34 सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारीगण का कंडेस प्रशिक्षण दिनांक 16/05/23 से 27/05/23 तक राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय, भोपाल में आयोजित किया गया।

vi. मान. उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा याचिकायों में दिये गये निर्देशानुसार अभियोजन अधिकारियों के विधिक ज्ञान संवर्धन हेतु जिला अभियोजन अभियोजन अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

vii. मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में प्रस्तुत MCrC. 6362/19 दीपक सिंह चौहान उर्फ दीपू चौहान विरूद्ध म.प्र. शासन में दिये गये निर्देशानुसार सीसीटीएनएस, ई-विवेचना, आई.सी.जे.एस. सिस्टम के संबंध में दिनांक 07/10/23 को अति. पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर के निर्देशन में आयोजित कार्यशाला में डीपीओ ग्वालियर से 20 अभियोजन अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

viii. मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में प्रस्तुत MCrC. No. 24900/23 विजेन्द्र सिहं सिकरवार विरूद्ध म.प्र. शासन में दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 09/12/23 को जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, सागर में "अभियोजन अधिकारियों की व्यवसायिक कार्य दक्षता संवर्धन एवं आपराधिक प्रकरणों में उत्कृष्ठ विवेचना एवं समंस की समयसीमा में तामीली" विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सागर, जबलपुर, चम्बल, ग्वालियर, शहडोल, रीवा संभाग के 60 पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

7. <u>न्यायालयों में अभियोजन -</u>

(ए) सत्र न्यायालयों के भा.द.वि. के प्रकरण :-

पूर्व लंबित प्रकरण	वर्ष में प्रस्तुत प्रकरण	योग	सजा	बरी	डिस्चार्ज	राजीनामा	फाइल फरार	वापस	अधीनस्थ न्याया. को रिमांड किये गये प्रकरण	प्लीबारगेनिंग	अन्य जिले को अंतरण	उच्च न्यायालय द्वारा समाप्त	कुल निकाल	शेष लंबित	सजा का प्रतिशत
49121	12768	61889	4110	12295	59	269	913	6	223	2	399	97	18373	43516	25.05

(बी) सत्र न्यायालयों के लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के प्रकरण:-

पूर्व लंबित प्रकरण	वर्ष में प्रस्तुत प्रकरण	योग	सजा	बरी	डिस्चार्ज	राजीनामा	फाइल फरार	वापस	अधीनस्थ न्याया. को रिमांड किये गये प्रकरण	प्लीबारगेनिंग	अन्य जिले को अंतरण	उच्च न्यायालय द्वारा समाप्त	कुल निकाल	शेष लंबित	सजा का प्रतिशत
15544	5899	21443	2169	5324	11	130	591	00	10	0	115	21	8371	13072	28.94

(सी) सत्र न्यायालयों के अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रकरण:-

पूर्व लंबित प्रकरण	वर्ष में प्रस्तुत प्रकरण	योग	सजा	बरी	डिस्चार्ज	राजीनामा	फाइल फरार	वापस	अधीनस्थ न्याया. को रिमांड किये गये प्रकरण	प्लीबारगेनिंग	अन्य जिले को अंतरण	उच्च न्यायालय द्वारा समाप्त	कुल निकाल	शेष लंबित	सजा का प्रतिशत
34923	9934	44857	1363	4659	11	915	375	0	22	0	4	8	7357	37500	22.63

(डी) सत्र न्यायालयों के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अंतर्गत प्रकरण:-

पूर्व लंबित प्रकरण	वर्ष में प्रस्तुत प्रकरण	योग	सजा	बरी	डिस्चार्ज	राजीनामा	फाइल फरार	वापस	अधीनस्थ न्याया. को रिमांड किये गये प्रकरण	प्लीबारगेनिंग	अन्य जिले को अंतरण	उच्च न्यायालय द्वारा समाप्त	कुल निकाल	शेष लंबित	सजा का प्रतिशत
831	252	1083	158	76	9	0	12	0	0	0	1	1	257	826	67.52

(ई) सत्र न्यायालयों के एनडीपीएस के प्रकरण:-

पूर्व लंबित प्रकरण	वर्ष में प्रस्तुत प्रकरण	योग	सजा	बरी	डिस्चार्ज	राजीनामा	फाइल फरार	वापस	अधीनस्थ न्याया. को रिमांड किये गये प्रकरण	प्लीबारगेनिंग	अन्य जिले को अंतरण	उच्च न्यायालय द्वारा समाप्त	कुल निकाल7	शेष लंबित	सजा का प्रतिशत
7376	1793	9169	788	632	7	0	214	0	10	0	0	0	1651	7508	55.49

(एफ) सत्र न्यायालयों के अन्य विधान के प्रकरण:-

पूर्व लंबित प्रकरण	वर्ष में प्रस्तुत प्रकरण	योग	सजा	बरी	डिस्चार्ज	राजीनामा	फाइल फरार	वापस	अधीनस्थ न्याया. को रिमांड किये गये प्रकरण	प्लीबारगेनिंग	अन्य जिले को अंतरण	उच्च न्यायालय द्वारा समाप्त	कुल निकाल	शेष लंबित	सजा का प्रतिशत
4858	1004	5862	244	1023	12	39	71	1	21	1	6	12	1430	4432	19.25

(जी) अधीनस्थ न्यायालयों में पुलिस द्वारा संस्थित भादवि के प्रकरण:-

पूर्व लंबित प्रकरण	वर्ष में प्रस्तुत प्रकरण	योग	सजा	बरी	डिस्चार्ज	राजीनामा	फाइल फरार	वापस	अन्य जिले को अन्तरित	प्लीबारगेनिंग	उच्च न्याया. द्वारा समाप्त प्रकरण	सत्र न्याया. को उपार्पित	कुल निकाल	शेष लंबित	सजा का प्रतिशत
786874	206838	993712	27615	27198	225	119273	19585	5295	4802	17	2001	10091	216099	777613	50.38

(एच) अधीनस्थ न्यायालयों में पुलिस द्वारा संस्थित अन्य विधान के प्रकरण:-

पूर्व लंबित प्रकरण	वर्ष में प्रस्तुत प्रकरण	योग	सजा	बरी	डिस्चार्ज	राजीनामा	फाइल फरार	वापस	अन्य जिले को अन्तरित	प्लीबारगेनिंग	उच्च न्याया. द्वारा समाप्त प्रकरण	सत्र न्याया. को उपार्पित	कुल निकाल	शेष लंबित	सजा का प्रतिशत
104286	46100	150386	33350	9059	9	220	3931	2376	202	1	4	136	49288	101098	78.63

(आई) अधीनस्थ न्यायालयों में पुलिस के अतिरिक्त अन्य विभागों द्वारा भादवि के संस्थित प्रकरण:-

पूर्व लंबित प्रकरण	वर्ष में प्रस्तुत प्रकरण	योग	सजा	बरी	डिस्चार्ज	राजीनामा	फाइल फरार	वापस	अन्य जिले को अन्तरित	प्लीबारगेनिंग	उच्च न्याया. द्वारा समाप्त प्रकरण	सत्र न्याया. को उपार्पित	कुल निकाल	शेष लंबित	सजा का प्रतिशत
2738	6778	9516	987	1107	0	4935	355	67	0	0	1	339	7791	1725	47.13

(जे) अधीनस्थ न्यायालयों में पुलिस के अतिरिक्त अन्य विभागों द्वारा अन्य विधान के संस्थित प्रकरण:-

पूर्व लंबित प्रकरण	वर्ष में प्रस्तुत प्रकरण	योग	सजा	बरी	डिस्चार्ज	राजीनामा	फाइल फरार	वापस	अन्य जिले को अन्तरित	प्लीबारगेनिंग	उच्च न्याया. द्वारा समाप्त प्रकरण	सत्र न्याया. को उपार्पित	कुल निकाल	शेष लंबित	सजा का प्रतिशत
23257	1981	25238	1775	361	0	1	144	1	0	0	0	13	2295	22943	83.09

<u>संचालनालय सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश</u>

<u>भाग-एक</u>

1. संचालनालय सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश शासन का एक स्थाई विभाग है जो गृह (सामान्य) विभाग के अधीन कार्यरत है। यह विभाग प्रदेश के युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं, भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं, विकलांग भूतपूर्व सैनिकों एवं अन्य भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण एवं पुर्नवास तथा सेवारत सैनिकों के परिवार के सदस्यों के कल्याण संबंधी कार्य करता है। संचालनालय सैनिक कल्याण के अन्तर्गत वर्तमान में प्रदेश के 24 जिलों में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय कार्यरत है जो निम्नानुसार है:-

(अ) बैतूल (ब) भिण्ड (स) भोपाल (द) छतरपुर (ई) छिन्दवाडा (क) कटनी (ख) खंडवा

(ग) ग्वालियर (घ) गुना (ङ) नर्मदापुरम (च) इन्दौर (छ) जबलपुर (ज) मंदसौर (झ) मुरैना

(ञ) नरसिंहपुर (ट) रतलाम (ठ) रीवा (ड) सतना (ढ) सागर (ण) सिवनी (त) शहडोल

(थ) सीधी (द) टीकमगढ़ (ध) उज्जैन

2. देश में औसतन 60,000 सैनिक प्रत्येक वर्ष, 35 से 50 वर्ष की आयु में, सेना से सेवानिवृत होते हैं। इनमें से मध्यप्रदेश के सैनिक लगभग 1500-2000 होते है तथा वर्तमान में मध्यप्रदेश में कुल 69145 पूर्व सैनिक एवं विधवाँए पंजीकृत है। इस संचालनालय के प्रमुख कार्य युद्ध में शहीद सैनिकों की वीरनारियों, भूतपूर्व सैनिकों की धर्म पत्नियों, उनके आश्रितों, युध्द दिव्यांग सैनिकों तथा अन्य पूर्व सैनिकों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु तथा सेना में सेवारत सैनिकों के परिवार के सदस्यों के कल्याण संबंधी कार्यो का संचालन में सहायता प्रदान करना है। मध्य प्रदेश राज्य का सैन्य सेवा हेतु भर्ती कोटा बढ कर 7.5 प्रतिशत हो गया है, साथ ही "अग्नीवीर" योजना अपने प्रारंभिक चरण मे है। अत: भविष्य में 5000 तक सैनिक प्रति वर्ष सेवानिवृत्त हो कर प्रदेश में लौटने की संभावना है। उनके हित के लिए यह संचालनालय कार्यरत व तैयार है।

विभागीय गतिविधियां/दायित्व

3. राज्य शासन द्वारा "मुख्यमंत्री कारगिल सहायता कोष" की स्थापना की गई है, जिसके अन्तर्गत युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही के साथ, आंतकी हमला/नक्सली हमला/आन्तरिक सुरक्षा के दौरान शहीद सैनिकों की धर्म पत्नियों, आश्रितों एवं दिव्यांग सैनिकों को उनकी अशक्तता के अनुरूप अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया जाता है। मध्य प्रदेश सैनिक कल्याण द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाए/सेवाए निम्नलिखित है:-

(अ) **आर्थिक सहायता** :- वर्ष 2023-24 में दिनांक 31 मार्च 2024 तक 410 प्रकरणों में भूतपूर्व सैनिको/विधवाओं एवं उनके आश्रितों को विभिन्न उददेश्यों के लिये रूपये 80,38,520/- की आर्थिक सहायता समामेलित विशेष निधि से स्वीकृत की गई है।

(ब) **सेना के शहीदों के माता पिता को पेंशन** :- मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी सेना के शहीद सैनिकों के माता पिता को पेंशन रू 5,000/- प्रतिमाह दिनांक 24 मार्च 2017 से स्वीकृत करने का आदेश शासन द्वारा जारी किया गया है। योजना के अंतर्गत 31 2024 तक 28 हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृत कर भुगतान किया गया है।

(स) द्वितीय विश्व युद्ध पेंशन राज्य शासन द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के 104 नान पेंशनर्स भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं को रूपये 8,000/- प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

(द) **छात्रवृत्ति** :- वर्ष 2023-24 में विभिन्न कक्षाओं में उत्तीर्ण भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को 612 प्रकरणों में रूपये 71,95,000/- की छात्रवृत्ति समामेलित विशेष निधि से वितरित की गयी।

(इ) **सम्मान निधि** :- इस योजना के अंतगर्त वर्ष 2023-24 में राज्य के 46 माता-पिता जिनकी पुत्री सैन्य सेवा में सेवारत है, को प्रोत्साहन के रूप में सम्मान निधि रू 4,60,000/- प्रदान की गई है। 06 हितग्राहियों को अनुपूरक बजट प्राप्त होने पर सम्मान निधि से भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

(फ) **मेडल प्राप्तकर्ताओं को वित्तीय सहायता** :- राज्य शासन द्वारा 18 वीरता एवं विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्तकर्ताओं को रूपये 16,44,000/- प्रदान किये गये।

(ग) **प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना** :- प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2023-24 के अंतर्गत 153 पूर्व सैनिकों एवं विधवाओं के पुत्र/पुत्रियों के आवेदन केन्द्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली को प्रेषित किये गये है।

(ह) **पुनर्वास** :- भारतीय सशस्त्र सेना से सेवा निवृत्त होने वाले अधिकांश भूतपूर्व सैनिक 35-40 वर्ष के होते है। अत: केन्द्र शासन और राज्य शासन उनके पुनर्वास हेतु प्रबंध करते हैं । राज्य शासन द्वारा संचालनालय सैनिक कल्याण को रोजगार हेतु भूतपूर्व सैनिकों का नाम प्रायोजित करने के लिए अधिकृत किया गया है, जिससे केन्द्र शासन, राज्य शासन और सार्वजनिक उपक्रमों में भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों के लिये भूतपूर्व सैनिकों के नाम संचालनालय सैनिक कल्याण प्रायोजित करता हैं। भूतपूर्व सैनिको हेतु आरक्षण निम्नानुसार है:-

शासकीय/सार्वजनिक उद्योग	**आरक्षण की दर**	
	ग्रुप सी	**ग्रुप डी**
केन्द्र शासन	10 प्रतिशत	20 प्रतिशत
सार्वजनिक उपक्रम	14.5 प्रतिशत	24.5 प्रतिशत
राज्य शासन	10 प्रतिशत	20 प्रतिशत

वर्ष 2023-24 में केन्द्र शासन, प्रदेश शासन, केन्द्र शासन के उपक्रमों, बैकों एवं अन्य संस्थाओं में ग्रुप सी एवं डी में क्रमश: 225 एवं 309 भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

4. **सैनिक विश्राम गृह** :- भूतपूर्व सैनिकों को महत्वपूर्ण शहरों में प्रवास के दौरान आरामदेह और सस्ती आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिये सैनिक विश्राम गृह बनाये गये है। उनके निर्माण का खर्च केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा आधा-आधा वहन किया जाता है। वर्तमान में सैनिक विश्राम गृह निम्न 17 जिलों में स्थित है:-

(अ) जबलपुर (ब) मुरैना (स) भिन्ड (द) इन्दौर (इ) भोपाल (फ) सागर (ग) ग्वालियर (ह) छिन्दवाडा (ई) रीवा (ज) नर्मदापुरम (क) रतलाम (ल) सतना (म) खण्डवा (न) उज्जैन (ओ) बैतूल (प) नरसिंहपुर (र) सीधी।

5. **राज्य सैनिक बोर्ड मीटिंग/समामेलित विशेष निधि मीटिंग** :- यह दोनों बैठकें प्रतिवर्ष होने का प्रावधान है। समामेलित विशेष निधि की 23वी बैठक दिनांक 11 मार्च 2024 को संपन्न हुई । राज्य सैनिक बोर्ड की 19वी बैठक दिनांक 22 मार्च 2018 को हुई तथा 20वी बैठक का आयोजन का प्रस्ताव शासन के पास हैं ।

विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

6. **भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार** :- भूतपूर्व सैनिकों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के उददेश से मध्यप्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति की स्थापना वर्ष 1992 से की गई है, जिसके माध्यम से वर्तमान में 1040 भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

7. **सीएम हेल्प लाइन** :- सेवारत सैनिक/भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित अपनी शिकायतों के निवारण हेतु सीएम हेल्प लाइन में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायतों का निराकरण सात दिवस में किया जाता है। वर्ष 2023-24 में कुल 24 शिकायतें प्राप्त हुई थी, समस्त शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है।

8. **भूतपूर्व सैनिक रैली** :- वित्तीय वर्ष 2023-24 में इन्दौर एवं मुरैना में राज्य स्तरीय रैलियॉ तथा कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी एवं सतना में जिला स्तरीय रैलियों का आयोजन किया गया।

9. पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के मेनुअल एवं डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सहायता करते है।

1०. संचालनालय सैनिक कल्याण, मध्यप्रदेश की वेबसाइट का नवीनीकरण, वेबसाईट को यूजर फ्रेन्डली, इन्टर एक्टिव एवं संचालित योजनाओं को डिजिटल माध्यम से संचालित कराने का कार्य स्टेट एनआईसी द्वारा कराया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है।

भाग- दो

योजनानुसार बजट, बजट प्रबंधन एवं व्यय

1. **बजट** :- संचालनालय सैनिक कल्याण एवं जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के स्थापना एवं कार्यालयीन व्यय पर होने वाले सम्पूर्ण व्यय का 60 प्रतिशत भाग केन्द्रीय शासन एवं 40 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा मांग संख्या 003 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय आयोजनोत्तर (नॉन प्लान) के अन्तर्गत इस विभाग के लिए बजट आंवटित किया जाता है। गत तीन वर्षो का बजट आवंटन एवं व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	**कुल बजट आवंटन**	**वर्ष का कुल व्यय**
2021-22	16,30,91,000.00	13,67,98,688.00
2022-23	19,47,**44,0**00.00	15,**67,32,594**.00
2023-24	19,68,76,000.00	16,23,83,728.00(दिनांक31.3.24 तक)

2. **केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से केन्द्रांश की प्रतिपूर्ति** :- मध्यप्रदेश सैनिक कल्याण द्वारा स्थापना एवं कार्यालयीन व्यय राशि का 60 प्रतिशत अंश केन्द्र सैनिक बोर्ड से प्रतिपूर्ति के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक केन्द्रांश रू 32,98,25,289/- एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 की अग्रिम राशि रू 5,11,86,060/- (कुल राशि रू 38,10,11,349/-) प्राप्त हो चुकी है।

झंडा दिवस राशि (लक्ष्य एवं एकत्रीकरण)

3. **झंडा दिवस** :- प्रत्येक वर्ष 07 दिसम्बर को समस्त भारत वर्ष में झंडा दिवस का आयोजन किया जाता है। झण्डा दिवस में शासकीय कार्यालयों, निजी प्रतिष्ठानों एवं प्रदेश के नागरिकों से, भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं के कल्याण हेतु दान राशि एकत्रित की जाती है। यह राशि समामेलित विशेष निधि में जमा की जाती है, जिसके अध्यक्ष माननीय राज्यपाल महोदय हैं। इस राशि का उपयोग भूतपूर्व सैनिकों/ विधवाओं एवं उनके आश्रितों की कल्याण योजनाएं जैसे छात्रवृत्ति, विकलांग बच्चों को आर्थिक सहायता इत्यादि हेतु किया जाता हैं। गत चार वर्षो में एकत्रित की गई धन राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	लक्ष्य	एकत्रित धन राशि
07.12.2019 से 06.12.2020	2,90,60,000.00	2,53,43,872.20
07.12.2020 से 06.12.2021	3,19,88,000.00	2,89,45,975.00
07.12.2021 से 06.12.2022	3,19,88,000.00	3,24,60,942.28
07.12.2022 से 06.12.2023	3,19,88,000.00	5,70,88,803.34

भाग – तीन

राज्य योजनाये तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाये।

1. केन्द्र शासन की योजनायें परिशिष्ट क के अनुसार संलग्न है। (केन्द्रिय सैनिक बोर्ड)
2. राज्य शासन की योजनायें परिशिष्ट ख के अनुसार संलग्न है। (मध्यप्रदेश शासन)
3. समामेलित विशेष निधि से देय आर्थिक सहायता परिशिष्ट ग के अनुसार संलग्न है। (अध्यक्ष मा. राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश)

विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाऐं।

निरंक

भाग-चार

सामान्य प्रशासनिक विषय।

1. **विभाग में न्यायालयीन प्रकरण** - माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर/माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर में स्थापना से संबंधित 15, रोजगार से संबंधित 04 एवं कल्याण से संबंधित 05 प्रकरण लम्बित है, जिनकी निगरानी की जा रही है।

2. **नियुक्तियॉ** :- वर्ष 2023-24 में प्रथम श्रेणी के 05 अधिकारियों की संविदा के आधार पर नियुक्ति की गई तथा 08 स्थाई कर्मचारियों की भर्ती की गई है।

3. **विभागीय पदोन्नतियॉ** :- इस संचालनालय के अंतर्गत 24 जिला सैनिक कल्याण कार्यालय कार्यरत है। जिसमें कुल 176 कर्मचारियों के पद है। 2023-24 में लोक सेवा आयोग के तहत कोई पदोन्नति नहीं हुई है। विभागीय पदोन्नति से 01 पदोन्नति हुई है।

4. **स्थानांतरण** :- वर्ष 2023-24 में 04 अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया।

भाग-पॉच

अभिनव योजना।

1. भूतपूर्व सैनिक/पत्नी जो कैंसर /कुष्ठ रोग/100 प्रतिशत अंधत्व/अपाहिजत एवं शैयाग्रस्त हो, को अनुदान (नॉनपेंशनर को रूपये 55,000/- वार्षिक तथा पेंशनर को रूपये 35,**000/-** वार्षिक)।

2. **अपाहिज/मानसिक रोग से ग्रस्त भूतपूर्व सैनिक/विधवा के बच्चों को प्रतिमाह अनुदान :-**

पेंशनर		**नानपेंशनर**	
प्रतिशत	**राशि (रूपये)**	**प्रतिशत**	**राशि (रूपये)**
40-49	1,000	40-49	1,**500**
50-74	1,500	50-74	2,250
75-100	2,000	75-100	3,000

3. **सेवानिवृत्ति के पश्चात भूतपूर्व सैनिक के विकलांग होने पर वार्षिक अनुदान :-**

प्रतिशत	**राशि (रूपये)**
50-99	20,000
100	24,000

4. **पूर्व सैनिकों को एकमुश्त सम्मान निधि :-**

(अ) 85 एवं 90 वर्ष पूर्ण होने पर	रू. 15,000/-
(ब) 95 एवं 100 वर्ष पूर्ण होने पर	रू. 25,000/-

5. विकलांग पूर्व सैनिक को बैटरी से चलने वाली व्हील चेयर के क्रय/बदली करवाने हेतु अनुदान। वास्तविक व्यय राशि, अधिकतम रू. 50,000/- (5 वर्ष में एक बार)।

भाग-छः

विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन

विभाग की जानकारी हितग्राहियों तक पहुचाने के लिये प्रति वर्ष एक

'**सूचना पुस्तिका**' का प्रकाशन किया जाता है।

विभाग की वेब साईट

https://sainikkalyan.mp.gov.in

---------000---------

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता एवं अन्य सुविधाएं

1. हवलदार रैंक तक के नान-पेंशनर पूर्व सैनिक/विधवा जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक हो रु. 4,000/-प्रति माह।

2. हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों के बच्चों को स्नातक स्तर तक छात्रवृत्ति एवं विधवा को स्नातकोत्तर तक छात्रवृत्ति रु. 12,000/-प्रति वर्ष।

3. जै.सी.ओ. रैक तक के पूर्व सैनिकों के 100 प्रतिशत विकलांग बच्चे हेतु रु. 36,000/-प्रति वर्ष।

4. पुत्री विवाह अनुदान (हवलदार रैक तक) केवल प्रथम दो पुत्रियों के लिये रु. 50,000/-प्रति पुत्री

   एवं विधवा के पुर्नविवाह हेतु रू, 50,000/-।

5. नान-पेंशनर पूर्व सैनिकों को चिकित्सा हेतु (हवलदार रैंक तक) रु. 50,000/-प्रति वर्ष।

6. पूर्व सैनिक के अनाथ बच्चे (सभी रैंक के पेंशनर/नान पेंशनर), पूर्व सैनिक की अनाथ पुत्री के विवाह तक, पूर्व सैनिक के एक पुत्र को 21 वर्ष की आयु तक रु. 36,000/-प्रति वर्ष।

7. हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों की विधवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु रु. 20,000/-प्रतिवर्ष।

8. एक वर्ष अधिकतम 1,50,000/- रूपये तक सीमित। (कैंसर और डायलिसिस के लिए रूपये 75,000/- प्रति वर्ष) चिकित्सा उपचार, अस्पताल में भर्ती होने, दवाओं आदि पर किए गए कुल व्यय का 75 प्रतिशत और 90 प्रतिशत तक सीमित गैर-पेंशनभोगी अधिकारियों/विधवाओं और गैर-पेंशनभोगी अन्य रैंकों/विधवाओं के लिए क्रमश:।

9. सेवा निवृत्ति के पश्चात विकलांग हुए पूर्व सैनिक को मोडिफाइड स्कूटर हेतु रु. 1,00,000/-।

10. रक्षा मंत्री विवेकाधीन निधि से अर्थिक सहायता एवं छात्रवृति।

11. भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ योजना (ई सी एच एच)।

12. सी एस डी कैंटीन सुविधा।

13. वीर नारियों को रेल सफर हेतु शयनयान श्रेणी के किराया में 75 प्रतिशत छूट।

14. शौर्य अलंकरण (चक्र श्रेणी) प्राप्तकर्ताओं को टोल टैक्स में छूट।

15. केन्द्रीय व्यावसायिक विश्वविद्यालयों में आरक्षण।

16. शिकायत निवारण पोर्टल indianarmyveterans.in।

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति

पात्रता:- सैन्य अधिकारियों के अलावा भू.पू.सैनिकों के पुत्रों/पुत्रियों, जिन्होंने मेजर प्रोफेशनल डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष में दाखिला लिया हो तथा 10 + 2 एम ईक्यू ; (Minimum Entry Qualification) में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक अर्जित किये हों, तथा पात्रता मापदंड पूरा करते हों, को केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

पीएम स्कालरशिप प्रदाय हेतु कोर्स:- समस्त मेजर प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज करने वाले पुत्र/पुत्री (ये डिग्री प्रोग्राम संबंधित गवर्नमेन्ट रेग्युलेटरी बाडी जैसे कि एमसीआई, एआईसीटीई एवं यू जीसी इत्यादि द्वारा मान्यता प्राप्त होने चाहिये)।

छात्रवृत्ति की राशि:- पुत्रों को रु. 2,500/-प्रतिमाह तथा पुत्रियों को रु. 3,000/-प्रतिमाह ।

परिशिष्ट (ख)

मध्य प्रदेश शासन द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता एवं अन्य सुविधाएं

(1) द्वितीय विश्व युद्ध के नान पेंशनर भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी धर्मपत्नियों को 10000/- प्रतिमाह आर्थिक सहायता ।

(2) म.प्र. के स्थायी निवासी ऐसे माता/पिता जिनकी पुत्री प्रतिरक्षा सेवाओं में चयनित होती है उन्हें वित्तीय सहायता रूपये 10000/- प्रतिवर्ष ।

(3) मध्यप्रदेश शासन द्वारा शौर्य (वीरता) एवं विशिष्ट सेवा हेतु अलंकृत सैनिकों को वित्तीय सहायता ।

(4) सेना के शहीदों के माता पिता को रू 5000/- प्रतिमाह आर्थिक सहायता ।

(5) शासन की योजनाओं के अन्तर्गत आवासीय भूखण्ड/फ्लैट आवंटन में भूतपूर्व सैनिकों को 2 प्रतिशत का आरक्षण ।

(6) भूमि किराया अधिनियम भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में ।

(7) भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं को संपत्तिकर में छूट बशर्ते वह आयकर दाता न हो ।

(8) शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क इलाज ।

(9) राज्य पुलिस बल में भर्ती हेतु भौतिक परीक्षा में शिथिलता ।

(10) भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार हेतु शासकीय सेवा में भर्ती के लिये 10 प्रतिशत ग्रुप 'सी' एवं 20 प्र प्रतिशत ग्रुप 'डी' में आरक्षण

(11) म.प्र.लोक सेवा आयोग की परीक्षा फीस में छूट ।

(12) औद्योगिक भूखण्ड/शेड एवं सहकारी उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में प्राथमिक्ता ।

(13) भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र/पुत्री को चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश लेने हेतु 3 प्रतिशत का आरक्षण।

(14) भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र/पुत्री को कृषि महाविद्यालयों में 2 प्रतिशत का आरक्षण।

(15) भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र/पुत्री को तकनीकी शिक्षा में प्रवेश लेने हेतु 5 प्रतिशत आरक्षण।

(16) गृह विज्ञान महाविद्यालयों में 14 सीटों का आरक्षण।

(17) भूतपूर्व सैनिकों को आवश्कतानुसार शस्त्र लायसेंस 3 माह में एवं फीस में छूट।

(18) शिकायत निवारण हेतु जिला स्तर, शासन स्तर पर समिति एवं सीएम हेल्पलाईन।

(19) पूर्व सैनिकों के ठहरने के लिए 17 विश्राम गृह।

युद्ध/सैनिक कार्यवाही/ आतंकी हमला /नक्सली हमला /आन्तरिक सुरक्षा में शहीद सैनिक के परिवार को आर्थिक सहायता एवं अन्य सुविधायें

1. युद्ध/सैनिक कार्यवाही/ आतंकी हमला /नक्सली हमला /आन्तरिक सुरक्षा में शहीद सैनिक के परिवार को रू 1.00 करोड आर्थिक सहायता। परिवार के एक सदस्य को योग्यता के अनुसार ग्रुप 'बी', 'सी' एवं 'डी' में शासकीय सेवा में नियुक्ति।

2 युद्ध/सैनिक कार्यवाही/ आतंकी हमला /नक्सली हमला /आन्तरिक सुरक्षा में विकलांग हुए सैनिक को विकलांगता प्रतिशत के आधार पर आर्थिक सहायता (100 प्रतिशत के लिए 10 लाख) ।

3. युद्ध/सैनिक कार्यवाही/ आतंकी हमला /नक्सली हमला /आन्तरिक सुरक्षा में शहीद सैनिक/दिव्यांग की बहन/बेटी की शादी में उपहार राशि रू 10,000/-।

----000---

समामेलित विशेष निधि से देय आर्थिक सहायता: वित्तीय वर्ष 24-25 से प्रभावी

<table>
<tr><th>क्र0</th><th colspan="3">वित्तीय मद</th><th colspan="2">दर(रू)</th><th>टिप्पणी</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="3">भूतपूर्व सैनिक की पुत्री विवाह हेतु आर्थिक सहायता</td><td colspan="2">40,000</td><td rowspan="2">केवल प्रथम 2 पुत्रियों हेतु</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="3">विधवा की पुत्री, निराश्रित पुत्री के विवाह पर आर्थिक सहायता</td><td colspan="2">45,000</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="3">भूतपूर्व सैनिक की विधवा पत्नी के पुर्नविवाह पर आर्थिक सहायता</td><td colspan="2">51,000</td><td>एक बार</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="3">भूतपूर्व सैनिक/उसकी पत्नी के निधन पर अंतिम संस्कार करने वाले को अनुदान</td><td colspan="2">25,000</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="3">नान पेंशनर भूतपूर्व सैनिक/पत्नी को चिकित्सा अनुदान</td><td colspan="2">30,000</td><td>वर्ष में एक बार</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="3">नान पेंशनर भूतपूर्व सैनिक/विधवा को जीवनयापन हेतु दी जानी वाली आर्थिक सहायता</td><td colspan="2">30,000</td><td>वर्ष में एक बार</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="3">भूतपूर्व सैनिक के 1 अनाथ बच्चे को अनुदान
भूतपूर्व सैनिक के 2 अनाथ बच्चों को अनुदान</td><td colspan="2">2,000
4,000</td><td>मासिक</td></tr>
<tr><td rowspan="2">8</td><td colspan="3" rowspan="2">भूतपूर्व सैनिक/पत्नी जो केंसर/ कुष्ठ रोग/100 प्रतिशत अंधतत्व /अपाहिज एवं श्ययाग्रस्त हो, को अनुदान</td><td>नान पेंशनर</td><td>10,000</td><td>मासिक</td></tr>
<tr><td>पेंशनर</td><td>50,000</td><td>वार्षिक</td></tr>
<tr><td rowspan="5">9</td><td rowspan="5">अपाहिज/मानसिक रोग से ग्रस्त भूतपूर्व सैनिक/विधवा के बच्चों को अनुदान
(जे सी ओ रैंक तक)</td><td colspan="2">पेंशनर</td><td colspan="2">नान पेंशनर</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>प्रतिशत</td><td>राशि (रू0)</td><td>प्रतिशत</td><td>राशि(रू0)</td></tr>
<tr><td>40-49</td><td>1,500</td><td>40-49</td><td>2,000</td><td rowspan="3">} प्रतिमाह</td></tr>
<tr><td>50-74</td><td>2,000</td><td>50-74</td><td>4,000</td></tr>
<tr><td>75-100</td><td>3,000</td><td>75-100</td><td>5,000</td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="3">भूतपूर्व सैनिक/विधवा के लिए कृत्रिम अंग खरीदने एवं मरम्मत हेतु अनुदान</td><td colspan="2">वास्तविक व्यय (अधिकतम रू0 30,000/-)</td><td>आवश्यकतानुसार</td></tr>
<tr><td rowspan="3">11</td><td colspan="3" rowspan="3">सेवानिवृत्ति के पश्चात भूतपूर्व सैनिक के विकलांग होने पर अनुदान</td><td>प्रतिशत</td><td>राशि(रू0)</td><td rowspan="3">} प्रतिवर्ष</td></tr>
<tr><td>50-99</td><td>40,000</td></tr>
<tr><td>100</td><td>60,000</td></tr>
<tr><td>12</td><td colspan="3">सेवानिवृत्ति के उपरान्त द्वितीय सन्तान पुत्री के जन्म पर भूतपूर्व सैनिक/विधवा को (भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु के उपरान्त 9 माह तक जन्मी पुत्री) अनुदान (जिला सैनिक</td><td colspan="2">रू0 20,000/-</td><td>एक बार</td></tr>
</table>

	कल्याण अधिकारी एवं पुत्री के संयुक्त सावधि जमा के माध्यम से)				
13	भूतपूर्व सैनिक/विधवा के बच्चों द्वारा राष्ट्रीय/राज्य स्तर के खेल कूद में पदक प्राप्त करने पर अनुदान। (भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित होने पर)	राज्य स्तर पर राशि (रू0)		राष्ट्रीय स्तर पर राशि (रू0)	वर्ष में 1 एक बार, पदक मिलने पर किसी भी 1 प्रतियोगिता में
		स्वर्ण	30,000	50,000	
		रजत	20,000	35,000	
		कांस्य	15,000	25,000	
14	नान पंशनर भूतपूर्व सैनिक/पत्नी जो सैन्य सेवा से निस्कासित नहीं हुये हों एवं ई.सी.एच.एस. के सदस्य नहीं हैं	मोतियाबिंद आपरेशन		बिल अनुसार (अधिकतम राशि रू0 15,000/-)	दोनों आंखों में एक एक बार
		दांतो का सेट बनवाने हेतु		बिल अनुसार (अधिकतम राशि रू0 12,000/-)	10 वर्ष में एक बार
		श्रवण उपकरण		बिल अनुसार (अधिकतम राशि रू0 10,000/-)	5 वर्षं में एक बार
		चश्मा बनवाने हेतु		बिल अनुसार (अधिकतम राशि रू0 3,000/-)	2 वर्ष में एक बार
15	भूतपूर्व सैनिक/पत्नी (जे.सी.ओ. रैंक तक) को अनुदानः-				
	(क) डायलेसिस कराने पर			रू0 50,000/-	वर्ष में एक बार
	(ख) एन्जियोप्लास्टी, Coronary Artery Bypass Graft (CABG) ओपन हार्ट सर्जरी, Cerebral Stroke, वाल्व रिपलेसमेन्ट, घुटना/हिप रिपलेसमेन्ट कराने पर अनुदान			रू0 50,000/-	एक बार
16	द्वित्तीय विश्व युद्ध के नान पेंशनर भूतपूर्व सैनिक/विधवा को अनुदान			रू0 2,000/-	प्रतिमाह
17	पूर्व सैनिकों को सम्मान निधिः- (अ) 85 एवं 90 वर्ष पूर्ण होने पर (ब) 95 एवं 100 वर्ष पूर्ण होने पर			 रू0 15,000/- रू0 25,000/-	एक बार
18	विकलांग पूर्व सैनिक जो क्वीन मेरी तकनीकी संस्थान में पुनर्वास प्रशिक्षण ले रहे हैं उन्हें अनुदान			रू0 1,200/-	प्रतिमाह
19	विकलांग पूर्व सैनिक को बैटरी से चलने वाली व्हील चेयर के क्रय/बदली करवाने हेतु अनुदान			वास्तविक व्यय (अधिकतम रू0 50,000/-)	5 वर्ष में एक बार
20	संचालनालय सैनिक कल्याण में नियुक्ति हेतु साक्षात्कार के लिए आने पर भूतपूर्व सैनिक को अनुदान:-			वास्तविक व्यय (अधिकतम	आवश्यकतानुसार

	(क) स्लीपर क्लास का रेल किराया/बस किराया (ख) स्वल्पाहार हेतु	रू0 900/- रू0 100/-)	

<u>समामेलित विषेष निधि से देय छात्रवृत्ति: वित्तीय वर्ष 24-25 से प्रभावी</u>

क्र0	कक्षा	भूतपूर्व सैनिक		विधवा/अनाथ बच्चे	
		पात्रता%	राशि (रू0) में	पात्रता%	राशि (रू0) में
1	कक्षा 1 से 10 तक	उत्तीर्ण	10,000	उत्तीर्ण	11,000
2	कक्षा 11 एवं 12	60%	10,000	उत्तीर्ण	11,000
3	सभी स्नातक कोर्स	60%	20,000	उत्तीर्ण	25,000
4	सभी स्नातकोत्तर कोर्स	60%	30,000	उत्तीर्ण	40,000
5	आई.टी.आई	उत्तीर्ण	20,000	उत्तीर्ण	25,000
6	बी.टी.सी	उत्तीर्ण	20,000	उत्तीर्ण	25,000
7	सभी व्यवसायिक डिप्लोमा कोर्स	उत्तीर्ण	20,000	उत्तीर्ण	25,000
8	सभी व्यवसायिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स	उत्तीर्ण	25,000	उत्तीर्ण	30,000
9	सभी व्यवसायिक स्नातक कोर्स	उत्तीर्ण	30,000	उत्तीर्ण	40,000
10	सभी व्यवसायिक स्नातकोत्तर कोर्स	उत्तीर्ण	35,000	उत्तीर्ण	45,000
11	एनडीए केडेट के लिए छात्रवृत्ति	उपस्थिति	20,000	उपस्थिति	25,000
12	एसएसबी कोचिंग हेतु छात्रवृत्ति (केवल एक बार)	उपस्थिति	20,000	उपस्थिति	20,000
13	मिलिट्री/सैनिक स्कूल के होस्टल में रहने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति	उपस्थिति	30,000	उपस्थिति	35,000

संपदा संचालनालय,भोपाल

संपदा संचालनालय द्वारा शासकीय आवासों के आवंटन संबंधी कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में 'भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम, 2000'(संशोधित 04.10.2013, 01.10.14, 23.05.16) प्रभावशील है, जिसके अन्तर्गत शासकीय आवास आवंटन की कार्यवाही की जाती है। मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 के अधीन निष्कासन प्रकरण भी संधारित किये जाते हैं। आवासों के आवंटन हेतु सामान्यतः भोपाल में पदस्थापना की वरिष्ठता का क्रम रखा जाता है। 'एफ' श्रेणी के आवासों में पदस्थापना की वरिष्ठता एवं वेतनमान की वरिष्ठता दोनों के अनुसार आवास आवंटित किये जाते हैं। 'एफ' श्रेणी के आवास आवंटन समिति के निर्णय के अनुसार संचालक द्वारा आवंटित किये जाते हैं। संचालनालय द्वारा विभिन्न प्रकार के शासकीय आवासों यथा:- बी श्रेणी-105, सी श्रेणी-61, डी श्रेणी-255, ई श्रेणी-483 तथा एफ श्रेणी-1981, जी श्रेणी-3649, एच श्रेणी-2159, आई श्रेणी-2509 शासकीय आवास, इस प्रकार कुल 11,202 शासकीय आवास है। शासन की स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत साउथ एवं नार्थ टी टी नगर के 3146 आवासों को तोडे जाने की कार्यवाही प्रचलित है। इस प्रकार कुल 8056 शासकीय अवासों का आवंटन एवं निष्कासन की कार्यवाही की जाती है।

<u>नवाचारः-</u>

नई तकनीक के प्रयोग से आवासों के आवंटन हेतु ई-आवास Web-Poral: www.sampada.mp.gov.in NIC के माध्यम से विकसित किया गया है। गृह विभाग द्वारा गठित समिति के द्वारा वरिष्ठता के आधार पर आवास आवंटन नियम अंतर्गत एफ, जी, एच एवं आई श्रेणी के आवास आवंटित किये जाते है। नवीन वेबपोर्टल द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2020 से ऑनलाईन आवेदन पत्र भरे जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है । इस वेबसाईट के माध्यम से अपने शासकीय आवास आवंटन हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

एक ओर जहां नई तकनीक के प्रयोग से आवासों के आवंटन की प्रक्रिया पारदर्शी हुई है। वहीं दूसरी ओर शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक प्रणाली उपलब्ध कराई गई है। इस नई ई-आवास प्रणाली से दिनांक 14.02.2020 को भोपाल स्थित समस्त''आहरण संवितरण अधिकारियों''को परिचित कराने के लिए 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। आवास आवंटन उपरांत E-mail/SMS द्वारा आवंटन की जानकारी संबंधित शासकीय आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर भी दी जाती है एवं आवंटन की सूची कार्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाती है।

समस्त शासकीय आवासों में निवासरत् अधिकारियेां/कर्मचारियों से एप्म्लाई कोड प्राप्त किये जा रहे है एवं जिसके आधार पर जीओ-टेंगिग का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

<u>आवास आवंटनः-</u>

'एफ' 'जी', 'एच' एवं 'आई' श्रेणी के आवासों का आवंटन पूर्णतः भोपाल में पदस्थापना की वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है। यह वरिष्ठता सूची स्थायी रूप से संधारित होकर संचालनालय की वेबपोर्टल www.sampada.mp.gov.in पर प्रदर्शित की जावेगी। श्रेणियों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ निःशक्तजन/ गंभीर बीमारी, महिला कोटा (विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित) आदि के लिये आरक्षण का प्रावधान है। अतएव आरक्षित श्रेणियों की वरिष्ठता पृथक-पृथक संधारित की जाती है। शासकीय आवासों का आवंटन आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जाता है ।

एफ एवं जी श्रेणी तथा एच एवं आई श्रेणी के आवासों हेतु निम्नानुसार आरक्षण व्यवस्था लागू है:-

क्र	श्रेणी	F एवं G श्रेणी (प्रतिशत में)	H एवं I श्रेणी (प्रतिशत में)
1	अनुसूचित जाति	5	7
2	अनुसूचित जनजाति	5	8
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	8	8
4	महिला वर्ग	5	5
5	मंत्रालय कोटा	7	7
6	विंकलांग कोटा	2	2
7	गंभीर बिमारी कोटा	2	2

नोटः- विधानसभा कोटा अंतर्गत चारो श्रेणियों (एफ, जी, एच एवं आई) में प्रत्येक तीन माह में 1-1 आवास आवंटित करने के प्रावधान है।

शासन द्वारा साउथ/नार्थ टी टी नगर स्थित स्मार्ट सिटी योजना के रहवासियों से आवास रिक्त कराये जाकर सामान्य श्रेणी के नवीन आवास आवंटित किये जा रहे है। इस कारण जी,एच एवं आई श्रेणी के अंतर्गत रहवासियों के लिये आवास सुरक्षित रखे गये है। आवास आवंटन समिति की बैठक दिनांक 30.03.2022 में जी श्रेणी के अंतर्गत कुल 66 एवं एफ श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न बैठको में समिति द्वारा आज दिनांक तक कुल 467 आवास आवंटित किये गये है।

निष्कासनः-

मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम, 1974 अंतर्गत भोपाल स्थित शासकीय एवं विभागीय आवासों में अनाधिकृत रूप से निवासरत आवंटतियों एवं अन्य से आवासों को रिक्त कराने की कार्यवाही की जाती है। जनवरी 2023 से दिसम्बर 2023 तक सामान्य पूल एवं विभागीय अन्य विभिन्न श्रेणियों के 66 प्रकरण दर्ज किये गये, कुल 06 शासकीय आवास रिक्त कराये गये एवं शेष 60 प्रकरणों पर आवास रिक्त कराये जाने नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। कार्यालय में शासकीय आवास रिक्त कराये जाने हेतु तहसीलदार अधिकृत है, वर्तमान में विगत वर्ष से तहसीलदार का पद रिक्त है ।

स्मार्ट सिटीः-

भोपाल शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए संपदा संचालनालय द्वारा साउथ एवं नार्थ टी0टी0 नगर के एफ श्रेणी से आई श्रेणी तक के कुल 3146 शासकीय आवास रिक्त कराये जाकर शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियें को अन्य वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराये जा रहे है। स्मार्ट सिंटी योजना के अंतर्गत साउथ एंव नार्थ टीटी नगर के तोडे जा रहे आवासों के स्थान पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी द्वारा जहॉगीराबाद स्थित महालक्ष्मी परिसर के एफ श्रेणी 180, जी श्रेणी 320 एवं एच श्रेणी 51 इस प्रकार कुल 551 आवास आवंटित किये जाने हेतु कार्यपालन यंत्री, नया भोपाल संभाग, लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किये गये है। लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त आवास संपदा संचालनालय को आवंटन हेतु उपलब्ध कराये गये है।

महालक्ष्मी परिसर स्थित आवासों में से जी श्रेणी 120 आवास एवं एफ श्रेणी 40 आवास कुल 160 आवास म.प्र.पुलिस महानिरीक्षक को सीआई कॉलोनी जहागीराबाद का क्षेत्र भोपाल मेट्रो सिटी योजना में आने के कारण पुलिस विभाग के कर्मचारियो के विस्थापितो को आवंटित किये गये है। महालक्ष्मी परिसर के शेष आवासो का आवंटन भी किया जा रहा है।

स्मार्ट सिटी के कुल 3146 आवासों में से 1766 आवास परिवर्तन कर रिक्त /तोडें जा चुके है, 1380 शेष है । स्मार्ट सिटी भोपाल से प्राप्त जानकारी अनुसार होटल पलाश के सामने निर्माणधीन फेस 1 में नवीन आवास एफ-336, जी-364 कुल 700 आवासो का कार्य प्रगति पर है।

स्मार्ट सिटी योंजना के अंतर्गत रिक्त कराये जाने वाले आवासों के स्थान पर अन्य वैकल्पिक आवास अधिकारियों/कर्मचारियों को आवंटित होने तक मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति द्वारा जी,एचं एवं आई श्रेणी के नवीन आवास आवंटन पर रोक लगाई गयी है अतः जी, एच एवं आई श्रेणी की आवास आवंटन समिति की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है।

<u>स्थापनाः-</u>

संपदा संचालनालय अंतर्गत निम्नानुसार पद स्वीकृत हैंः-

क्र	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत्	रिक्त
1	संचालक (भा.प्र.से.)	1		1
2	आवंटन अधिकारी-(रा.प्र.से.)	1		1
3	तहसीलदार	1		1
4	सहायक अधीक्षक	1	-	1
5	स्टेनोग्राफर	1	-	1
6	सहायक प्रोग्रामर	1	1	-
7	राजस्व निरीक्षक	2	-	2
8	सहायक वर्ग दो	4	1	3
9	सहायक वर्ग तीन	7	2	5
10	वाहन चालक	1	-	1 स्थायी कर्मी कार्यरत
11	भृत्य	7	4	3
	योगः:	27	8	19

वर्तमान में रिक्त पदों पर सीधी भर्ती एवं प्रतिनियुक्ति के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रचलित है। विभागीय जांच निरंक है एवं प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ राजस्व निरीक्षक का स्थानांतरण जिला कार्यालय भोपाल हो जाने उपरांत राजस्व निरीक्षकों के 02 पदों की पूर्ति आज दिनांक तक नहीं की गई है साथ ही संयुक्त कलेक्टर स्तर का आंबटन अधिकारी, का पद एवं तहसीलदार का 01 पद भी वर्तमान में रिक्त है, उपरोक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन को लिखा गया है ।

<u>बजट प्रावधान वर्ष 2023-24 :</u>

वित्तीय वर्ष 2023-24 में मांग संख्या- 03, अन्तर्गत रू.2.47करोड बजट प्रावधानित है, संपदा संचालनालय व्दारा किसी भी प्रकार की योंजना/परियोजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया जाता है, और न ही शासन व्दारा योजना हेतु बजट राशि उपलब्ध करायी जाती है ।

कार्यालय मेडिकोलीगल इन्स्टीट्यूट
मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग
(गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय भवन, भोपाल)

1- <u>विभागीय संरचना :-</u>

भारत शासन द्वारा वर्ष 1964 में गठित सर्वेक्षण समिति की सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय गृह मंत्रालय की यह मंशा थी कि देश में प्रत्येक राज्य में मेडिकोलीगल संस्थान की स्थापना इसलिए की जाये कि पूरे भारत वर्ष में मेडिकोलीगल का कार्य विशेष अर्धन्यायिक स्तर का था। अतः उस समय की सिफारिश के अनुसार ही वर्ष 1965 से मध्यप्रदेश शासन द्वारा इसकी ओर ध्यान दिया गया और वर्ष 1977 में मध्यप्रदेश शासन द्वारा भोपाल में देश का प्रथम राज्यस्तरीय विभागाध्यक्ष स्तर का मेडिकोलीगल अर्धन्यायिक संस्थान की स्थापना गांधी मेडिकल कॉलेज भवन के तृतीय तल पर स्वर्गीय प्रोफेसर डॉ0 हीरेशचन्द्र, तत्कालीन निदेशक एवं विभागाध्यक्ष रूप में की गई। तत्समय मेडिकोलीगल संस्थान तथा फोरेन्सिक मेडिसिन एवं टॉक्सीकोलॉजी विभाग एक ही साथ तृतीय तल के संपूर्ण भाग में स्थापित होकर संचालित किया गया था, जिससे कि फोरेन्सिक मेडिसिन एवं टॉक्सीकोलॉजी विभाग को मेडिकोलीगल संस्थान द्वारा सहयोग मिलता रहे एवं संस्थान द्वारा फोरेंसिक एवं टॉक्सीकोलॉजी विभाग के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा शव-परीक्षण विधिवत ढंग से कराये जाने की व्यवस्था की जा सके। सबसे अधिक महत्वपूर्ण दायित्व फोरेंसिक मेडिसिन के क्षेत्र में मानक निर्धारित करने का है, जो कि Central Govt of India Survey committee report on Medico Legal practices in India 1964 में सिफारिश किया गया कि मेडिकोलीगल संस्थान प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में इसलिए स्थापित किया जाये जिससे कि फोरेन्सिक मेडिसिन का कार्य उत्कृष्ट हो सके। मेडिकोलीगल संस्थान की स्थापना का उद्देश्य फोरेन्सिक मेडिसिन विषय में अध्ययनरत छात्रों को स्नातक एवं स्नात्कोत्तर उपाधि प्राप्त करते समय शोध कार्य में पूर्णतः योगदान करना है।

2- <u>विभाग के कार्य एवं उद्देश्य :-</u>

1. मध्यप्रदेश के विभिन्न स्थानों से सन्दर्भित किये गये मेडिकोलीगल प्रकरणों में विशिष्ट मत देना तथा सन्दर्भित किये गये जटिल शवों का शव परीक्षण करना ।
2. फोरेन्सिक मेडिसिन विषय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययन में सहायक होना।
3. न्यायालयिक, कार्यपालिक, स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग के मध्य अत्यन्त निकट का सामंजस्य बनाये रखना तथा अपराध, हत्या, यौन उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों में उपयुक्त परामर्श देना।
4. पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, न्याय विभाग के न्यायाधीशों, लोक अभियोजन अधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारियों को मेडिकोलीगल विषय में समुचित प्रशिक्षण देना।
5. अप्राकृतिक तथा संदिग्ध मृत्यु के कारणों का पता लगाना।
6. घटना स्थलों का निरीक्षण कर अभिमत देना।
7. इस संस्थान में सभी प्रकार के अनुसंधान की प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं, जिसमें मुख्य रूप से फोरेन्सिक एन्थ्रोपोलॉजी, एन्टोमोलॉजी, टॉक्सीकोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी तथा डॉयटम-टेस्ट आदि से संबंधित अनुसंधानात्मक प्रयोगशालायें हैं।

8. उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त अपराध की पुनर्रचना एवं अनुसंधानात्मक विश्लेषण भी किया जाता है, जिससे न्यायिक प्रकरणों के निराकरण में सहायता मिलती है।

3- <u>विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी एवं प्रमुख विशेषताएं :-</u>

संस्थान में मेडिकोलीगल प्रकरणों में विशेषज्ञ मत देना, विशेषज्ञ अभिमत हेतु आये शवों का शव-परीक्षण करना, अप्राकृतिक तथा संदिग्ध मृत्यु के कारणों का पता लगाना एवं इस विषय में संबंधित अन्य प्रमुख कार्य किये जाते हैं। इसके अलावा, न्यायिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों एवं चिकित्सा अधिकारियों को मेडिकोलीगल विषय में समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे चिकित्सा महाविद्यालय में शव-परीक्षण हेतु आये शवों के परीक्षण में सहायता मिलती है। संस्थान अंतर्गत संचालित माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (व्ही.सी.) द्वारा साक्ष्य भी दिया जा रहा है ।

4- <u>संस्थान की वर्ष 2023-24 (01 जनवरी, 2023 से 31 दिसंबर, 2023 तक) की प्रमुख उपलब्धियाँ :-</u>

1. दिनांक **01-01-2023** से दिनांक **31-12-2023** तक की अवधि में कुल **2655** शव परीक्षण किये गये, जबकि मेडिकोलीगल एक्सपर्ट ओपिनियन के कुल**-35,** मेडिकोलीगल प्रकरण जैसे इंज्युरी उम्र की जांच, यौन उत्पीड़न से संबंधित आदि के **347,** हिस्टोपैथोलॉजी के कुल **852,** डॉयटम टेस्ट के **1461** तथा टॉक्सिकोलॉजी के कुल**-24** प्रकरण जाँच एवं वैज्ञानिक विश्लेषण हेतु प्राप्त हुए। इस प्रकार उक्त अवधि में कुल**-5,374** प्रकरण संस्थान को प्राप्त हुये। संस्थान में किये गये अनुसंधान कार्यों का प्रकाशन चिकित्सा शिक्षा पुस्तक में भी हुआ है।

2. दिनांक **01-01-2024** से दिनांक **31-04-2024** तक की अवधि में कुल **679** शव परीक्षण किये गये। साथ ही एक्सपर्ट ओपिनियन के **08,** मेडिकोलीगल के **52,** हिस्टोपैथोलॉजी के **199,** डॉयटम टेस्ट के **224** तथा टॉक्सिकोलॉजी के **02** प्रकरण जाँच एवं वैज्ञानिक विश्लेषण हेतु प्राप्त हुए। इस प्रकार उक्त अवधि में कुल**-1,164** प्रकरण संस्थान को प्राप्त हुये।

2. वित्तीय बजट वर्ष **2023-2024 (01.04.2023** से **31.03.2024)** में वी0सी0ओ0 स्तर पर संस्थान के लिए **6,04,23,800/-** रूपये की बजट राशि प्राप्त हुई थी, जिसमें से **3,56,25,949/-** रूपये राशि का व्यय किया गया तथा शासन को **2,47,97,851/-** रूपये की राशि समर्पित की गई।

3. वित्तीय बजट वर्ष **2022-2023 (01.04.2022** से **31.03.2023)** में इस संस्थान के लिए रूपये-**7,17,25,000/-** की बजट राशि प्राप्त हुई थी। जिसमें से रूपये- **3,43,12,651/-** का व्यय किया गया तथा रूपये- **3,74,12,349/-** की राशि शासन को समर्पण की गई।

5- <u>मेडिकोलीगल प्रशिक्षण की जानकारी</u> :-

01. वर्ष **2023** में न्यायिक अधिकारियों के कुल **04-**प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें प्रत्येक सत्र में **30-30** के बैच में अपर जिला न्यायाधीश स्तर के न्यायिक अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

02. प्रशासन अकादमी द्वारा आयोजित राज्य सेवा के उप जिलाधीशों, उप पुलिस अधीक्षकों, लोक अभियोजकों, सहायक लोक अभियोजकों एवं चिकित्सा अधिकारियों को नियमित रूप से मेडिकोलीगल प्रशिक्षण दिया जाता है।

03. संभाग स्तर पर लोक स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारियों को भी समय-समय पर मेडिकोलीगल विषय में प्रशिक्षण दिया जाता है।

04. माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के आदेश दिनांक 11-04-2023 द्वारा संस्थान में ही वीडियो कान्फेंसिंग की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से मध्यप्रदेश के सभी माननीय न्यायालयों में साक्ष्य वीसी के माध्यम से प्रस्तुत किये जा रहे हैं। पूर्व में संस्थान के अधिकारियों को साक्ष्य हेतु प्रदेश के सभी माननीय न्यायालयों में साक्ष्य हेतु उपस्थित होना होता था, जिससे उनका कीमती समय भी नष्ट होता था तथा कार्यालय के कार्य भी प्रभावित होते थे, लेकिन अब वीसी के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने से समय की बचत भी होती है और साक्ष्य हेतु जाने-आने पर टीए/डीए पर होने वाले शासन के लाखों रूपये के व्यय की बचत होती है एवं कार्यालय भी सुचारू रूप से संचालित होता है।

6- <u>विभागीय पदौन्नतियाँ, विभागीय जाँच, विभागीय नियुक्तियाँ, स्थानान्तरण एवं न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में जानकारी</u> :-

01. संस्थान अंतर्गत द्वितीय श्रेणी राजपत्रित के रिक्त सीधी भर्ती से भरे जाने वाले मेडिकल ऑफीसर (नॉन-मेडिकल) के 01 एवं मेडिकल ऑफीसर (मेडिकल) के 04 पदों पर लोक सेवा आयोग एवं प्रशासकीय विभाग द्वारा चयन प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, जिसमें से मेडिकल ऑफीसर (नॉन-मेडिकल) के 01 पद एवं मेडिकल ऑफीसर (मेडिकल) के 02 पद पर नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं। शेष 02 ओ.बी.सी. (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण पर अंतिम निर्णय आने तक नियुक्ति आदेश जारी किया जाना प्रशासकीय विभाग द्वारा विचाराधीन है।

02. संस्थान में एक राजपत्रित प्रथम श्रेणी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है, जिसका निराकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है। अराजपत्रित संवर्गों के किसी भी कर्मचारी के विरूद्ध कोई भी विभागीय जाँच का प्रकरण लंबित/विचाराधीन नहीं है।

03. न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में वर्तमान् स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में पूर्व से 15 प्रकरण विचाराधीन हैं। सभी प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाकर शासन सर्मथन में जवाबदावे प्रस्तुत किए जा चुके हैं। अद्यतन स्थिति में किसी भी प्रकरण के संबंध में कोई भी शासन विरूद्ध अभियुक्ति/स्थगन आदि पारित नहीं है एवं न ही किसी प्रकरण में अवमानना की कार्यवाही ही प्रचलित है। गत वर्ष 02 न्यायिक प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में पंजीकृत हुये हैं, इस प्रकार कुल 17 प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं।

04. मेडिकोलीगल संस्थान, भोपाल का संभाग/जिला/तहसील/विकास खण्ड स्तर पर कोई अधीनस्थ कार्यालय स्थित/कार्यरत नहीं होने से संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानों पर स्थानान्तरण नहीं होता है।

7- **बजट प्रावधान लक्ष्य व्यय/योजना वार** :-

संस्थान एक नॉन-प्लॉन/आयोजनत्तर विभाग है। इसके अतिरिक्त संस्थान अन्तर्गत कोई भी राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना/कल्याणकारी योजना आदि स्वीकृत नहीं है ।

सारांश :-

संस्थान के मुख्य कार्य विशेषज्ञ अभिमत हेतु आये शवों का शव-परीक्षण करना एवं समूचे प्रदेश से संदर्भित किये गये जटिल एवं संदिग्ध मृत्यु के मेडिकोलीगल प्रकरणों में विशेषज्ञ मत देना है। इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा चिकित्सा अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों, पुलिस कर्मियों के लिए समय-समय पर मेडिकोलीगल प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जाता है एवं अनुसंधानात्मक कार्य किये जाते हैं एवं संस्थान अंतर्गत संचालित माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (व्ही.सी.) द्वारा साक्ष्य भी दिये जाते हैं ।

संस्थान का संभाग/जिला/तहसील/विकास खण्ड स्तर पर कोई अधीनस्थ कार्यालय कार्यरत नहीं है।

विभागाध्यक्ष

भाग-एक

विभागीय संरचना

अधीनस्थ कार्यालय	-	मध्य प्रदेश स्टेट गैरेज, भोपाल
कार्यालय प्रमुख	-	अधीक्षक, म0प्र0 स्टेट गैरेज भोपाल।

विभागों के अंतर्गत आने वाले मंडल /उपक्रम/संस्थाओं का विवरण -

<u>विभाग के दायित्व</u> -

मंत्री मंडल सचिवालय, उच्च अधिकारियों के लिये वाहनों का क्रय एव वाहन चालक सहित वाहन का आवंटन। आवंटित वाहनों का मरम्मत कार्य, पेट्रोल /डीजल आदि का प्रदाय । केन्द्र एवं अन्य राज्य से आने वाले राजकीय अतिथियों को मय वाहन चालक सहित वाहन व्यवस्था करना । राजभवन के वाहनों में पेट्रोल /डीजल आदि का प्रदाय ।विधान सभा के वाहनों में पेट्रोल/डीजल आदि प्रदाय करना ।

विभाग से संबंधित जानकारी	-	सूची संलग्न है ।
सामान्य एवं प्रमुख विशेषताएं	-	मध्य प्रदेश स्टेट गैरेज से वाहन का आवंटन एवं मरम्मत पेट्रोल/डीजल आदि प्रदाय/राजकीय अतिथियों को हायर चार्जेस पर वाहन उपलब्ध कराया जाना।
महत्वपूर्ण सांख्यिकी	-	- निरंक

भाग-दो

बजट विहंगावलोकन(एक दृष्टि में)	-	रूपये -
	-	-वेतन रूपये-86210000
		-कार्यालय व्यय रूपये-1358000
	-	-अनुरक्षण व्यय रूपये-8100000
	-	-वाहन प्रतिस्थापन रूपये- 10800000
	-	- पेट्रोल क्रय मद रूपये-25000000
	-	- लघु निर्माण कार्य रूपये-1000
	-	- भारित (डिक्री धन)-100000
	-	- परीक्षा एवं प्रशिक्षण-5000
	-	- व्यासायिक सेवाएं-130000
	-	- स्थायी परि संपत्तियों का
		- अनुरक्षण रू; 10000000

राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

(अ)	राज्य योजना	-	101 राज्य आयोजना
(ब)	केन्द्र प्रवर्ति योजना	-	निरंक
(स)	विश्व बैक की सहायता	-	निरंक
	चलाई जाने वाली योजनाएं	-	
(द)	विदेशी सहायता प्राप्त		
	योजनाएं/परियोजनाएं	-	निरंक
(ई)	अन्य योजनाएं	-	निरंक

कर्मचारियो/अधिकारियों की सूची

क्र0	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	अधीक्षक	01	01	-
2	स्टोर ऑफिसर	01	-	01
3	लेखाधिकारी	01	01	-
4	मुख्य लिपिक	01	-	01
5	स्टोर कीपर	01	-	01
6	सहायक वर्ग -2	02	-	02
7	सहायक वर्ग-3	09	07	02
8	फोरमेन	01	-	01
9	हैडमिस्त्री	01	-	01
10	फिटर	08	02	06
11	सहायक मैकेनिक	03	01	02
12	विघुत कार	02	-	02
13	टर्नर	01	-	01
14	अपहोस्टर	01	-	01
15	वेल्डर कम लोहार	01	-	01
16	चौकीदार कान्टी0	03	01	02
17	क्लीनर नियमित	19	10	09
18	क्लीनर कान्टी0	05	04	01
19	टाईम कीपर	01	-	01
20	पेट्रोल इश्युवर	04	03	01
21	भृत्य	02	01	01
22	स्वीपर	01	01	-
23	डिस्पैच राईडर	02	-	02
24	नियमित वाहन चालक	151	50	101
	कुल योग -	**222**	**82**	**140**

मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भोपाल

विभागीय संरचना

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 के अंतर्गत प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) का गठन 5 सितम्बर 2007 को किया गया। मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य के आपदा प्रबंधन से संबन्धित नीति निर्धारण एवं समन्वयन हेतु महत्वपूर्ण अंग है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 20 के अंतर्गत राज्य में आपदा प्रबंधन कार्यों के समन्वयन हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति (SEC) का गठन किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 25 के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) का गठन किया गया है।

मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन हैं और उपाध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री,मध्यप्रदेश शासन हैं। मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग, राजस्व विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के माननीय मंत्रीगण, सलाहकार- आपदा प्रबंधन और मुख्य सचिव इस प्राधिकरण के सदस्य है। अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, गृह विभाग,इस प्राधिकरण के सचिव/संयोजक है।

प्राधिकरण में कुल 07 प्रभाग हैं- (1) प्रशासनिक प्रभाग (2) आईईसी एवं मीडिया प्रभाग (3) प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण (4) अनुसंधान एवं नीति विकास (5) वित्त, योजना एवं समन्वय प्रभाग (6) कार्यान्वयन एवं समन्वयन प्रभाग एवं (7) अंतर-राष्ट्रीय सह नई तकनीकी विकास प्रभाग। इस प्राधिकरण में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 54 है, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

सं.क्र	पद का नाम	कुल पद की संख्या	कुल स्वीकृत पद को भरे जाने का तरीका			
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा	संविदा द्वारा
1.	समन्वयक/ संचालक	01	निरंक	निरंक	राज्य शासन द्वारा नियुक्त	
2.	उप संचालक	06	तदैव	तदैव	04	02
3.	प्रशिक्षण विशेषज्ञ	02	तदैव	तदैव	01	01

4.	सहायक संचालक	13	तदैव	तदैव	08	05
5.	सहायक लेखा अधिकारी	01	तदैव	तदैव	01	निरंक
6.	स्टेनोग्राफर	01	तदैव	तदैव	01	तदैव
7.	लेखपाल	01	तदैव	तदैव	01	तदैव
8.	कार्यालय सहायक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	14	तदैव	तदैव	08	06
9.	वाहन चालक	02	तदैव	तदैव	01	01
10.	भृत्य	13	तदैव	तदैव	08	05
कुल		**54**	**निरंक**	**निरंक**	**34**	**20**

विभाग के दायित्व

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधान अनुसार प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में आपदाओं के रोकथाम, पूर्व-तैयारी, शमन के उपाय तथा आपदाओं के दौरान तत्पर राहत, बचाव एवं प्रतिवादन से सम्बंधित निम्नांकित कार्य किए जातें है:-

- आपदाओं की पूर्व तैयारी, शमन, रोकथाम से सम्बंधित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधनप्राधिकरण के निर्देशो के अनुपालन हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणोंतथा अन्य विभागों के साथ समन्वयन एवं दिशा निर्देश।
- राज्य आपदा प्रबंधन नीति का निर्धारण तथा राज्य आपदा प्रबंधन योजना का अनुमोदन एवं क्रियान्वयन हेतु समन्वय एवं दिशा निर्देश।
- जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने में जिला प्राधिकरणों को दिशा-निर्देशन, समन्वयन एवं अनुमोदन।
- आपदाओं की रोकथाम एवं शमन हेतु राज्य की विकास योजनाओं एवं परियोजनाओंमें आपदा प्रबंधन तत्वों के समावेश हेतु अन्य विभागों से सामंजस्य एवंसमन्वयन।

- आपदा प्रबंधन में प्रदेश के विभिन्न हितधारकों की क्षमतावृद्धि ।
- पूर्व तैयारी, आपदा न्यूनीकरण तथा राहत एवं बचाव हेतु जन-जागृति एवं सूचनाओं का प्रसारण । आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों हेतु प्रदेश के विभिन्न विभागों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं अन्य संस्थाओं के साथ समन्वयन ।

प्राधिकरण का लक्ष्य एवं उद्देश्य

- राज्य के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार की आपदाओं की संवेदनशीलता, आपदाओं की रोकथाम और शमन के लिए अपनाए जाने वाले उपाय करना।
- शमन उपायों को विकास योजनाओं और परियोजनाओं के साथ एकीकृत किया जाना।
- क्षमता निर्माण और तैयारियों के उपाय किया जाना।
- संस्थागत मजबूती के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) को नीतिगत प्राथमिकता बनाना।
- आपदा जोखिमों की पहचान, आकलन और निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी को बढ़ाना।
- अंतर्निहित जोखिम कारकों को कम करना।
- प्रभावी प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति के लिए आपदा तैयारियों को मजबूत करना।

उपलब्धियॉं

- राज्य आपदा प्रबंधन योजना का उन्नयनीकरण आपदा प्रबंधन संस्थान,भोपाल के माध्यम से किया जा रहा है।
- प्रदेश के 51 जिलों का जिला आपदा प्रबंधन योजना NDMA गाइडलाइन के अनुसार तैयारी कर लिया गया है।
- प्रदेश में घटित प्राकृतिक तथा मानवनिर्मित आपदाओं के दौरान विभिन्न एजेंसियों के समन्वयन में त्वरित राहत, खोज एवं बचाव ऑपरेशन पूर्ण किया गया |
- भारतीय वायु सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ((NDRF) एवं राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल (SDERF) के साथ सतत समन्वयन कर बाढ़ की विभीषिका से इस वर्ष हजारों लोगों को बचाया गया/ सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से निम्नलिखित परियोजनाओं को राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है :-

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा वित्त पोषित "आपदा मित्र योजना" का कार्यान्वयन।

योजना के उद्देश्य	प्रदेश के 11 जिलों (बड़वानी, भोपाल, छतरपुर, दमोह, गुना, खण्डवा, रायसेन, दतिया, सिंगरौली, उज्जैन तथा विदिशा) में 300 वालेंटियर प्रति जिले के मान से कुल 3300 वालेंटियर को प्रशिक्षित कर Emergency Responder Kit (ERK) बचाव उपकरणों से लैस किया जाना तथा उक्त 11 जिलों में Emergency Essential Resource Reserve (EERR) का संधारण किया जाना है।
योजना अवधि	03 वर्ष

2. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा वित्त पोषित"देश के चिन्हित 115 पिछड़े जिलों मे से मध्यप्रदेश के 08 हज़ार्ड प्रोन (Hazard Prone) जिलों के DDMA (जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) का सुदृढ़ीकरण" का कार्यान्वयन।

योजना के उद्देश्य	एसएफडीआरआर 2015 - 2030 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र शासन द्वारा चिन्हित प्रदेश के 08 हजार्ड प्रोन जिलों गुना, विदिशा, खंडवा, दमोह, राजगढ़, सिंगरौली, छतरपुर और बड़वानी तथा राज्य शासन द्वारा चिन्हित दतिया जिले (कुल 09 जिलों) में जिला सलाहकारों की नियुक्ति कर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सुदृढ़ीकरण।
योजना अवधि	03 वर्ष

3. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा वित्त पोषित "सेंडाइ फ्रेमवर्क के अंतर्गत आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR)" का कार्यान्वयन।

योजना के उद्देश्य	वरिष्ठ सलाहकार की नियुक्ति कर आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई फ्रेमवर्क अनुसार राज्य में आपदा रोकथाम, शमन और तैयारी की संस्कृति को विकसित करना तथा आपदा के प्रभाव को न्यूनतम स्तर तक लाने हेतु कार्यवाही।
योजना अवधि	03 वर्ष

मोक ड्रिल का आयोजन

- राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF)के सहयोग से मध्यप्रदेश के 12 जिलों में आपदा से बचाव एवं राहत हेतु Mock Exercise का अयोजन किया गया।
- राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बलके सहयोग सेप्रदेशमें बाढ़, भूकंप, रासायनिक खतरों, अग्नि सुरक्षा आदि जैसे विभिन्न आपदाओं में 56 मॉक अभ्यास/प्रशिक्षणका अयोजन किया गया।

नवाचार

- वर्ष 2023-24 में आपदा राहत एवं बचाव संसाधनों की संपूर्ण जानकारी Indian Disaster Resource Network (IDRN) पोर्टल पर दिए जाने हेतु विशेष प्रयास किया गया। इसके फलस्वरूप शासकीय विभागों, पब्लिक सेक्टर तथा निजी सेक्टर में उपलब्ध आपदा प्रबंधन संसाधनों की जिलावार जानकारी पोर्टल में संकलित की गई है।
- आपदा पूर्व तैयारी एवं क्षमता वृद्धि निधि के अंतर्गत आपदा न्यूनीकरण हेतु अन्य विभागों से प्रस्ताव प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही एवं समन्वयन किया जा रहा है।
- गुना जिला द्वारा भीड़ प्रबंधन योजना बानाई गयी।
- छतरपुर जिला द्वारा अस्पताल सुरक्षा योजना बानाई गयी।
- धार्मिक स्थलों पर आपदा प्रबंधन तथा जन-मानस को इससे बचाव हेतु व्यापक स्तर पर जन-जागृति हेतु पूरे प्रदेशके जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को दिशा-निर्देश जारी किए गए।
- शीत लहर (शीतघात)के प्रकोप से उत्पन्न संभवित खतरों के प्रबंधन तथा जन-मानस को इससे बचाव हेतु व्यापक स्तर पर जन-जागृति हेतु पूरे प्रदेश के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को दिशा-निर्देश जारी किए गए।
- ग्रीष्मकालीन ऋतु में गर्म हवाओं तथा लू के प्रकोप से उत्पन्न संभवित खतरों के प्रबंधन तथा जन-मानस को इससे बचाव हेतु व्यापक स्तर पर जन-जागृति हेतु पूरे प्रदेश के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को दिशा-निर्देश जारी किए गए।
- प्रदेश में आपदाओं की परिस्थिति में विभागीय समन्वयनतथा 24X7 कार्यरत मंत्रालय स्थित वल्लभ भवन सिचुएशन रूम (VBSR) की स्थापना की गई है तथा आपदा की स्थितिमेंVBSRसे समन्वयन का कार्यकिया जा रहा है।
- वज्रपात/ बिजली (Lightening) से जन समुदाय के बचाव हेतु प्रदेश के समस्त जिलों तथा राज्य स्तर पर संबन्धित विभागों को दिशा-निर्देश जारी किए गए। साथ ही जन समुदाय के बचाव हेतु पत्रिका (brochure) तैयार कर सुरक्षा का प्रचार-प्रसार पूरे प्रदेश मे किया जा रहा है।

- मानसून के दौरान बाढ़ की अप्रिय स्थितियों का सामना करने हेतु पूर्व तैयारी पर विशेष बल दिया गया था। इसके अंतर्गत बाढ़ प्रभावी जिलों से समन्वयन स्थापित कर बाढ़ पूर्व तैयारी किए जाने का प्रयास किया गया।

विभागीय नियुक्तियॉ, पदोन्नति, चार्ज, स्थानांतरण एवं न्यायालयीन प्रकारण के संबंध में जानकारी

- मधप्रदेश राज्य आपदा प्रबधंन प्राधिकरण में समन्वयक/ संचालक के पद को छोड़कर शेष सभी पदों को प्रतिननियुक्ति या संविदा भर्ती के आधार पर ही भरे जा सकते। वर्तमान में प्राधिकरण में 02 उप-संचालक एवं 02 भृत्य प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है। साथ ही 03 भृत्य संविदा आधार पर इस प्राधिकरण में कार्यरत है।
- प्राधिकरण के सभी पद स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा संविदा आधार पर ही भरे जाने हैं, अत: विभागीय पदोन्नति से संबन्धित प्राधिकरण की जानकारी निरंक रहेगी।
- प्राधिकरण में किसी भी संवर्ग के किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी के विरूद्व कोई भी विभागीय जाचं का प्रकरण लंबित/ विचाराधीन नहीं है।
- प्राधिकरण का संभाग/ जिला/ तहसील/ विकास खण्ड स्तर पर कोई अधीनस्थ कार्यालय स्थित/ कार्यरत नहीं है। अत: स्थानांतरण से संबन्धित प्राधिकरण की जानकारी निरंक रहेगी।
- न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में सभी प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त की जाकर प्रकरणों में जवाबदावे प्रस्तुत किए जा चुके हैं। किसी भी प्रकरण में शासन के विरूद्व कोई भी अभियुक्ति/ निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया   है।

बजट विहंगवलोकन

बजट वर्ष 2023-24में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (0201)- सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के लिये रूपये 6,11,15,000/-(**रूपये छ: करोड़ग्यराह लाख पंद्राह हजार मात्र**) बजट राशि निम्नानुसार स्कीम के अंतर्गत प्राप्त हुई हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	**स्कीम**	**आंकड़े रूपयों में**
1	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सचिववालय (7329)	3,10,66,000/-
2	आपदा प्रबंधन क्षमता विकास (7331)	1,15,79,000/-
	(0801) केन्द्रीय क्षेत्रीययोजना	17,27,000/-
3	आपदा प्रबंधन निर्माण कार्य (7332)	12,00,000/-
	योग:-	**6,11,15,000/-**

भावी कार्याजनाएं

- मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन कार्य योजना का उन्नयन किया जा रहा है।
- आपदाराहत एवंबचाव हेतु शीत लहर (शीतघात) राज्य कार्य योजना तैयार किया जा रहा है।
- आपदा राहत एवं बचाव हेतु लू(तापघात)राज्य कार्य योजना तैयार किया जा रहा है।
- आपदा राहत एवं बचाव हेतु वज्रपात राज्य कार्य योजना तैयार किया जा रहा है।

__________@@@_________

आपदा प्रबंध संस्थान, भोपाल मध्यप्रदेश

भाग - एक

- **संरचना**:-

दिनांक 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन द्वारा आपदा प्रबंध संस्थान, मध्यप्रदेश की स्थापना 19 नवम्बर,1987 को की गयी थी। वर्ष 1995 में इसे मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। मध्यप्रदेश के मान्नीय मुख्य मंत्री, संस्थान की साधारण सभा के सभापति है । संस्थान के प्रबंधन एवं क्रियाकलापों के संचालन हेतु कार्यकारिणी परिषद गठित है। अपर मुख्य सचिव,प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, कार्यकारणी परिषद के अध्यक्ष एवं कार्यपालन संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान, सदस्य सचिव है।

- **अधीनस्थ कार्यालय का विवरण**:-

संस्थान का कार्यालय पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल में स्थित है। संस्थान का कोई भी अधीनस्थ कार्यालय नहीं है।

- **दायित्व**:-

संस्थान द्वारा निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन किया जाता है:

1. प्राकृतिक व औद्योगिक आपदाओं की रोकथाम, इनके प्रभावों के न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन;
2. प्राकृतिक व औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन से जुड़े विषयों पर परामर्श सेवा प्रदान कराना ;
3. प्राकृतिक व औद्योगिक आपदाओं की रोकथाम, निरोध एवं उनके प्रभावों के न्यूनीकरण के लिये जन सामान्य हेतु जन जागृति कार्यक्रमों को आयोजितकरना ।
4. तेल एवं गैस सेक्टर इकाइयों की आपदा प्रबंधन योजनाओं का प्रमाणीकरण ।
5. प्राकृतिक एवं औद्योगिक आपदा प्रबंधन के विषयों पर सूचनाओं का संकलन प्रलेखन एवं शोध कार्य सम्पादित करना।

संस्थान द्वारा संपादित किये जाने वाली प्रमुख गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

- **प्रशिक्षण कार्यक्रम**

मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों हेतु आपदा प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन संस्थान के मुख्य उद्वेश्यों में से एक है। इसके दृष्टिगत संस्थान द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की आपदा प्रबंधन विषय में क्षमता वृद्वि हेतु कुल तीन दिवसीय कुल 20 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। जिस में 1591 प्रशिक्षणर्थियों लाभान्वित हुए है । वर्ष 2024-25 के लिये 45 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लक्ष्य रखा गया है

जनजागृति कार्यक्रम

संस्थान द्वारा आम जनता में विभिन्न प्रकार की आपदाओं के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से समय-समय पर विभिन्न हितधारकों के लिये आपदा प्रबंधन से संबंधित विषयों पर जनजागृति का कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संस्थान द्वारा इस बर्ष 08 जिलों में जनजागृति कार्यक्रमों का आयोजन जिसमें लगभग 600 प्रतिभागियों ने भाग लिया है।

शासकीय महाविद्यालय नलखेड़ा में आपदा प्रबंधन पर हुई कार्यशाला

स्थानीय शासकीय महाविद्यालय नलखेड़ा में आपदा प्रबंधन संस्थान ;गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल द्वारा आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजित की गई।कार्यशाला में अग्नि के प्रकार एवं अग्नि से किस प्रकार बचा जा सकता है अग्नि को किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है इसका डेमो करके दिखाया गया

- **परामर्श एवं सलाहकारिता सेवा:-**

संस्थान द्वारा सतत रूप से विभिन्न खतरनाक रासायनिक उद्योगंो के सेफ्टी आडिट, जोखिम आंकलन एवं विश्लेषण, अति खतरनाक औद्योगिक इकाईयों की ऑन-साइट एवं औद्योगिक क्षेत्रों की ऑफ-साइट योजना आदि का निर्माण किया जाता है। वर्ष 2023-24 केलिये 12 सलाहकारिता का कार्य करने का लक्ष्य रखा गया है।

- **प्रमाणीकरण:-**

संस्थान को पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस नियामक बोर्ड, भारत सरकार द्वारा पेट्रोलियम एवं गैस इकाइयों की आपदा प्रबंधन परियोजनाओं के प्रमाणीकरण हेतु एक राष्ट्रीय स्तर का सक्षम संस्थान घोषित किया गया है। वित्तिय वर्ष 2023-24 में 30 इकाईयों का प्रमाणीकरण किया जा चुका है एव 08 परियोजनाओं के प्रमाणीकरण का कार्य प्रगति पर है।

- **सूचना एवं प्रलेखन:-**

संस्थान ने अपनी वेबसाइट को अद्यतन कर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन से संबंधित विषयों पर उपलब्ध नवीन सूचनाओं, प्रलेखों, दिषानिर्देषों, संपर्क सूत्रों की सुगमता सुनिष्चित की है। संस्थान द्वारा आपदा प्रबंध विषय पर उत्कृष्ठ पुस्तकालय की स्थापना की गयी है। जिसमें वर्तमान में आपदा प्रबंधन विषय से संबंधित लगभग 5500 पुस्तकें, 377 महत्वपूर्ण जर्नल्स, एवं लगभग 1200 मानचित्र, टोपोशीट आदि उपलब्ध है।

भाग - दो

 बजट प्रावधान

वित्तीय वर्ष 2022-23 में संस्थान को राशि रूपये 320 लाख का बजट आवंटन प्राप्त हुआ था। वर्ष 2023-2024 में राशि रूपये 400.00 लाख का बजट प्रावधान निम्नानुसार मदों में स्वीकृत किया गया है जिसके विरूद्व दिसम्बर 2023 तक राशि रूपये 256.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। वर्ष के मदवार बजट प्रावधान निम्नानुसार है -

विवरण	राशि लाख में
प्रशिक्षण कार्यक्रम	30.00
जनजाग्रति कार्यक्रम	05.00
स्थापना व्यय	360.00
पुस्तकालय	05.00
कुल योजना प्रावधान	400.00

भाग - तीन

 अभिनव प्रयास

आपदा प्रबंधन में स्वयं सेवी संस्थाओं का सशक्तिकरण ;

म.प्र द्वारा राज्य में स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ क्षमता वर्धन हेतु श्समग्र आपदा प्रबंधन में स्वयं सेवी संस्थाओं का सशक्तिकरणश् नामक परियोजना प्रारंभ की हैए जिससे आपदा के पूर्व की जाने वाली आवश्यक तैयारियोंए आपदा के दौरान की जाने वाली अनुक्रिया एवं आपदा के पश्चात किये जाने वाले राहत कार्यों में आवश्यक सहयोग प्राप्त किएएवंया जा सके ।

मध्यप्रदेश में भूकंप पूर्व तैयारी एवं क्षमता वर्धन कार्यक्रमरू

परियोजना अंतर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में भूकंप आपदा जोखिम प्रबंधन विषयक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगेए जिसमें शिक्षा विभागए स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधिए इंजीनियरए ठेकेदारए इंजीनियरिंग में अध्यनरत विद्यार्थीए आर्म फोर्स से सेवानिवृत्तए पुलिस अधिकारी एवं होम गार्ड में से मास्टर प्रशिक्षकों के रूप में चयनित होंगे । यह प्रशिक्षण विशेष रूप से भूकंप रोधी भवन निर्माण तकनीकए भूकंप से ढह गयी संरचना के दौरान खोज एवं बचाव तकनीक पर आधारित होगा ।

उक्त दोनों परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न संस्थाओं के साथ साझेदारी विकसित की जा रही है । प्रथम चरण में यूनिसेफ के साथ आंशिक रूप से तकनीकी सहयोग प्राप्त किया जा रहा है साथ ही साथ अन्य संस्थाओं से भी साझेदारी प्राप्त किया जायेगा ।

भाग -चार

- **सारांश**

संस्थान स्थापना काल से ही अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सतत् रूप से प्रयासरत है। प्राकृतिक एवं औद्योगिक आपदा प्रबंधन के विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान अर्जित करते हुए संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित संस्थानों को प्रशिक्षण एवं सलाहकारिता सेवा प्रदान की गयी। संस्थान अपनी विशिष्ट जानकारी एवं कार्यों की वजह से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान बना चुका है तथा राज्य/देश में आपदा न्यूनीकरण की दिशा में उत्तरोत्तर कार्य कर रहा है एवं आपदा प्रबंधन क्षेत्र में क्षमतावृद्धि हेतु कृत संकल्पित एवं अग्रसर है।

,,,,